राजस्थान विधान सभा

१६ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक-१६ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में प्रातः ८-४५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १८९

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १९०

वन विभाग के फोरेस्ट गार्ड्स की संख्या में कमी

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड्स की संख्या घटाकर कम कर दी गई है?

(ख) यदि हां, तो क्यों?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार इनकी संख्या कम करने पर विचार कर रही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सीनियोरिटी लिस्ट जो पब्लिश की गई है उसमें जो संख्या है उसमें क्या फोरेस्ट गार्ड में कमी कर दी गई है?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—यह जो सीनियोरिटी लिस्ट है यह १-४-५० तक की है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह सिनियोरिटी लिस्ट बनाते वक्त यह आदेश दिया गया था कि जितने फोरेस्ट गार्ड्स रखने की आवश्यकता है उतने ही व्यक्तियों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाय ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—१ अप्रेल, १९५० तक के स्टाफ को इन्टीग्रेट करना था उन्हीं की सिनियोरिटी पहले डिटर्मिन करनी थी। यह जो लिस्ट पब्लिश की गई वह प्रोवीजनल है और १, ४, ५० तक की है जिसमें १०२१ व्यक्तियों की लिस्ट है और जो मौजूदा स्ट्रेन्थ है, वह १७५२ फॉरेस्ट गार्ड्स की है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह जो ७०० व्यक्ति छोड़ दिये गये क्या वे फॉरेस्ट गार्ड के केडर में नहीं माने जायेंगे ?

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—वे फॉरेस्ट गार्ड हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार ने इनकी सिनियोरिटी लिस्ट तैयार करना आवश्यक नहीं माना ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा—पहले उन व्यक्तियों की सिनियोरिटी लिस्ट तय करना आवश्यक था, जो १-४-५० तक फॉरेस्ट गार्ड थे; उसके बाद में अन्य दूसरों को लिया जायगा, दोनों की एक साथ सिनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं कर सकते थे। वे व्यक्ति इन्ट्रीगेशन में नहीं आते हैं क्योंकि वे बाद में मुकर्रर किये हुए हैं एवं सब टेम्परेरी है।

प्रश्न संख्या १६१

वन विभाग के कर्मचारियों की सिनियोरिटी लिस्ट एवं रेन्जर्स के ग्रेड

श्री चांदमल मेहता :— क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या वन विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त लिस्ट में रेन्जर्स के दो ग्रेड रखे गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो उनकी तनख्वाह की क्या क्या ग्रेड रखी गई हैं ?

(घ) सीनियर ग्रेड में कौन कौन रेन्जर्स हैं, उनका सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

Page No.3

[श्री चांदमल मेहता]

(ड) जूनियर ग्रेड में कौन कौन रेन्जर्स हैं और उनका उक्त लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

(च) सीनियोरिटी लिस्ट किस आधार पर बनाई गई है ?

(छ) ऐसे कितने रेन्जर्स मौजूदा लिस्ट में आये हैं जो पहले वाली सीनियोरिटी लिस्ट में डिप्टी रेन्जर्स में भी नहीं जा सके थे ?

(ज) उक्त रेन्जर्स का मौजूदा लिस्ट में कौन कौन सा स्थान है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ग्रेड १ के स्केल १००– ५– १५०– ई० बी० १०- २०० ई० बी० १०– ३०० । ग्रेड २ के स्केल १०० –५ –१५० ई० बी० १०– २०० ।

(घ) जिन जिन रेन्जर्स ने देहरादून या कोयम्बटूर रेन्जर्स कॉलेज में रेन्जर्स कोर्स पास किया है उनको सीनियर ग्रेड १ में रखा गया है ।

सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम व स्थान निम्नानुसार है ।

नाम	सीनियोरिटी लिस्ट में क्रमांक
श्री अकबर अली	१५
श्री मोहनसिंह सक्तावत	२०
श्री सामेश्वर भूलियान	२१
श्री मोहन चौधरी	२४
श्री हरीशचन्द्र गुप्ता	२५
श्री संग्राम सिंह हिरन	२८
श्री जगदीश नारायण	२६
श्री खुमान सिंह	३२
श्री सम्पत सिंह	३३

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ड) जूनियर ग्रेड (ग्रेड II) में निम्नलिखित रेंजर्स हैं।

१	२
श्री बशीर मोम्हमद	१
श्री प्रेमशंकर	२
श्री चुन्नीलाल	३
श्री त्रिबेनी सहाय	४
श्री अब्दुल रहमान	५
श्री प्रतापसिंह	६
श्री नेत्रभानसिंह	७
श्री रतनपाल सिंह	८
श्री रूपसिंह	९
श्री फतैसिंह	१०
श्री जोरावल मल लोढ़ा	११
श्री आनन्दस्वरूप	१२
श्री हरी शंकर	१३
श्री रूपकिशोर	१४
श्री नियाज मोहम्मद	१६
श्री रामनारायण कल्ला	१७
श्री लक्ष्मीलाल व्यास	१८
श्री गिर्राजसिंह	१९
श्री फतेलाल बाबेल	२२
श्री जेनूलआवदीन	२३
श्री इन्द्रजीत सिंह त्यागी	२६
श्री प्रहलादसिंह	२७
श्री शिवदान सिंह	३०

Page No.5

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]	
१	२
श्री बिहारीलाल	३१
श्री गोकुलदयाल	३४
श्री लूमचंद	३५
श्री जगमालसिंह	३६
श्री तख्तसिंह	३७
श्री श्रोमप्रकाश	३८
श्री खुमानसिंह	३९
श्री गफूर अहमद	४०
श्री जुझारसिंह	४१
श्री फतेलाल खमेश्वरा	४२
श्री चैन्द	४३
श्री जवाहरलाल	४४
श्री दौलतचन्द	४५
श्री सज्जनसिंह राव	४६
श्री राजेन्द्रनाथ	४७
श्री नत्थूसिंह	४८
श्री नन्दलाल	४९
श्री प्रतापसिंह	५०
श्री अम्बालाल	५१
श्री फतेसिंह झाला	५२
श्री कृष्णचन्द्र त्रिपाठी	५३
श्री पूरनचन्द्र	५४
श्री किशनसिंह रानावत	५५
श्री उदयसिंह	५६
श्री दौलतपुरी	५७

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

१	२
श्री चम्पालाल	५८
श्री लक्ष्मणसिंह	५६
श्री रामचन्द्र त्रिवेदी	६०
श्री रतनलाल	६१
श्री भंवरसिंह	६२
श्री परमसुख	६३
श्री रामसिंह	६४
श्री गौरीशंकर	६५
श्री सुमन्त प्रकाश	६६
श्री विजयसिंह	६७
श्री रतनलाल अग्रवाल	६८
श्री किशनसिंह	६९
श्री शिवदत्त तिवारी	७०
श्री ओंकारनाथ शर्मा	७१
श्री समन्दरसिंह	७२
श्री सोमनाथ	७३
श्री अभिनन्दन कुमार	७४
श्री पुखराज	७५
श्री शिवनाथ शर्मा	७६

(च) सीनियोरिटी लिस्ट जिस आधार पर बनाई गई है वह इस प्रकार है:—

"Dated 21at October, 1955, No, Integration 2273, 'In supersession of this Office Order..."

(सम्बन्धित आज्ञा सदन में नहीं पढ़ी गई)

Page No.7

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप इस लिस्ट की एक प्रति माननीय सदस्य को दे देते तो इतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लिस्ट को टाइप करने में जितना समय लगता है उससे कहीं कम समय उसके पढ़ने में लगता है इसलिये पढ़ना ही उचित है ।

(छ) १० ।

(ज) नाम इस प्रकार है	सिनियोरिटी लिस्ट में क्रमांक
श्री बशीर मुहम्मद	१
श्री प्रेम शंकर	२
श्री चुन्नीलाल	३
श्री जोरावरमल लोढ़ा	११
श्री फतहलाल बाबेल	२२
श्री जवाहरलाल	४४
श्री रतनलाल अग्रवाल	६८
श्री सोमनाथ	७३
श्री शिवनाथ शर्मा	७६

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक मरतबा पहले भी उनकी सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी थी ?

श्री ब्रजसुन्दर—जी हां, बनी थी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मौजूदा जो लिस्ट बनी है उसमें जो सीनियर ग्रेड रेन्जर हैं वे जूनियर ग्रेड से नीचे की लिस्ट में आते हैं ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—मौजूदा ग्रेड में जो सीनियर ग्रेड के रेन्जर रक्खे गये हैं उनमें सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन रक्खी गई है और वह है देहरादून या कोइम्बटूर रेन्जर्स कॉलेज से रेन्जर्स कोर्स पास करना और उनकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि हाईयर कोर्स की है इसलिये सीनियर ग्रेड में उनको रखना चाहिये । क्योंकि यह सबसे हाइयर कोर्स है रेन्जर्स का, और ऐसा ही मैं मानता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सीनियर लिस्ट में जूनियर ग्रेड के रेन्जर्स ऊपर हैं और सीनियर ग्रेड के नाम नीचे हैं ?

Page No.8

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—मैंने अर्ज किया कि जब दो ग्रेड रक्खी गई हैं एक सीनियर जिसमें देहरादून और कोइम्बटूर कॉलेज से पास शुदा हैं वे हैं और दूसरे में जो जूनियर ग्रेड है उसमें बालाघाट एवं अन्य हिन्दी स्कूलों के पास शुदा हैं वे जूनियर ग्रेड में आवेंगे। अब इस हिसाब से कोई अगर सीनियर लिस्ट में नीचे होगा तब भी ऊपर आयेगा।

श्री चांदमल मेहता—जो लिस्ट बनी है उसमें सीनियर ग्रेड के जो रेन्जर्स हैं उनको जूनियर ग्रेड के रेन्जर्स से लिस्ट में नीचा स्थान दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री व्रजसुन्दर शर्मा—जो डिपार्टमेंटवाइज़ सीनियोरिटि कायम की गई है वह तो उस लिस्ट के मुताबिक लागू की गई है जिनमें तनखा वगैरह का सवाल है, पर ऊपर का ग्रेड दिये जाने का जहां तक ताल्लुक है वहां देहरादून और कोइम्बटूर कोर्स पास शुदा जो हैं वे ही सीनियोरिटी लिस्ट में रहेंगे और बालाघाट और अन्य हिन्दी स्कूलों से जो ट्रेन्ड हैं वे जूनियर लिस्ट में रहेंगे, फिर उस लिस्ट में भले ही वे ऊपर हों।

श्री चांदमल मेहता—पहले जो लिस्ट बनी और जिस आधार पर बनी उसका क्राइटेरिया बदलने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसमें क्वालिफिकेशन्स का कोई ध्यान नहीं रक्खा गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछली लिस्ट जो बनी उसमें क्वालिफिकेशन्स को महत्व दिया गया था, जो क्वालिफाइड थे वे उस लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे और नोन क्वालिफाइड बाद का स्थान प्राप्त करते थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उसमें तो गधे-घोड़े सब बराबर कर दिये गये थे।

श्री चांदमल मेहता—गधे घोड़ों से इसमें बराबर से भी अधिक हुए हैं। जिनको फर्स्ट ग्रेड भी नहीं थी; जो फोरेस्टर भी नहीं थे उनको इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा—यह प्रोविजनल लिस्ट है। अगर कोई गलत चीज क़ायदे के खिलाफ हो गई है तो आप बताइये, ठीक कर दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है उसका इन्टरप्रीटेशन निकालने में कमेटी ने गलती की है, क्या यह सही है ?

(घंटी)

श्री चांदमल मेहता—इसके खिलाफ भी अगर आपको कोई शिकायत हो तो बताइये वह भी सही किया जा सकता है। फिर यह तो पी. एस. सी. को भेज दी जावेगी।

प्रश्न संख्या १६२

वन विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन और सिनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन

श्री चांदमल मेहता (८७) - क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि वन विभागों के कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है व सीनियोरिटी लिस्ट भी प्रकाशित हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त लिस्ट कब प्रकाशित की गई है ?

(ग) उक्त लिस्ट के खिलाफ रिप्रेज़ेण्टेशन पेश करने के लिये कितने समय की अवधि निश्चित की गई है ?

(घ) ऐसे कौन २ रेंजर्स है जिनके ऑफिस में अवधि समाप्त होने के १० दिन पहले तक कोई सूचना नहीं पहुंची है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा—(क) जी हां। किन्तु अस्थाई तौर पर सूची निकाली गई है और इस पर सम्बन्धित कर्मचारियों की आपत्तियां, यदि कोई भी हों, तो मांगी गई हैं।

(ख) दिनांक २१-१०-५५ को।

(ग) दिनांक २१-१२-५५ तक।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या १६३

फोरेस्ट गार्ड्स के ग्रेड्स व उनके वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में फोरेस्ट गार्डों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त गार्डों में कितने शिक्षित और कितने अनपढ़ हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि फिक्सेशन से पूर्व फॉरेस्ट गार्ड दो ग्रेड के थे ?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) क्या फिक्सेशन के बाद उनकी एक ही ग्रेड मुकर्रर कर दी गई है ?

(ङ) यदि हां, तो नई ग्रेड में तनख्वाह कितनी रखी गई है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा—(क) इस समय १७५२ है ।

(ख) इसकी सूचना प्राप्त करने में समय की आवश्यकता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं । फिक्सेशन के पहिले ही फोरेस्ट गार्ड्स की एक ही ग्रेड कर दी गई ।

(ङ) नई ग्रेड २५।१।३५ है ।

श्री चांदमल मेहता—यह फिक्सेशन के पहले एक ग्रेड कब की गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह है साहब, गवर्नमेन्ट ऑर्डर नम्बर एफ. आर. ५५ डेटेड १४-६-५५.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मौजुदा ग्रेड के मातिक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को एक ही ग्रेड मिलेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—शिक्षित और अशिक्षित को एक ही ग्रेड मिलने न मिलने का सवाल ही नहीं है । शिक्षित हो या अशिक्षित हो काम दोनों का बराबर रहेगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इससे पहले शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अलग अलग ग्रेड्स थीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हो सकता है ।

प्रश्न संख्या १६४

किशनगढ़ में बारूद का सामान बनाने के कारखाने एवं पिछले छ माह में आग लगने से मजदूरों की हानि एवं उनकी क्षतिपूर्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या श्रममन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

Page No.11

[श्री चांद मल मेहता]

(क) किशनगढ़ में पटाखे (बारूद का सामान) बनाने के कितने कारखाने हैं ?

(ख) प्रत्येक कारखाने में कितने कितने मजदूर काम करते हैं ?

(ग) पिछले ६ माह में किस किस कारखाने में आग लग जाने की वजह से कितने कितने व्यक्ति मरे और कितने कितने घायल हुए ?

(घ) मरे हुए व्यक्तियों के परिवार वालों को एवं घायल होने वाले मजदूरों को क्या कोई मुआवजा दिलाया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो किस किस को कितना कितना ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) किशनगढ़ में फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आने वाला रजिस्टर्ड कारखाना एक भी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। (च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे कारखाने मौजूद हैं लेकिन उनका फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर शिकायत करेंगे तो चालान कर देंगे उनका और फिर रजिस्ट्रेशन भी हो जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से इस तरह के कारखानों के ऊपर निगरानी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—व्यवस्था है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में जो कारखाने चल रहे हैं उनमें अभी हाल ही में कई आदमी मरे हैं और कई घायल हो गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सूचना देने के लिए धन्यवाद ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह की सूचना लेबर डिपार्टमेन्ट में भेजी जा चुकी थी और इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसा मेरे इल्म में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह कारखाना ऐसी जगह स्थित है कि इसमें अभी विस्फोट होने की वजह से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह होम मिनिस्टर साहब से पूछिये ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो व्यक्ति मारे गये और जो घायल हुए उन्होंने अपनी ओर से मुआवजे के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ?

श्री बृजसुन्द शर्मा—ऐसा मुझे इल्म नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय अब इस बात की जांच करावेंगे कि इस तरह का कारखाना बगैर रजिस्ट्रेशन के क्यों चल रहा है और जो क्षति हुई है लोगों के मरने से और घायल होने से तो उनके लिये भी मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं, यह होम डिपार्टमेन्ट का काम है ।

प्रश्न संख्या १३५

राजस्थान निर्माण के पश्चात् सहकारी समितियां का निर्माण इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान निर्माण के बाद कुल कितनी सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) उक्त समितियों में कितनों का काम बन्द है ?

(ग) ऐसी कितनी समितियां हैं जो २ वर्ष से अधिक समय से बन्द हैं ?

(घ) राजस्थान के निर्माण के बाद कुल कितनी समितियां भंग की जा चुकी हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) राजस्थान बनने के बाद से अक्टूबर, १९५५ तक ३११० सहकारी समितियां बनाई गई हैं ।

[श्री अमृत लाल यादव]

(ख) उक्त समितियों में से ४५७ का कार्य बन्द है ।

(ग) ८३६

(घ) २५७

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही हैं कि राजस्थान में सहकारिता की प्रगति बहुत मन्द है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह बिलकुल सही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह जो कुछ भी प्रगति नजर आ रही है और जितनी समितियां बन्द होती जा रही हैं उससे माननीय मंत्री महोदय सन्तुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष—सन्तुष्ट-असन्तुष्ट का सवाल नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—इन सहकारी समितियों के बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—इसका एक कारण नहीं होता, उनके सदस्यों की कार्य-प्रणाली पर और उनकी व्यवस्था पर, यह सारा निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष—अनेक कारण हैं।

(हंसी)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से समय २ पर ऑडिट न होने की वजह से सहकारी समितियों के सदस्य उसकी कीमत को नहीं समझ पाते ?

श्री अमृतलाल यादव—जी, यह सही नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार की ओर से सहकारी व्यवस्था चालू करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी तो ट्रेन्ड किया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक ऑडिटर नियुक्त किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार ऑडिट कराया जाता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—कितने पांच वर्षों में ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है; वल्कि साल में कम से कम होनां चाहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस वर्ष कोई ऑडिटर ट्रेनिंग में गये हुए हैं क्या ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या १६६।

प्रश्न संख्या १६६

शिकार करने व मछली मारने के सन् १९५४-५५-५६ में आज्ञापत्रों से कोटा डिविजन में आय

श्री राज हिम्मतसिंह—Will the Minister for Forest be pleased to state :—

(1) What was the income to the Government from shooting licences given to the public in Kotah Division in the years 1954-55 and 1955-56 ?

(2) How many animals were shot out of the total number allowed in the licences in the above years ?

(3) How many fishing licences were given to the public in the above years in Kotah Division ?

(4) What had been the income to the Government from the fishing licences in the years mentioned above ?

(5) How many poachers were apprehended by the Forest Department in the above mentioned years for shooting and fishing without licences and how many were tried by Courts and fined ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(1) Rs. 10/- in 1954-55 and nil in 1955-56

(2) No animal was shot.

(3) No fishing licences were issued by the Divisional Forest Officer in Kotah Division in the years 1954-55 and 1955-56 by the Forest Department.

(4) Nil in the forest Department.

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(5) One case in 1954-55 was reported by His Highness the Maharao Sahib of Kotah. The case was handed over to the Police for investigation. The culprits were challaned to the Court of the Sub-District Magistrate, Kotah where it is pending.

श्री राज हिम्मत सिंह—Thanks for the information and congratulation for the work.

श्री अध्यक्ष:—It is hearty perhaps.

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—Yes, sir.

प्रश्न संख्या १२७

राजस्थान में सेंक्चुअरीज की स्थापना एवं उनका संरक्षण

श्री राज हिम्मतसिंह:—Will the Minister for Forest be pleased to state :—

(1) Whether the Government has established Game Sanctuaries in Rajasthan ?

(2) If so, when ?

(3) What is the boundry of the Game Sanctuaries in Kotah District ?

(4) What are the arrangements to look after them ?

(5) Are people allowed to drive through the Sanctuaries to have a look at the Wild Life ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—(1) Yes,

(2) 31-7-1955.

(3) The boundry is given below :—

East—The Ahu and Kali Sindh river.

West—The Chambal River.

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

North—The Mukandwara hill range from the Kalisindh river along Kotipura, Chand Baori, Baontha and Molsa villages.

South—The Mukandwara hill range from the Chambal to the Kalisindh along Ghantoli and Ghati Jagir villages.

(4) At present the present forest staff are looking after them, but proposals for special staff for game sanctuaries are under consideration of Government.

(5) There are no restrictions where there are thorough routes.

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि इस प्रकार के रिज़र्व से गांव के लोगों को दिक्कत आ रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि सरकार के सामने रेडो के लोगों ने शिकायत पेश की ?

एक माननीय सदस्य—क्या सरकार किसानों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इन रिजर्व को रखना पसन्द करती है ?

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मित्र इस ग्राउन्ड से परिचित नहीं हैं। मैं कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री भैरूंसिंह। (१३)

प्रश्न संख्या १९८

तहसील महोली में नाहर मगरा रिजर्व ब्लोक में मवेशी व भेड़-बकरी चराने के अधिकार

श्री भैरूं सिंह (१३)—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.17

[श्री भैरूंसिंह]

(क) तहसील माहोली में नाहर मंगरा रिज़र्व ब्लॉक के अन्दर आस पास के मवाजियात को मवेशी व भेड़-बकरी चराने का हक कितने बीघों पर दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि जिस जमीन पर मवेशी चराने का हक दिया है वह अब काश्त के लिए दी जा रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) नाहर मंगरा ब्लोक का कुल रकबा १२११६ बीघा में से ४००० बीघा अरक्षित बन में सम्मिलित है। इस अरक्षित बन में घास काटने के बाद मवेशी चरने दी जाती है किन्तु भेड़, बकरी को नहीं। अरक्षित बन के बाहर ३०६२ बीघा भूमि है जहां पर मवेशी व भेड़-बकरी चरने दी जाती है।

(ख) अरक्षित वन के बाहर कुल ८११६ बीघा भूमि है उसमें से ५०२७ बीघा काश्त हेतु दी जा चुकी है किन्तु ३०६२ बीघा भूमि चराई के लिए खुली है।

श्री भैरूंसिंह (१३)—कौन कौन से गांवों को यह हक दिया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह इन्फोर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। आपने जमीन का पूछा, उसका मैंने उत्तर दे दिया।

श्री भैरूंसिंह—मैंने तो आस पास के मवाजियात का प्रश्न पूछा था।

प्रश्न संख्या १९९

श्री अध्यक्ष—श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या २००

कस्टोडियन विभाग के रिट्रेन्च किये गये अधिकारियों को अन्य विभागों में नियुक्ति प्रदान करना

श्री प्रभुदयाल—क्या पुनर्वास विभाग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्टोडियन विभाग में अभी कितने और किन किन मुलाजिमों को रिट्रेन्च किया गया है और क्यों ?

[श्री प्रभुदयाल]

(ख) सरकार इन पुराने मुलाजिमों को दूसरे महकमों में एब्ज़ोर्ब करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) क्या यह सच है कि कस्टोडियन ने सीनीयर मुलाजिमों को हटा दिया, जब कि कई जूनियर अब भी हैं ?

(घ) क्या यह भी सच है कि कस्टोडियन ने अभी अभी कुछ नये मुलाजिमों को नियुक्त किया है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःस्थापन मन्त्री)—(क) २५ व्यक्ति गत मास में कम किये गये । उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है उन व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) कम किये जाने वाले व्यक्तियों को दूसरे रिक्त स्थानों पर लगाने की कोशिश की जा रही है ।

(ग) हां, कुछ सीनियर मुलाजिम हटा दिये गये, क्योंकि उनका काम सन्तोषजनक नहीं था ।

(घ) हटाये हुए व्यक्तियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए कोई नये व्यक्ति नहीं लिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हिम्मतसिंह—क्या सूची माननीय सदस्य को भेज दी है ?

श्री अमृतलाल यादव—सदन में रख दी गई है, उन्हें मिल गई होगी ।

श्री प्रभुदयाल—मिल गई ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—There seems to be some prompting.

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०१

झुंझुनू के बुनकर सहकारी समिति के हिसाब की जांच

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या झुंझुनू में कोई बुनकर सहकारी समिति है ?

(ख) यदि हां, तो उसके कितने रुपयों के कितने शेयर हैं ?

(ग) इस सहकारी समिति का सहकारी विभाग की ओर से कब कब हिसाब देखा गया और उसका क्या नतीजा रहा ?

(घ) इस समिति का मन्त्री कौन है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस समिति का कुल धन मन्त्री के पास है और वह उसको शेयर होल्डर्स में वितरित नहीं करता ?

(च) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) हां।

(ख) आरम्भ में इस समिति में १०) की शेयर के हिसाब से ३६ सदस्यों के ३६ हिस्सों के ३६० शेयर पूंजी में जमा हुए थे। इस समय शेयर पूंजी की स्थिति क्या है यह सही बताना कठिन है क्योंकि समिति का रेकॉर्ड विभाग के अधिकारियों को प्राप्त नहीं हो रहा है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आरम्भ में मंत्री श्री नजीर अहमद थे। इसके बाद की सूचना रिकॉर्ड के न मिलने के कारण प्राप्त नहीं है।

शेयर की रकम के सम्बन्ध में जब तक समिति के पत्रादि प्राप्त न हों तब तक यह बताना कठिन है कि किस व्यक्ति के पास समिति का कितना धन है, किन्तु किसी शेयर होल्डर्स की ओर से विभाग के पास इस सम्बन्ध में आज तक कोई शिकायत नहीं आई है।

(ङ) समिति का रेकॉर्ड न मिलने तथा समिति अर्से से बन्द रहने के कारण निरीक्षक की रिपोर्ट पर जांच जारी है।

श्री भैरूसिंह—समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या अब तक कार्यवाही की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने बताया कि जांच जारी है और उसी की रिपोर्ट के आधार पर सब मालूम हो सकेगा।

श्री भैरूसिंह—आपको सबसे पहले इसकी कब सूचना मिली ?

श्री अमृतलाल यादव—आपने ऐसी कोई तारीख तो पूछी नहीं, अगर फिर पूछेंगे तो बता सकता हूँ।

श्री भैरूसिंह—सरकार ने किस दिन से कार्यवाही शुरू कर रक्खी है ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार ने कार्यवाही शुरू कर रक्खी है, तारीख नहीं बता सकता।

श्री भैरूसिंह—किस साल से शुरू कर रखी है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मैंने कहा कि यह मुझे मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष—But then this is a case of defalcation.

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि पूरे शेयर होल्डरों के रुपयों का गबन किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने कहा कि इस प्रकार की कोई सूचना शेयर होल्डरों ने नहीं दी। चूंकि इस संबन्ध में जांच हो रही है इसलिये पहले कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि निरीक्षक को शेयर होल्डर्स ने सूचना दी और उसने संबन्धित मन्त्री को और फिर सरकार की ओर से जांच की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि शेयर होल्डरों ने खुद निरीक्षक को बतलाया और उसके बाद निरीक्षक ने मिनिस्टर को बताया।

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह भी जानकारी नहीं है, यह तो जानकारी होनी चाहिये। इसलिए इसकी जानकारी हो जावे तब बतला दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री भैरूसिंह—प्रश्न पूछना है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न तो पूछा गया है ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि जिन मंत्री के पास यह रकम थी उसको सरकार की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने बार बार जवाब दिया है कि इसकी जांच हो रही है। जांच मुकम्मिल हो जाने के बाद ही जो कुछ कार्यवाही हो सकती है की जावेगी ।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि इस जांच के बारे में मंत्री से कोई पूछ ताछ नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष—जांच की डेट का आपको पता नहीं कि कोनसे साल में हुई, कब हुई ।

श्री भैरूसिंह—जांच कौन कौन सदस्य कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०२.

सन् १९५२-५३ में शासकीय बीड़ों से घास एकत्रित करने की योजना के अन्तर्गत कार्यवाही

श्री भैरूसिंह—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५२-५३ में सरकारी बीड़ों से घास इकट्ठा करने की कोई योजना थी ?

(ख) यदि हां, तो उस योजना के मातहत कितना घास एकत्रित किया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो वह योजना क्या मंसूख कर दी गई थी ?

(घ) क्या अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार अब ऐसी योजना बना कर लागू करने का विचार करती है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री. बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी हां।

(ख) योजना अमल में नहीं लाई जा सकी।

(ग) माह अक्टूबर, सन् १९५२ को योजना बनाई गई थी और ६. १०. ५३ को मंसूख कर दी गई क्योंकि रिलीफ कमिश्नर ने उस वर्ष सरकारी तौर पर घास एकत्रित करना उचित नहीं समझा, इसलिए कि उस वर्ष उनको बाहर से जो घास प्राप्त हो रही थी वह यहां के एकत्रित करने के बनिस्बत ज्यादा सस्ती थी।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने इस योजना को कार्य रूप में लाने के लिये सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मंजूर कराई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह प्रश्न अलग से पूछिये।

श्री भैरूसिंह—यदि इस प्रकार की रकम स्वीकार कराई तो वह इसी काम में क्यों नहीं ली गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हो सकता है, जहां सस्ता घास उपलब्ध हो तो वहां से लिया जाय।

श्री भैरूसिंह—यह सारी की सारी योजना कोन से साल और महीने में बनाई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह प्रश्न अलग से पूछिये। सूचना मंगा कर दी जावेगी।

श्री भैरूसिंह—सरकार ने इसकी सूचना कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट को दी क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भैरूसिंह—यह कौनसी तारीख को रद्द कर दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—६. १०. ५३ को।

श्री भैरूसिंह—क्या ६. १०. ५३ के बाद में फाइनेन्स को लिखा गया ?

Page No.23

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फाइनेन्स को लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने इस बात को रख कर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट की योजना बनाई और उसके आधार पर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट ली ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री शंभुसिंह—क्या यह सही है कि घास अच्छी नहीं होने से बहुत से पशु उसको खाने से मर गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बिल्कुल गलत है।

श्री शम्भूसिंह—क्या सरकार इसकी जांच करवाना आवश्यक समझती है ?

श्री अध्यक्ष—जब बिल्कुल गलत है तो...

श्री बृजसुन्दर शर्मा-जब बिल्कुल ही गलत है तो जांच करवाने की क्या आवश्यकता है

श्री अध्यक्ष—This is doublv false.

श्री भैंरूसिंह—इस कार्य को मन्सूख करने की सूचना फाइनेन्स डिपार्टमेंट को सरकार द्वारा दी गई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब घास ही नहीं खरीदा गया तो उस आधार पर क्यां सूचना देते ?

श्री भैंरूसिंह—योजना को स्वीकार नहीं करने के बाद सूचना दी गई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—योजनाओं को स्वीकार करने के बाद में मन्सूख किया गया है।

श्री भैंरूसिंह—योजनाओं को मन्सूख करने की सूचना फाइनेन्स डिपार्टमेंट को दी गई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—योजना को मन्सूख करने की सूचना से मतलब है आपका कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट को मन्सूख करने की सूचना दी गई या नहीं ? जब रकम खर्च नहीं हुई तो रकम वापस जमा हो गई।

श्री अध्यक्ष—दोनों डिपार्टमेंट एक ही हैं। (हंसी)

श्री भैरूसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि योजना स्वीकार नहीं की गई, इस बात की सूचना फाइनेन्स डिपार्टमेंट को दी गई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—योजना स्वीकार की गई, उसकी सूचना दे दी गई लेकिन मन्सूख कर दी गई इसकी सूचना दी या नहीं; तो जब रकम खर्च होगी तो खर्च हो जायगी और अगर खर्च नहीं होगी तो जमा हो जायगी।

श्री भैरूसिंह—जब योजना नवम्बर के महीने में मन्सूख की गई तो उसकी सूचना उसी महीने में या दिसम्बर के महीने में फाइनेन्स डिपार्टमेंट को दी गई या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं नहीं समझा कि यह सवाल कौन से वक्त का है ?

श्री भैरूसिंह—जब आपने चार्ज लिया है उस वक्त का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या फाइनेन्स डिपार्टमेंट को समय रहते रहते यह एमाउन्ट सरेन्डर कर दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह योजना सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण सरेन्डर नहीं हो सकी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब के से पूछिए, मैं नहीं समझा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मन्सूख होने की सूचना नहीं मिलने के कारण फोरेस्ट डिपार्टमेंट इस एमाउन्ट को सरेन्डर नहीं कर सका ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—खर्च नहीं कर सका होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरेन्डर नहीं कर सका। खर्च की बात अलग है और सरेन्डर की बात अलग है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसका अलग से सवाल पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट को फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने योजना को मन्सूख करने की सूचना नहीं दी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं दी होगी।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, होगी या नहीं होगी के बारे में अनिश्चितता है; निश्चित उत्तर दें तो मैं और पूछूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, पता नहीं; आपका यह प्रश्न कहां से एराइज़ हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—In the air.

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनका प्रश्न है कि घास इकट्ठा करने की क्या योजना बनी थी ? यदि हां, तो उस योजना के मातहत कितना घास एकत्रित किया गया ? यदि नहीं, तो वह योजना कब मंसूख कर दी गई थी ? क्या अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिये सरकार अब ऐसी योजना बनाकर लागू करने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न संख्या १८६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—Question of 15th December. (श्री बृजसुन्दर शर्मा से) जवाब देंगे ?

(विराम)

He is not present.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब वे हैं ही नहीं तो क्या जवाब दूं ?

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न लिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :—

१. श्री अर्जुनसिंह	१२ दिसम्बर से सत्र के अन्तिम दिन तक।
२. श्री आपजी रघुराजसिंह	१२ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान सार्वजनिक न्यास एवं राजस्थान दहेज निवारण विधेयक, १९५२ का सम्बन्धित प्रस्तावकर्त्ताओं के देहावसान के कारण व्ययगमन

श्री अध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट विधेयक, १६५२ को जिसे स्वर्गीय श्री माधोप्रसाद एन० पण्डित ने पुरःस्थापित किया था और राजस्थान प्रिवेन्शन ऑफ डॉवरी विधेयक, १६५२, जिसे स्वर्गीय श्री कपिलदेवजी द्वारा पुरःस्थापित किया जाकर प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था, व्ययगमन अर्थात् लेप्स हो गये।

राजस्थान विधवा तथा द्वितीय पत्नी पोषण विधेयक, १९५५ तथा अनमेल एवं द्वितीय विवाह निवारण विधेयक, १९५५

(पुर : स्थापित नहीं किये गये)

श्री अध्यक्ष—Shri Madhosingh.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कौन से माधोसिंह ?

श्री अध्यक्ष—Shri Madho singh, Division No. 90; the ex-Chairman.

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—Shri Modho Singh to move for leave to introduce" The Rajasthan Maintenance of Widows and Second Wives Bill, 1955."

(प्रस्ताव कर्ता अनुपस्थित)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Widows or second wives ?

श्री अध्यक्ष—That is for the hon'ble member to explain.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, अगर आपकी इजाजत हो तो उनकी तरफ से मैं यह बिल पुरःस्थापित कर दूं।

श्री चन्दनमल बैद—हम आपको भी खोना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—Shri Madho Singh to move for leave to introduce "The Rajasthan Prevention of ill-matched and Second Marriage Bill, 1955."

(प्रस्ताव कर्ता अनुपस्थित)

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (उत्सादन) विधेयक, १९५२

(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष—Bill for consideration and passing. Further consideration on the following motion moved by Shri Gopilal Yadav :—

" That the Rajasthan Animal & Birds Sacrifices (Abolition)Bill, 1952."

एक माननीय सदस्य—Further discussion ?

कुछ माननीय सदस्य—Lapsed.

श्री अध्यक्ष—No, this is for further consideration. I should put it to vote.

श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे एमेन्डमेन्ट्स हैं (हंसी) । यदि आज्ञा हो तो जनरल डिसक्शन पर निवेदन किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—जनरल डिसक्शन नहीं ।

श्री शम्भूसिंह—फर्दर डिसक्शन के मायने हैं कि जनरल डिसक्शन में कुछ निवेदन किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन रख दूं इसी पर ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नहीं साहब, हमको बोलना बहुत है ।

श्री अध्यक्ष—I wanted to know the general wish of the members.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस पर काफी बोलना है ।

The general wish of the members is that it should be deferred. I suggest that yesterday's debate, which is inconclusive, may continue and then if time permits, we can take it.

श्री अध्यक्ष—I will like to take the general consent of the House to defer it, otherwise I will put it to vote.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—No, sir, यह डेफर कर दिया जाय और कल बहस जो चल रही थी और अनकन्क्लूज़िव रह गई थी वह चालू की जाय।

श्री अध्यक्ष—So the consensus of the opinion of the House is that further consideration on this Bill be deferred.

कुछ माननीय सदस्य—No.

श्री अध्यक्ष—If there is a little dissenting voice, I will like to go with the further consideration.

श्री जसवन्तसिंह—It may be deferred.

श्री अध्यक्ष:—If the House agrees unanimously; otherwise, if there is a single dissenting voice, I will go for further discussion or put the question, as the case may be. So I presume, unless I hear; I presume that the House is unanimous on this point.

एक माननीय सदस्य:—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष:—So we defer it.

राजस्थान पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, १६५४ (विचार-विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष:—Shree Ram Ratan Tikkiwal to move that The Rajasthan Preservation of Certain Animals (Amendment) Bill, 1954, be taken into consideration.

(प्रस्ताव कर्ता अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—This should also be deferred.

श्री अध्यक्ष:—So this drops automatically.

राजस्थान नग्न उपस्थिति एवं प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १६५५ (विचार-विमर्श स्थगित)

Shri Bhimsingh to move for consideration of the Rajasthan Nude Appearance & Exhibition (Prohibition) Bill, 1955.

कु० श्री जसवन्तसिंह:—This may also be deferred, Sir.

श्री अध्यक्ष:—I think this Bill is a corollary to the other Bill.

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैं टाइम पर आ गया हूं, इसलिये उसको लिया जावे........

श्री अध्यक्ष:—Late comers are separately dealt with by the House.

(विराम)

Yes, Shri Bhim Singh

श्री भीमसिंह:—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इसको अगले सेशन तक डेफर कर दिया जावे।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—Is it the unanimous wish of the House ?

श्री खेतसिंह—No, sir.

श्री अध्यक्ष—When the Speaker is on his legs no member should please stand. Is it the unanimous wish of the House ?

(स्वीकृत)

Then this is deferred.

राजस्थान पशु-पक्षी वलिदान (उत्सादन) विधेयक, १९५५

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मुझे निवेदन यह करना है कि अगले सेशन में लिये जाने में मुझे एतराज नहीं है पर माननीय अध्यक्ष, हमें आश्वासन जरूर दें कि अगले सेशन में जब तक यह पास नहीं होगा तब तक इसको पूरा टाइम दिया जावेगा।

(हंसी)

वरना इस हाउस पर यह लांछन रह जावेगा कि ५ साल में एक ८ लाइन का बिल पास नहीं हो सका।

(हंसी)

Page No.30

[श्री गोपीलाल यादव]

इसलिये यह अगली विधान सभा में नहीं जाना चाहिये, इसी में हो जाना चाहिये ।

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है कि इस तरह के प्राइवेट बिल बहुत अशुभ हो गये हैं । २ बिलों को प्रेस किया गया और हमें इस बात का बडा दुख है कि उनके प्रस्तावक महोदय भी आज नहीं रहे । तो ऐसी सूरत में माननीय गोपीलालजी यादव जैसे युवक सदस्य द्वारा ऐसा बिल हमारी राय में प्रेस नहीं किया जाना चाहिये ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—युवक, या वृद्ध युवक ?

(हंसी)

मैं किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं हूं कि माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकूं कि इस विधान सभा के इसी कार्यकाल में यह विधेयक पास किया जायगा । यह अधिकतर सदन के माननीय सदस्यों की विचारधारा और उनके कार्य करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है । एक बात में अवश्य कहूंगा कि जो माननीय सदस्य अपने विधेयकों को पारित कराने की प्रबल इच्छा रखते हैं उनको कुछ अन्तर्मुखी वृत्ति, अन्तर्मुखी विचार रखने चाहिये और जो उत्कण्ठा, इच्छा पास कराने की होती है उसी माफिक समय पर आकर उन्हें हाजिर होना चाहिये; Otherwise all the members were very keen to out--vote it rather.

(हंसी)

Yes, Outstanding resolutions from the List of Business of the 15th December, 1955.

कम वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन व ग्रेड उचित करने के लिये एक आयोग की स्थापना करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प (पूर्व क्रम से)

श्री **भैरोंसिंह** (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पे कमिशन (pay commission) के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय अध्यक्ष, राजस्थान के आज एक कोने से या कुछ विभागों से ही नहीं बल्कि जितने भी छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं, वे चाहे सरकारी विभाग में हैं या अर्घ सरकारी विभाग में हैं या प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में हैं, उन सब की आज एक आम शिकायत है कि हमारी तनख्वाह और मंहगाई भत्ते का स्तर दूसरे राज्यों के कर्मचारियों के मुकाबिले

[श्री भैंरूसिंह]

में बहुत कम है और जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति को देखते हुए वह बहुत कम हैं और रोजाना सरकार की ओर से आश्वासन मिलते हैं कि उनकी तनख्वाहों की वृद्धि के बारे में सरकार विचार कर रही है। पर कई दिनों की आशाओं और इन्तजार के बाद भी सरकार की ओर से इस प्रकार का विश्वास सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया गया है कि सरकार बड़े अफसरों की तनख्वाहें कम करके, या और किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करके; राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके उनकी तनख्वाहें बढ़ायेगी। इसी कारण छोटे कर्मचारियों के दिलों में जिनकी कि संख्या बड़े अफसरों के मुकाबिले में बहुत अधिक है, सरकार के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास की भावना दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि रोजमर्रा इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि राज्य के कार्य संचालन में कोई न कोई बाधा आती ही रहती है। उन बाधाओं का निराकरण करने वाले ये ही लोग हैं जिनके दिलों में सरकार के प्रति असंतोष है, ये लोग घर वालों के भरण-पोषण की चिन्ता में लगे रहने के कारण काम नहीं कर सकते।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह बड़ा ही जरूरी है और सरकार की ओर से इस पर ध्यान दिया जाकर अवश्य इसे अमल में लाना चाहिये। एक समिति नियुक्त की जाकर उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयन्दा कोई कार्यवाही अमल में लाई जाय।

मैं समझता हूँ कि यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा और आवश्यक है और इसे जरूर पास करना चाहिये।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है।

(रावत श्री शम्भूसिंह के एकाएक स्थान ग्रहण कर लेने पर)

श्री अध्यक्ष—There should be no prompting from behind.

(श्री श्यामलाल गोयल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

फिर इधर से भी whipping शुरू हो गया ?

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव क्लास फोर्थ कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये पे कमेटी मुकर्रर करने का पेश हुआ है, जिस रूप में यह प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं विरोध करता हूं और वह इसलिये......

कुं० श्री जसवन्त सिंह—हद हो गई।

श्री श्यामलाल गोयल—कि राजस्थान सरकार इस चीज को मानती है और बार बार सदन के सामने सरकार की ओर से कहा जा चुका है कि क्लास फोर्थ कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये और सरकार इस पर विचार कर रही है। तो जिस चीज को सरकार मानती है उस चीज के लिये कमेटी मुकर्रर की जाय, यह ठीक नहीं। इसलिये जहां तक कमेटी बिठाने का प्रश्न है उसका मैं विरोध करता हूं। क्लास फोर्थ कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये और जरूर बढ़नी चाहिये; हमारे राजस्थान में कई प्रश्न पैदा हो गये हैं उनमें से एक प्रश्न ब्राइबरी का है और उस पर विधान सभा में भी बहुत बहस हुई कि इस ब्राइबरी को रूट आउट करना चाहिए, इस कारण से भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिये, अगर नहीं बढ़ीं तो इन कम तनख्वाहों की वजह से हम ब्राइबरी को प्रोत्साहन देते हैं। इस कारण के अलावा एक और महत्वपूर्ण दूसरा कारण है; वह यह है कि स्टेट रीओर्गेनाइज़ेशन कमीशन ने रिपोर्ट की है कि अजमेर राजस्थान में मिलाया जाय। अजमेर में कर्मचारियों की तनख्वाहें बमुकाबिले राजस्थान के ज्यादा हैं। राजस्थान बना उस वक्त फोर्मर राजस्थान में तनख्वाहें बहुत बढ़ गई थीं, मत्स्य में भी जो कि राजस्थान में मिल गया वहां भी तनख्वाहें बढ़ गईं, पर फोर्मर जयपुर स्टेट थी, उसमें कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती थी, उन लोगों को बहुत सफर करना पड़ा और अजमेर के यहां मिलने पर फिर वही दिक्कत होने वाली है कि अजमेर के जितने अफसर कर्मचारी होंगे, वे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले होंगे इसलिये यहां के कर्मचारियों को और अफसरों को उन लोगों से नीचे जाना पड़ेगा और उनको बहुत नुकसान होगा। इसलिए समय रहते यह सरकार को देखना चाहिए कि हम तनख्वाहें राजस्थान में उस स्तर पर कर दें जिस स्तर पर कि अजमेर में हैं।

एक दूसरा कारण और भी है जिसकी वजह से मैं ऐसा अर्ज करना चाहता हूँ। जो स्टेट्स रिओर्गेनाइज़ेशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार भी आयन्दा साल राजस्थान 'ए' स्टेट होने वाली है और 'बी' स्टेट रहने वाली नहीं है, तो आगे चल कर राजस्थान में भी वे ही तनख्वाहें करनी पड़ेंगी जो कि पार्ट 'ए' स्टेट्स में हैं। जो आगे चल करके बाध्य होकर सरकार को करना पड़े वह आज कर ले तो अच्छी बात होगी।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां कि हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट सोशलिस्टिक पेटर्न पर चले और जैसा कि कांग्रेस की ओर से रिज़ोल्यूशन पास हो चुका है तो तनख्वाहों में इतना बड़ा फर्क कि एक तरफ एक शख्स को तीन हजार रुपया मिल रहा है और दूसरी तरफ २५) महावार मिल रहा है; जैसा कि फोरेस्ट गार्ड्स के सम्बन्ध में बताया गया था, तो इस विषमता को जितना जल्दी हो सके हमको दूर करना है, और दूर करना भी चाहिए।

दूसरा मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो तनख्वाहों के बढ़ाने के बारे में राय देने वाले सेक्रेट्रीज़ वगैरह हैं वे राय देते वक्त अपना ज्यादा ख्याल रखते हैं बनिस्पत उनके कि जो क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स हैं। जो प्रोपोज़ल्स चल रहे हैं, या जो स्कीम चल रही है, कहा यह जा रहा

[श्री श्यामलाल गोयल]

है कि आर. ए. एस. और आई. ए. एस. ओफिसर्स को ग्रेड में, तनख्वाहों में १००), २००) और २५०) बढ़ रहे हैं। तो मैं यह सोचता हूं कि आज की स्थिति को देखते हुए जो कि वास्तव में चिन्ताजनक है कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स को इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि गरीब, क्लास फोर सर्वन्ट्स, को पेट भरने के लिए पर्याप्त तनख्वाह मिले बनिस्पत इसके कि उन आर. ए. एस. और आई. ए. एस. ओफिसर्स की तनख्वाहों में १००) २००) या २५०) और बढ़ा दें। यही मैं समझता हूं कि सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर बढ़ने का एक कदम होगा।

यह कहा जा सकता है कि फाइनेन्सेज़ की कमी है, फाइनेन्शियल पोजिशन ठीक नहीं है। मैं इस दलील से सहमत नहीं हूं। इस सदन ने ही कस्टम्स की समाप्ति करके सेल्स टैक्स लगाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। अगर सरकार उनके लिए प्रोविजन्स कर सकती है, पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए, जो कि चलने वाली है, उसके लिए व्यवस्था कर सकती है। तो मैं कोई कारण नहीं मानता कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स के लिए यह बानेसाजी करके, मैं इसको बानेसाजी मानता हूं, बजट में प्रोविजन न कर सकें। हमें दुख होता है और दुख होना चाहिए कि हम इतनी तन्ख्वाहें भी लोअर ग्रेड के कर्मचारियों को नहीं देते कि उनका पेट भर जाय। इस प्रस्ताव की जैसी कि मूल मंशा है कि उनकी तन्ख्वाहें बढ़नी चाहिए मैं इसका पुर जोर समर्थन, जितना करना चाहिए करता हूं। लेकिन जहां तक कमेटी बनाने का सम्बन्ध है मैं इससे सहमत नहीं हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने चलते २ कहा था कि ग्रेड्स का रिविजन हो रहा है। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रेड्स का रिविजन क्लास फोर सर्वेन्ट्स के लिए इस प्रकार न हो कि जैसे एक टुकड़ा फेंक दिया गया, उनकी पांच-सात रुपया की तनख्वाह में वृद्धि कर दें और उनको इस प्रकार बढ़ाकर ऊपर जो अफसर लोग हैं उनकी १००), २००), २५०) बढ़ा दें। मैं यह समझता हूं कि सबसे पहले प्रोपोज़ल्स उन क्लास फोर सर्वेन्ट्स की तनख्वाह बढ़ाने के लिए होने चाहिए जो सबसे ज्यादा मेन्युअल लेबर करते हैं और सबसे कम उनकी कदर है। उनको कोई नहीं पूछता, टकासा जवाब मिलता है। सुबह छः बजे जाते हैं, अफसर ने बुलाया है, शाम तक बैठे रहते हैं, ७ बजे तक बैठ जायं। अफसर ने बुलाया है, न उनको खाने की परवाह है और न परिवार को देखने की। न उनको समय ही मिलता है। जैसे फैमीन में एरियर वर्क्स आते हैं और उनको टोप प्रायोरिटि दी जाती है, तो मैं अर्ज करता हूं कि क्लास फोर सर्वेन्ट्स के मामले को भी टोप प्रायोरिटी देकर उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी विधान सभा पर, हमारी सरकार पर आक्षेप है, हम उनको इतनी भी तनख्वाह नहीं देते कि जिससे उनका पेट भर सके। और हम करप्शन और ब्राइबरी को प्रोत्साहित करते हैं। अगर वह सरकार है, कोई सरकार है तो इस आक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही करना चाहिए।

[श्री श्यामलाल गोयल]

तो जो प्रस्ताव है उसका मूल रूप में समर्थन करते हुए मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी या मंत्री जी इस मामले में आश्वासन देंगे और आश्वासन देने पर मेरे लायक मित्र जिन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया है उसको वापिस ले लेंगे।

श्री अध्यक्षः—आश्वासन ही दे रहे थे।

कु० श्री जसवन्तसिंहः—चेलेन्ज लेने को तैयार नहीं हैं।

श्री वेदपाल त्यागीः—Mr. Speaker, Sir. In view of the assurance given by the Chief Minister the question may be put to the House.

श्री हरिकृष्ण व्यासः—Let the Finance Minister reply.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री):—माननीय अध्यक्ष, मेरी धारणा तो यह होती है कि जब कोई सवाल हमारे सामने पेश होता है और उसको टालने की नीयत होती है तो कमेटी की व्यवस्था करना होता है, और इसलिए मेरे मित्र ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है, शायद उनके दिमाग में यह भावना हो कि दो-चार साल के लिए टले, कोई कमेटी बैठे, उसकी रिपोर्ट पेश हो, रिपोर्ट पेश होने के बाद आब्जेक्शन्स आयें, उनको सुनें और उसमें एक-दो साल लग जांय; अगर उनकी ऐसी भावना है तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

लेकिन यह प्रश्न, जहां तक रेश्नेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स का ताल्लुक है, यह सरकार के विचाराधीन था और अब भी विचाराधीन है। इसके ऊपर कई दिनों से बहस भी चल रही है कि किस तरह से हमारे यहां के ग्रेड्स का स्तर रखा जाय जिससे कि हम लोगों को संतोष दे सकें। यह कहना कि यह विश्वास दिलायें कि हमारे यहां बहुत ज्यादा जो अभी ग्रेड्स हैं उनसे बहुत ज्यादा मिल जायगा और जैसा कहा गया है कि बड़े २ ऑफिसर्स को हजार दो हजार रुपया मिल जायगा, ऐसी बात नहीं है। नई पे स्केल्स के रेश्नेलाइजेशन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो बड़े २ ऑफिसर्स हैं उनको किसी को भी ५०) ६० से अधिक इन्क्रीमेंट नहीं मिल सके। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जायगा कि वास्तव में हमारे नीचे दर्जे के जो कर्मचारी हैं वे अगर किसी ग्रेड पर रुके हुए हैं, या वह ग्रेड क्या होना चाहिए, कितना उसको दिया जाना चाहिये डीयरनेस अलाउन्स कितना होना चाहिये और डियरनेस अलाउन्स के लिए आगे क्या कार्यवाही होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें सरकार के विचाराधीन हैं और जो अभी कहा गया कि मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है, मुख्य मंत्रीजी स्वयम् आ गये हैं, और उस आश्वासन का जहां तक ताल्लुक है यह मामला सरकार के विचाराधीन है तो सदन को पहले उसका इन्तजार करना चाहिए। ये पहले ग्रेड्स निकल जांय और उनके निकल जाने के बाद में उनसे कोई संतोष न हो या उससे कोई ऐसी चीज़ प्रकट हो कि सदन को मालूम हो कि वह ठीक नहीं है तो फिर कहीं जाकर ऐसे पे स्केल्स कमीशन की, या

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (उत्सादन) विधेयक, १९५२

(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष—Bill for consideration and passing. Further consideration on the following motion moved by Shri Gopilal Yadav :—

" That the Rajasthan Animal & Birds Sacrifices (Abolition)Bill, 1952."

एक माननीय सदस्य—Further discussion ?

कुछ माननीय सदस्य—Lapsed.

श्री अध्यक्ष—No, this is for further consideration. I should put it to vote.

श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे एमेन्डमेन्ट्स हैं (हंसी) । यदि आज्ञा हो तो जनरल डिसक्शन पर निवेदन किया जा सके।

श्री अध्यक्ष—जनरल डिसक्शन नहीं।

श्री शम्भूसिंह—फर्दर डिसक्शन के मायने हैं कि जनरल डिसक्शन में कुछ निवेदन किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन रख दूं इसी पर ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नहीं साहब, हमको बोलना बहुत है ।

श्री अध्यक्ष—I wanted to know the general wish of the members.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस पर काफी बोलना है ।

The general wish of the members is that it should be deferred. I suggest that yesterday's debate, which is inconclusive, may continue and then if time permits, we can take it.

श्री अध्यक्ष—I will like to take the general consent of the House to defer it, otherwise I will put it to vote.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—No, sir. यह डेफर कर दिया जाय और कल बहस जो चल रही थी और अनकन्क्लूजिव रह गई थी वह चालू की जाय।

श्री अध्यक्ष—So the consensus of the opinion of the House is that further consideration on this Bill be deferred.

कुछ माननीय सदस्य—No.

श्री अध्यक्ष—If there is a little dissenting voice, I will like to go with the further consideration.

श्री जसवन्तसिंह—It may be deferred.

श्री अध्यक्ष:—If the House agrees unanimously; otherwise, if there is a single dissenting voice, I will go for further discussion or put the question, as the case may be. So I presume, unless I hear; I presume that the House is unanimous on this point.

एक माननीय सदस्य:—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष:—So we defer it.

राजस्थान पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार-विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष:—Shree Ram Ratan Tikkiwal to move that The Rajasthan Preservation of Certain Animals (Amendment) Bill, 1954, be taken into consideration.

(प्रस्ताव कर्ता अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—This should also be deferred.

श्री अध्यक्ष:—So this drops automatically.

राजस्थान नग्न उपस्थिति एवं प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श स्थगित)

Shri Bhimsingh to move for consideration of the Rajasthan Nude Appearance & Exhibition (Prohibition) Bill, 1955.

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कमेटी की आवश्यकता होती है। मैं तो यह मानता हूं कि माननीय सदस्य इसको खुद टालना चाहते हैं और अगर टालना नहीं चाहते हैं तो फिर इसको सरकार पर छोड दे। जब सरकार के विचाराधीन मामला है तो सरकार उस पर गौर करेगी और शीघ्र ही सरकार निर्णय अपना जो कुछ भी है वह प्रकाशित कर देगी। जो कुछ भी बहस मुबाहिसा में, केल्कुलेशन करने में जितना टाइम लगता है वह तो लगता ही है। साथ ही साथ माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान की जो माली हालत है इस समय, वह आयन्दा आने वाले जमाने में ठीक हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे हमारी हैसियत अच्छी हो सकती है, जो कुछ भी प्रोग्राम्स चल रहे है उनके मुताबिक हमारी आगे हालत अच्छी बढने वाली है और उसके साथ साथ हमारी शृंखला में, हमारे स्तर में तरक्की आयगी और वह आवश्य ऊंची उठेगी। और वे अवश्य ऊंचे होंगे। इस आश्वासन के साथ मैं मेरे माननीय मित्र से कहूंगा कि अगर वे यह चाहते हैं कि इसमें विलम्ब न हो तो अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें। कमेटी मुकर्रर करने के मायने होंगे विलम्ब करना।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ इतना ही है, मैं इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि अगर पे स्केल्स विचाराधीन हैं तो आप उसके लिए मियाद फिक्स कर दें तो हमको संतोष हो जायगा। जब तक आप मियाद फिक्स नहीं करते तो ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति है, जिसके बच्चे हो गये उन बच्चों की शादी हो गई और उसके भी बच्चे हो गये किन्तु अब तक उसको पेन्शन नहीं मिली। ऐसी हमारे सामने अनेक बातें आ चुकी हैं। केवल विचाराधीन है, इतना कहने से हमें सन्तोष नहीं होता। विचाराधीन होने की कोई मियाद अगर सरकार मुकर्रर करती है, पे कमिशन का जो प्रस्ताव हमारे विपक्ष की तरफ से रखा गया है उसे मेरे माननीय मित्र विद्ड्रा कर सकते हैं। 'विचाराधीन' यह कहना मैं समझता हूं इसको टालने जैसा है। अगर माननीय मंत्री यह आश्वासन दे दें कि अमुक अमुक समय तक यह तय कर देंगे तो मेरे मित्र इस प्रस्ताव को वापिस लें। केवल विचाराधीन कहने से सन्तोष नहीं होता, ऐसी कई चीजें विचाराधीन होती हैं, उसमें कितना ही समय निकल जाता है, साल के साल निकल जाते हैं इसलिए इस विचाराधीन की अवधि तय होनी चाहिये, इस प्रकार का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं समझ यह रहा था कि माननीय मन्त्री महोदय इसके लिए कोई समय मुकर्रर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—He says it is under consideration.

श्री वेदपाल त्यागी—सरकार समय बता दे तो कोई बुराई की बात नहीं होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और हमने कुछ चीजों में निर्णय भी ले लिया है। इन दिनों

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बहुत ज्यादा काम होने की वजह से किसी नतीजे पर हम नहीं पहुँच पाये हैं। अब इसमें दो महीने से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप दो महीनों के बजाय छः महीने भी लगा लें तो हमें सन्तोष होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा अभी यह कहा गया है कि इस विषय पर दो महीने में निर्णय हो जायगा, इस बिना पर यह जो प्रस्ताव सदन के सामने हैं उस पर प्रेस करना मैं आवश्यक नहीं मानता। निर्णय होने के बाद जैसा कि अभी वित्तमन्त्री महोदय द्वारा यह कहा गया कि बड़े अधिकारियों के लिए तो पचास रुपये मुकर्रर हो ही गये लेकिन अभी छोटे कर्मचारियों का मामला विचाराधीन है। उस विचार में किसी प्रकार की कमी रह जायगी तो सदन उस पर पुनः विचार कर पायेगा,- ऐसा भी कहा गया है। इसलिये मैं यह ठीक नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को अभी प्रेस करूं। जब इस बारे में सरकार द्वारा दो महीनों में ही निर्णय लिया जाने वाला है, तो जब उनका निर्णय आ जायगा फिर इस पर विचार हो सकता है। इसी बिनाह पर मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू) व श्री चांदमल मेहता की अनुपस्थिति के कारण दोनों अशासकीय संकल्पों का विलोपित होना

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह।

(अनुपस्थित)

This drops automatically. श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री संतोषसिंह।

वेश्यावृत्ति विधि द्वारा समाप्त करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री सन्तोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"इस सदन की सम्मति में वैश्यावृत्ति को सरकार कानून बनाकर समाप्त करे।"

मेरा मूल प्रस्ताव इस प्रकार था कि वैश्यावृत्ति एक सामाजिक कुरीति है जनता के सदाचार की दृष्टि से......

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो अमेन्डमेंट प्रस्ताव है उसे ही मूव किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—Let him have the satisfaction of reading his own.

श्री सन्तोषसिंह—(जारी) मेरा प्रस्ताव वेश्यावृत्ति को रोकने का जो है वह इसलिए है कि यह कोई नई बात नहीं। हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज करीब सात-आठ साल हो गये, ऐसी हालत में भी जब सब ओर से इसकी बुराई की जा रही है, सरकार द्वारा कानून बनाया जावे, तभी यह प्रथा बंद हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—This is self explanatory.

श्री सन्तोषसिंह—(जारी रखते हुए) यह वेश्यावृत्ति एक घृणित चीज ही नहीं है बल्कि समाज में कई प्रकार की कुरीतियां पैदा हो जाती हैं। वेश्यावृत्ति से केवल वेश्याओं को ही नुकसान नहीं होता, हमारे नवयुवकों के चरित्र और उनके शरीर पर भी इसका बुरा असर होता है। कम उम्र में वे इस प्रकार की बुराइयां सीख जाते हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियां उनमें फैल जाती हैं, जिसकी वजह से जूआखोरी भी बढ़ती है और उस दौरान में कई प्रकार की बीमारियां और असाध्य बीमारियां हो जाती है। इस एक वेश्यावृत्ति की वजह से लड़कियों को इधर-उधर भगाया जाता है, इस तरह से यह व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। इस बारे में जैसा कि एक माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि कोई मिसाल दीजिये, मैं आपके सामने एक मिसाल भी उपस्थित करूंगा। अगर इस वेश्यावृत्ति को रोक दिया जाय तो अपने भारतवर्ष के लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। एक मिसाल प्रत्यक्ष मैंने देखी है जो अभी कुछ ही साल पहले जोधपुर में वाकया हुआ है ...

श्री अध्यक्ष– Better instances are not qouted.

श्री सन्तोषसिंह– (जारी) वह मिसाल इस तरह की है कि जोधपुर के अन्दर एक माननीय सदस्य जो वेश्यावृत्ति में बहुत शौकीन थे...

श्री भैरोसिंह (वि० सं० १६)—क्या जोधपुर में वेश्यावृत्ति ज्यादा है ?

श्री सन्तोषसिंह—(जारी रखते हुए) मैं एक मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। जोधपुर के अन्दर एक वेश्या के यहां वेश्यावृत्ति के सिलसिले में झगड़ा चल पड़ा। वह वेश्या अपनी लड़की से जबर्दस्ती वेश्यावृत्ति करवाना चाहती थी और वह लड़की इस काम के लिये तैयार नहीं थी। वह करीब १४-१५ साल की बालिका थी। वह जब वेश्यावृत्ति के लिये तैयार नहीं होती थी, इसलिये उसकी मां रोज उसको पीटती थी। उसके सामने एक सज्जन रहते थे जो हमेशा यह देखते थे। उनको एक दिन गुस्सा आया कि यह जबरदस्ती इससे यह काम करवाना चाहती है तो उन्होंने उस लड़की से एकान्त में बातचीत की और यह तय किया कि अपन दोनों शादी कर लेते हैं और वे दोनों इस बात के लिये रजामन्द हो गये और ऐसा इरादा करके घर से निकल गये। उनके निकलने की तैयारी करने के बाद में लड़की की मां ने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त पीनेल कोड की धारा १०० के मातहत दी और लड़की के नाम से वारन्ट निकाला गया। इधर इन दोनों ने आर्य समाज मन्दिर में जाकर बड़ी सादगी से शादी कर ली। शादी करने के बाद जब उसकी मां को पता चला कि उसने शादी कर ली है तो उसकी मां ने हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, कुंवर अमरसिंह जी की अदालत में दरख्वास्त पेश की कि मेरी नाबालिग लड़की है और उसको जबरदस्ती बहका कर शादी करवा दी गई है, यह सही वाकया है; इसलिये उसे मेरे हवाले किया जाना चाहिये। लड़की के बयान कोर्ट में लिये गये। उसने अपने बयान में कहा कि मुझे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करने के लिये प्रेरित किया जाता है, मैं यह काम करना नहीं चाहती, मैं वेश्यावृत्ति से घृणा करती हूँ, अगर आप मुझे अपनी मां के पास भेजेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी।

वह लड़की उस लड़के को सौंप दी और आज लड़की उस लड़के के साथ बड़े ही खुशहाल और बड़े अच्छे ढंग से रह रही है। यह जो घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं वह स्टेट्समैन अखबार के ५३ के अंक में से कर रहा हूं।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष यह जो एक कथन डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, अमृतकौर और रामेश्वरी नेहरू जी की घोषणा में मौजूद है कि भारत में से यह वैश्यावृत्ति बन्द करना नितान्त आवश्यक है।

(घंटी)

मेरा तो प्रस्ताव ही है साहब, मुझे तो बोलने का अवसर दीजिये।

श्री अध्यक्षः—कहानी किस्से नहीं होने चाहिये।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहाः—इस तरह से माननीय अध्यक्ष, अगर यह वैश्यावृत्ति कानून द्वारा हटा दी जावे तो सरकार को भी काफी फायदा हो सकता है। इस वैश्यावृत्ति के कारण काफी जुएबाजी होती है और कई तरह के अपराध होते हैं जिनकी रोक-थाम के लिए पुलिस का व्यय सरकार को करना पड़ता है; इसके न होने से जुए-बाजी और ये अपराध भी बन्द होंगे और इस तरह पुलिस

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

का खर्चा भी सरकार कम कर सकती है। वैश्यावृत्ति से तरह तरह की बीमारियां भी समाज में फैलती हैं जिनसे सरकार को अस्पताल खखकर काफी दवाइयों में पैसा खर्च करना पड़ता है, यह खर्चा भी वैश्यावृत्ति बन्द होने से सरकार का बच जायेगा, (हंसी) समाज का शारीरिक ह्रास इससे जो होता है वह भी रुकेगा। इसलिए मैं सरकार से यह आशा करूंगा कि वह कानून बनाकर जल्दी से जल्दी इस वैश्यावृत्ति को रोकेगी, यह अच्छा सरकार के लिए शोभा का काम है। आशा है मेरे इस प्रस्ताव पर आप विप्प नहीं लगावेंगे और इसे पास करने के लिए समर्थन करेंगे।

एक माननीय सदस्य:—रोकने के लिए आपका सुझाव क्या है ?

श्री अध्यक्ष:—कानून बनाना।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा:—हां, इसके लिए सरकार यह करे कि जितने भी वैश्याओं के घर हैं उनकी एक शुमारी (गिनती) की जावे और उनके घरों में जो नाबालिग लड़कियां हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जावे; तो जो ऐसी लड़कियां हैं उनकी बाकायदा शादी कराकर उन्हें इस पेशे से मुक्त करा दिया जावे। (हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह:—शादी कौन, सरकार करावेगी क्या ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, पर जो इसमें रुचि रखने वाले लोग हैं वे करेंगे (हंसी) पर सरकार तो उन नाबालिग लड़कियों के साथ वैश्यावृत्ति करने के लिए जाने वाले जो आदमी हैं उन पर निगरानी रक्खेगी, तो यह काम जल्दी से जल्दी बन्द हो सकता है। सरकार के लिए ऐसा करके इसे बन्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। (अट्टहास) ऐसा प्रतिबन्ध लगाने के बाद में यह बन्द हो सकती है। इसी अखबार में यह लिखा है कि जी. बी. रोड, दिल्ली पर लगभग डेढ़ सौ लड़कियों को बरामद किया गया है और उनको बरामद करके एक दूसरी जगह उन्हें रक्खा गया ... ।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member is not attracting the House at all on such an interesting topic.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यतीम खाने में। तो इस तरह से वैश्यावृत्ति को हटाने के बहुत से साधन हैं। यह काम सरकार ठीक तरह से कर भी सकती है। तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह समझता हूं कि कानून द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर देना सरकार के लिए सम्भव हो सकता है।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री सन्तोषसिंहजी ने पेश किया है कि इस हाउस की सम्मति में वैश्यावृत्ति को सरकार कानून बनाकर समाप्त करे, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

[श्री खेतसिंह]

मैं यह तो नहीं जानता कि इस प्रस्ताव के जवाब में कौन मंत्री महोदय बोलेंगे और कौन इसके इन्चार्ज हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यह हमारे समाज पर बहुत बड़ा कलंक है और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी इसको हम कानून बनाकर समाप्त कर सकें उतना ही अच्छा है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। मेरा ख्याल है कि सदन के सभी सदस्य इसको महसूस करते होंगे मन में, चाहे ऊपर से बोलने में हिचकिचाते हों। पर यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह हमारे स्त्री समाज पर बहुत बडा कलंक है। अगर यह मर्ज रोका नहीं गया तो भारत में समाज सुधार तो दूर रहा समाज दिन पर दिन और गिरता चला जावेगा।

हमारे जोधपुर में भी इस तरह का एक बाजार है और इसमें वे इस तरह बैठी रहा करती हैं वैश्याएं कि कोई भला आदमी हिम्मत नहीं करता कि उस बाजार में से गुजर जाए। आप देखिये कि वे इस तरह से अपने दरवाजों में खिडकियों में देखती रहती हैं. (हंसी) बुर बुराती रहती हैं कि आखिर आप देखिये कि कितना भद्दा वह दृश्य लगता है और इस बात को सब महसूस करते हैं कि यह दूकानदारी बहुत ही बेजा है हमारे समाज में। पर अफसोस यह है कि सरकार के सदस्य इस पर गौर भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि यह वृत्ति बढ़ती रहे तो इस तरह से क्या समाज सुधार सम्भव हो सकेगा। पर जब यह आप महसूस कर रहे हैं कि यह बहुत बुरी वृत्ति है तो फिर इसे क्यों नहीं बन्द किया जाता है और क्यों नही फिर इसके लिये कानून बनाया जाना चाहिये ?

इसके साथ ही जैसे कि मेरे मित्र, प्रस्तावक महोदय ने कहा कि ऐसे हजारों किस्से, वाकये होते हैं और मुझे उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने वहां पर कुछ वैश्याओं से बातचीत भी की थी। (हंसी) जिन्होंने उनको लिखकर दिया है कि वे इस वृत्ति को नहीं करना चाहतीं और जल्दी से जल्दी अगर और कोई व्यवस्था उनके लिए हो सकती है तो वह की जाए। उन्होंने यह चीज मुख्यमंत्री महोदय को भी पेश की थी। तो इस प्रकार से उनकी खुद की भी वृत्ति है कि किसी के साथ अपनी शादी कर लें और उसके घर में धुस जावें (हंसी) और बैठ जावें। फिर आप यह क्यों चाहते हैं कि यह वृत्ति बढ़ती रहे ?

श्री गोपीलाल यादव—कौन चाहता है ?

श्री खेतसिंह—फिर जब नहीं चाहते तो कानून बनाकर बन्द क्यों नहीं करते ? उसे बढ़ावा देने में कौनसी तारीफ की बात है ?

श्री गोपीलाल यादव—हां हां, कानून बने।

श्री खेतसिंह—इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह समाज पर एक बुरा कलंक है और जल्दी से जल्दी इसे एक कानून बनाकर समाप्त किया जाय।

श्री नारायण चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं भी अपने विचार प्रकट कर देना चाहता हूँ और वह इसलिये कि प्रस्ताव वस्तुत बहुत गम्भीर है और सदन के सदस्य उसे इतनी गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। सवाल कानून बनाने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि यह वृत्ति दिन पर दिन कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सदन के सभी सदस्यों को मालूम होगा कि अभी समाज कल्याण बोर्ड की ओर से एक कमेटी नियुक्त हुई थी और उस कमेटी के सदस्यों ने अपने जयपुर का भी दौरा किया था। उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है वह राजस्थान वालों के लिए शर्म से सिर झुका देने वाली है। इसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा करप्शन और इसके रोमान्चकारी दृश्य जो हैं वे जयपुर में मौजूद हैं। इसके बावजूद भी इस तरह से हम बैठे रहें, मजाक करते रहें, खिल्ली उड़ाते रहें तो इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जयपुर में एक और जिस तरफ जिस बात की तरफ संकेत किया है मेरे दूसरे मित्रों ने वह बाजार में जो बैठी रहती हैं उनकी तरफ है। मेरा कहना है कि यह वृत्ति बाजार में ही दीखने में नहीं आ रही है, पर गलियों में सड़कों और घरों-घरों में यह वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके जिम्मेमार ऐसे ऐसे भले लोग हैं जो इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं सदन को अध्यक्ष महोदय आपके जरिये यह बताना चाहता हूँ कि इसमें अच्छे अच्छे सरकार के उच्च से उच्च अधिकारी भी शामिल हैं और वे उस वृत्ति को पोषण देते हैं, उस वृत्ति को पनपाते हैं। इसलिए कानून बनाने से क्या हो सकता है? एग्जीक्यूट तो वे ही करेंगे, लेकिन सवाल हमारी मोरेलिटी को, हमारी नैतिक प्रकृतियों को सुधारने का है। जो यह प्रस्ताव सदन में आया है और उसके ऊपर कोई बहस न हो, उल्टे उस पर खिल्ली उड़े, यह हमारी एक कमजोरी की परिचायक है। आज बराबर यह प्रवृत्ति बाजारों में ही नहीं घरों में भी बढ़ती जा रही है और उसके फैलने का कारण यह है कि हम लोग जो भले लोग हैं, अच्छे कहलाने वाले लोग हैं, वे उसको पोषण दे रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और दिन पर दिन वह जो बढ़ रही है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको इस बात की जरूरत है कि इस प्रवृत्ति को, इस बुरे काम को बन्द करने के लिए हम इसके लिए जांच कमेटी बैठाएं। राजस्थान में बड़े बड़े शहरों की जांच की जाय। उसके लिए कोई उपाय सोचा जाय। अभी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने और पार्लियामेंट के कुछ मेम्बरों ने मिलकर कुछ न कुछ इस सिलसिले में तय किया। वैश्याओं पर दिल्ली में नियन्त्रण लगाया जाय, इस बात की जांच की जाय; वह क्या चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि इस हद तक काम होकर रह गया और इसको दूर करने की कोई चर्चा नहीं की गई। असल में राजस्थान में भी कुछ प्रयत्न जारी होना चाहिए और सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि हम लोग इस बात पर खेद करें कि सरकार के बड़े २ कर्मचारी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं। मैं आपको बताऊं कि पुलिस के बड़े २ अफसरों को, सबको मालूम रहता है और सब कुछ चलता रहता है, और इसलिए कानून से वह बन्द नहीं हो सकता सिवाय इसके कि कानून बनाया जाता है; लेकिन कानून को एक्ज़ीक्यूट करने वाले ही कानून को रोज २ दिन में कई बार तोड़ा करेंगे।

श्री गौरशंकर आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस देश में नारियों की अस्मत पैसे पर बिकती हो उस देश को बड़ा सभ्य देश नहीं कह सकते। अगर भारत, जो कि जगद्गुरु होने

Page No.44

[श्री गौरीशंकर आचार्य]

का प्रयत्न कर रहा है तो हमें इस प्रश्न पर, जिसका कि समाज से घनिष्ट ताल्लुक है, चर्चा गम्भीरता से करनी होगी। हमारे देश में यह बातें खुले आम और चौड़ी सड़कों पर होती रहें, यह कब तक देश पसन्द करता रहेगा। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सरकार उस काम को नहीं कर सकती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि चीन में जाकर देखेंगे कि जिस देश में वैश्यावृत्ति बहुत अधिक थी वहां आजकल वह बिल्कुल दूर हो गई है। आज रशिया में जाकर देखेंगे कि वह वहां बिल्कुल दूर हो गई है। जिन देशों ने आजादी हासिल की, जिन देशों ने नया निर्माण किया है, उन देशों में स्वाधीनता होने के बाद यह कुप्रथाएं बिल्कुल बन्द हो गई हैं और हमें यह भी मालूम है कि वह देश जगद्गुरु होने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन भारत जो अपनी सभ्यता, जो अपनी संस्कृति और अपनी पुरानी थाथी के भरोसे जगद्गुरु होने के लिए उपाय चला रहा है उस देश के चौड़े बाजारों में, राजधानी में, खुले आम यह बातें होती रहती हैं और जब उस पर चर्चा चलती हैं तो महज मजाक उड़ाया जाता है और ध्यान नहीं दिया जाता है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरता से गौर करे। मैं यह मानता हूं कि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो कानून से या ऐसी चीजों से हल नहीं होंगे, मगर जब तक हम बाल विवाह नहीं रोकेंगे, अनमेल विवाह नहीं रोक सकेंगे, विधवा विवाह फिर अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे, तो इस प्रश्न का हल नहीं होगा। इस प्रश्न के बीच में एक आर्थिक पहलू भी है। हमें उन बहनों को मदद देनी होगी आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से यदि हम कोई सिद्धान्त नहीं बना सकेंगे, उनके लिए रोजगार की समस्या हल नहीं कर सकेंगे तो इस समस्या का हल नहीं निकलता है। बहुत अच्छा होता यदि सामाजिक कल्याण विभाग उनको सहूलियत दे कि उनके लिए उद्योगशाला जारी करे। उन बहनों के लिए कोई उद्योगशाला जारी की जा सके तो समस्या कुछ हल हो सकती है क्योंकि बहुत सी बहनें इस काम को पसन्द नहीं करती हैं।

इसके पीछे स्वास्थ्य का भी प्रश्न है। मैंने देखा था कि मेरे सामने एक योग्य वैद्य एक बहुत अच्छे घर के बच्चे को देख रहे थे और बच्चे को देखने के बाद उन्होंने सिर नीचा कर लिया कि यह बच्चे की खराबी नहीं है, मां-बाप की खराबी है। यह बीमारी किसी न किसी खराबी के कारण आई हुई है। इस वैश्यावृत्ति को जारी रखने की सूरत में काफी बीमारियां फैलती हैं। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक बुराई की दृष्टि से हमें इसको बन्द करना चाहिये। जहां तक कानून का प्रश्न है, हम देखते हैं कि आज बहुत से कानून बनते हैं लेकिन भ्रष्टाचार जारी है। बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन बहुत-सी चीजें जारी हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको हमारे समाज से उठाना ही है। इसके लिए जितनी संभव बात हो सके करना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि कानून बहुत सी बातों को पूरा नहीं करता है। यह तो एक ऐसा विषय है कि जो कानून से पूरा नहीं हो सकता है। इसमें सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। सरकार के समाज सुधार विभाग को प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि जितने भी व्यवहारिक पहलू हों वे अपनाने चाहिये। जितनी भी वेश्यायें हैं उनको रजिस्टर किया जाना चाहिए। जितनी भी वेश्याएं हैं वे अनरजिस्टर्ड नहीं रहें।

[श्री गोरीशंकर आचार्य]
मैं यह मानता हूं कि कोई प्रश्न भावनाओं से उभारा जा सकता है। वे भावनाओं को उभारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि व्यवहारिक पहलू को लिया और जिससे यह समस्या हल हो सके वैसी कोशिश करने का पहला उपाय यह है कि जितनी भी वैश्याएं हैं, जयपुर इसमें बदनाम है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जहां जहां चर्चाएं चलती हैं वहां वहां और भी विशेष तौर पर मजाक करके यह प्रश्न रखा जाता है; मैं यह नहीं कहता कि कोन से व्यक्तियों का संबंध है। यह मान कर चलता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्तियों का इससे संबंध नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक पहलू में सबसे पहला इलाज यह होना चाहिए कि जितनी भी वैश्याएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो ताकि अनरजिस्टर्ड वैश्याएं और नहीं पनप सकें। दूसरा यह कि इनके लिए सड़कों से हटाकर, आम बाजार से हटाकर, दूसरी जगह मुकर्रर कर दी जाय। तीसरे यह होना चाहिए कि जितनी भी बहनें इसमें हैं कई स्थानों पर उनके लिए उद्योगशालाएं खोली जाकर उनको काम सिखाने का प्रयत्न करना होगा। तो हमें उनकी आर्थिक समस्या हल करनी चाहिए और फिर भी बच जायं तो सामाजिक इलाज करना चाहिए। चीन ने इस प्रश्न के लिए अलग-अलग स्कूल खोले जहां कि उनका मनोवैज्ञानिक सुधार किया गया। मैं चाहता हूं कि इस समाज सुधार के प्रश्न पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय। इस बीमारी को हमारे देश से हटाना जरूरी है। जिस देश को जगद्गुरु बनना है वहां नारी की अस्मत पैसे पर नहीं बिक सकती है। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक कानून बनाने का प्रश्न है मैं इसका विरोध करता हूं।

कु॰ **श्री जसवन्तसिंह**—माननीय अध्यक्ष, माननीय संतोषसिंहजी ने यह प्रस्ताव इस सदन में रखा, उनकी भावना, तो यह मानकर चलना पड़ेगा बहुत दुरुस्त है और अच्छे आइडियल्स और उद्देश्य उन्होंने इस सदन के सामने रखें। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह वेश्यावृत्ति एक बहुत बुरी बात है और जहां तक हो सके इसको काबू में रखना आवश्यक है, देश की उन्नति के लिए और देश के उज्जवल नाम के लिए। लेकिन हमें देखना इस बात को है कि क्या कुछ बुरी बातें भी कानून के द्वारा या और किसी तरीके से मिटा दी जा सकती हैं या हटाई जा सकती हैं? कानून तो हम हर प्रकार के पास कर सकते हैं और हमें भारत का स्वतन्त्रता मिलने के बाद में जैसे कि मेरे पूर्ववक्ता ने फरमाया है दिग्दर्शन भी करना है लेकिन यह निवेदन करूंगा कि हम सिर्फ कानून ही पास करके संतोष कर लें तो इस बात से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति है और वैसी ही रहेगी और यह पेशा अभी कोई नया भारतवर्ष या दुनिया के और देशों में नहीं चला है। हमारे शास्त्रों में, हालांकि मैं शास्त्रज्ञ और विद्वान नहीं हूं लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि तभी से, जबसे कि संसार चला है अब तक बुरी प्रवृत्ति और अच्छी प्रवृत्ति सभी प्रवृत्तियां होती हैं और अच्छे पेशे और बुरे पेशे सभी होते हैं। और जहां मानव प्रकृति है वहां अच्छे और बुरे काम सभी होते हैं। तो अगर सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमें भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिलने के बाद उसका दिग्दर्शन करना है और हमें संसार में अच्छे कामों की मिसाल कायम करने के लिये आयोग बनाना है और हम कानून बना कर इन प्रवृत्तियों को मिटा देंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह अगर असंभव काम नहीं तो संभव भी नहीं है।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

मेरे मित्र ने पाश्चात्य देशों में जो कि आजाद देश हैं, उनमें क्या प्रणाली है यह भी बताया। जहां तक रूस का सवाल है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वहां तो मेरा जाना हुआ नहीं और अगले दिनों तक रूस के द्वार दूसरे मनुष्यों के लिये बन्द थे परन्तु यूरोप के जो दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्र हैं उनमें प्रायः सब जगह मुझे जाने का अवसर मिला है और वहां स्वतन्त्रता भी है लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं कि सिवाय फ्रान्स के जहां कि यह फ्रान्स सरकार द्वारा मान्य है, वहां मानते हैं और सरकार भी ऐसे घरों को, जैसा कि अभी एक सुझाव मेरे पूर्व वक्ता ने दिया कि इनका रजिस्ट्रेशन किया जाय; वहां रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट द्वारा वहां अड्डे चलाये जाते हैं, पर इंग्लेंड में देखिये जो कि डेमोक्रेसी के माने में सबसे पुराना और बढ़ा चढ़ा देश है वहां कानूनन यह पेशा मना है; लेकिन वहां कानूनन मना होते हुए भी प्राइवेटली, खानगी तौर पर यह समस्या इतनी बुरी हद तक पहुंच गई है कि उससे फ्रान्स का रिवाज कहीं अच्छा समझा जाता है। यही हाल जर्मनी का है। जिस वक्त मुझे जाने का मौका मिला उस समय जर्मनी, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड में भुखमरी ज्यादा बढ़ी हुई थी और हालांकि कानूनन ऐसी इजाजत नहीं थी पर यह समस्या इस हद तक पहुंच गई थी कि वहां के लोग यह महसूस करने लग गये थे कि फ्रान्स का जो रिवाज है और कानूनन इस बात को मानते हैं, वह कहीं अच्छा है।

तो मैं निवेदन करूंगा कि हम राजस्थान में कानून ऐसा कर देंगे तो इससे क्या होगा? यह होगा कि जिसकी आंखों के सामने खड्डा है और उसको मालूम है कि यहां खड्डा है और वह आत्म हत्या करना चाहेगा तो आत्म हत्या करेगा, नहीं तो घर घर ऐसी हालत हो जायगी कि बड़े बड़े घरों वाले जो अभी आबरू शर्म के मारे ऐसे काम नहीं करते हैं, कानून बना देने से ऐसी स्थिति पैदा हो जायगी कि वे भी ऐसे कार्य करने लग जावेंगे और मेरे माननीय मित्र ने तो इससे भारत के दिग्दर्शन का फरमाया, पर मैं तो कहता हूं कि हिन्दुस्तान के स्वतन्त्र होने के बाद हमारे वेदों और ऋषियों ने जो आदर्श हमारे यहां की नारियों का बताया है वह कैसा है, पर आज हमारे यहां औरतों का नैतिक स्तर गिर रहा है और हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो क्या भारत का दिग्दर्शन होगा? हमारे यहां स्त्री जाति का आदर्श बहुत ऊंचा माना जाता था और इसके लिए बीसों बातें ऐसी मिलती हैं कि उनके पति के सिवाय दूसरे पुरुष का स्पर्श भी भारी पाप, महा पाप माना गया है। दुर्भाग्य से अगर कोई स्त्री छोटी उम्र में विधवा हो गई तो उसके लिये सन्यासियों के लिये जो कठिन आदर्श, कठोर नियम रखे हुए हैं, उनसे भी कठिन आदर्श उस बाल विधवा के लिये रखे जाते थे और उसको वे आदर्श पालन करने पड़ते थे। पर हम क्या भारतवर्ष का दिग्दर्शन करेंगे कि जो आज कहते हैं कि आदमी जब दूसरी शादी करता है तो स्त्रियों को क्यों नहीं विधवा हो जाने के बाद दूसरी शादी कर लेनी चाहिये, बल्कि यहां नहीं यहां तक कहते हैं कि पति जीते हुए भी डाइवोर्स कर दो। ये सब विचार हमने लिये हैं पाश्चात्य देशों से; तो इस तरह भारतवर्ष का दिग्दर्शन कराने आगे जा रहे हैं या पीछे जाने की बात सीख रहे हैं? वेद-वेदांगों में, हमारे धर्म-शास्त्रों में जो हमारे भारत की संस्कृति, जो हमारा कल्चर स्थापित हुआ है और जो वेदिक-काल से चला आ

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

रहा है आज हम उसे छोड़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं ? जिस स्त्री की लज्जा एक दफा निकल गई वह चाहे वैश्या वृत्ति में जाय या व्यक्तिगत तौर से करे, फिर वह तो गिर ही गई। तो इससे तो अच्छे अच्छे घरों की औरतें लज्जा शर्म के मारे ये काम नहीं करती उन्हें करना पड़ेगा और इस तरह यह होगा कि जो महत्व हम 'ब्ल्यू ब्लड' को देते हैं उसको नारी जाति से हटा दें। हम नहीं समझते कि किस प्रकार का दिग्दर्शन हम करने जा रहे हैं। नारी का जो उज्जवल आदर्श था वह तो चला जा रहा है और फिर आप इस पेशे को जो कि कुछ ही हद तक, कुछ ही स्थानों तक सीमित है उसे प्राइवेट घरों में भी फैलाना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो मैं तो यही समझूंगा कि इस तरह का कानून पास करने से कुछ नहीं होगा और एक बुरी चीज को मिटा नहीं सकेंगे बल्कि और बढ़ादेंगे। किसी भी देश में एक मानव की जो अच्छी-बुरी प्रवृत्ति है उसको आप मिटा नहीं सकते और इस तरह का कानून पास करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हर शख्स भला बुरी चीज को जानता है परन्तु फिर भी जान-बूझ कर गड्ढे में गिरता है तो गिरता ही है। पर यह कानून पास करने से अच्छे बड़े स्थानों में भी यही प्रवृत्ति हो जायगी और 'ब्ल्यू ब्लड' ज्यादा भारतीय होने की बजाय वर्ण संकर ही वर्ण संकर पैदा होने लग जायेंगे। ये मेरे निजी खयाल हैं जो मैं बगैर किसी संकोच के सदन में रख रहा हूं और संकोच की कोई बात भी नहीं। जो चीज मुझे कहनी है वह मैं कहूंगा। इस प्रकार के कानून से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। एक दो उदाहरण माननीय प्रस्ताव कर्ता ने दिये, उनके विरोध में लाखों उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनका उल्टा असर पड़ा है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, यह मानते हुए भी कि यह बात बुरी है। परन्तु एक बुरी बात को मिटाने के लिये १० और बुरी बातें चलू कर देंगे।

श्री जीवनसिंह—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the question be now put.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया वह एक गंभीर विषय है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कानून की दृष्टि से केवल विचार करने का प्रश्न उतना नहीं है जितना कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न को हम हल करना चाहते हैं तो उसको हल करने के लिये सबसे पहले उसके मूल कारण पर जाना ज्यादा आवश्यक होगा। मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं हो सकती कि बहुत से यह समझते हैं कि यह एक पेशा है। दरअसल ये अभागिन बहिनें इन चीजों के अन्दर उलझी हुई हैं, वे पेशा समझकर इसमें नहीं गई हैं बल्कि कई सामाजिक कारणों ने और आर्थिक व अन्य परिस्थितियों ने उनको इस जीवन में धकेल दिया है। इस तरह की परिस्थितियों के अन्दर उनको अपना जीवन इसी में समाप्त करना पड़ता है। इसलिये इसको पेशा समझकर चलना तो बहुत गलत होगा।

लेकिन जो परिस्थिति है उसका कारण क्या है ? आज हम प्रस्ताव पास करने जाते हैं, दूसरी और चीजें यहां पर कर लेना यह और चीज है। पर हमें देखना है कि समाज इस चीज को

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किस रूप में आज देख रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज की शायद जो परिस्थितियां हैं इनमें से अगर यह कहा जावे कि ६० प्रतिशत या इससे भी ज्यादा अपने दिल से इस स्थिति में रहना नहीं चाहती हैं और उनको यह कतई धन्धा पसन्द नहीं है, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा चारा ही नहीं कि वे अपना जीवन व्यतीत कैसे करें, आर्थिक कारणों से वे ऐसा करती हैं तो इसमें भी मैं यह कहूंगा कि जिसके संरक्षण में वे पहुँच जाती हैं वे या कई बार उनके माता-पिता व उन्हें खरीद कर लाने वाले सारे इन कुरीतियों के जिम्मेदार होते हैं और इन सब के साथ में लगा हुआ एक आर्थिक कारण होता है। अगर आप उनको हटाते हैं तो उनके भावी जीवन के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं ? आर्थिक कारणों के साथ यह भी देखना है कि समाज में आप उनको क्या स्थान देना चाहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जानता हूं कि शायद इस जाति में सैंकड़ों और हजारों की तादाद में ऐसी बच्चियें मिलेंगी कि जिनको अगर आज समाज अपनाने को तैयार हो तो वे इससे दूर होने के लिए तैयार हैं। मगर समाज में कितने लोग तैयार हैं यह देखने की बात है कि वे उनको हटाकर सामाजिक जीवन में आने का अवसर प्रदान करें। आज आप अच्छी से अच्छी समाजिक प्रथा की कल्पना करते हैं लेकिन वे लोग इसमें भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और इसका परिणाम यह होता है कि इसी में उनको अपना जीवन बिताना पड़ता है और बहुत से लोग कहते हैं कि यह आदिकाल से चली आ रही हैं और इसका कोई अन्त नहीं है। कई जगह यह देखा गया है कि जिनको इस प्रकार का मौका मिला है कि वे इस जीवन के बजाय गृहस्थ जीवन में जावें तो उन लोगों की तरफ से मन की बात नहीं आई है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज इस बात के लिए समाज में कोई तैयार नहीं है और अगर कोई समाज में आगे बढ़े हुए लोग तैयार होकर आगे आवें और जो इस जीवन में नहीं रहना चाहती हैं उन्हें अपनाने के लिये तैयार हों तो ऐसा हो सकता है लेकिन आजकल का समाज का ढांचा इस तरह से इनको बचाने के लिए तैयार नहीं है। समाज की मानसिक स्थिति को हमें इस प्रकार से तैयार करना है। हम खुद इस चीज को रोकना चाहते हैं। लेकिन आज समाज का माप दंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए मैं यह समझता हूं कि सबसे पहली बात जो हमें करनी है वह यह कि समाज की विचाराधाराओं में परिवर्तन लाया जावे। हमें जातीयता के जडवाद को मिटाना है और इसके लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करना है, तभी इस समस्या को हल किया जा सकता है। हमारे राजस्थान में इस पर कुछ सोचा गया मगर इसका असर बहुत कम पाया गया। यह रोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि ज्यादा अच्छा हो अगर आप समाज में इस प्रकार का वातावरण पैदा करें। मैं गवर्नमेंट की तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार किया गया तो इसमें सारे पहलू नहीं आते लेकिन एक पहलू पर बहुत हद तक विचार किया गया कि जो महिलाएं इस विषय में किसी तरह से अपने धन्धे से निकलना चाहती हैं तो उनके लिए ऐसे स्थान होने चाहियें जहां पर उनको अपने जीवन निर्वाह के लिये, आर्थिक मामलों के लिए किसी दूसरों पर अवलंबित रहना नहीं पड़े। उनको कुछ उद्योग

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

धन्धे सिखाए जावें जिससे वे शांति से अपना जीवन बिता सकें। इसके लिए कार्यवाही की जा रही है और वह चीज होगी तभी उनको इन चीज से दूर करके उनकी उदर पूर्ति का साधन हो सकता है जिससे वे अपना जीवन बिता सकें।

जैसा मैंने कहा कि समाज में मूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं यह कहता हूं कि जो लोग हमारे यहां सामाजिक सुधार की बातें चलाते हैं उसमें सबसे जटिल और मुश्किल प्रश्न यह है कि वे गलत सलत तरीके से सोचते हैं और ऐसे बन्धन हैं कि वे कार्यरूप में कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर स्पष्ट रूप से कहना चाहिये तो मैं कहूंगा कि उनके सामने कोई साफ नक्शा नहीं है और उन लोगों को भी बड़ी मुश्किल सामने आती है, जो समाज सुधार की बातें करते हैं वे महज बातें ही करते हैं। उनके बीच में काम करने के लिए कौन जावेगा, यह प्रश्न मुश्किल है। पता नहीं काम करने वालों और उनके बीच में जानेवालों को क्या मुश्किल आवेगी और उन काम करनेवाले लोगों के बारे में लोग क्या समझेंगे। जब प्रस्ताव रखा गया था उस समय बड़ी मजाक हुई। इसलिए उनके बीच में जाकर काम करना बहुत मुश्किल काम है इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिये कोई प्रबन्ध करना चाहिये। यह निश्चित है कि समाज के लिये यह एक कलंक है, इसमें दो राये नहीं हो सकतीं। वे बाजार में बैठ कर अपनी सब कुछ, इज्जत व आबरू बेचती हैं, यह हमारे लिये कोई गौरव की समझते हों ऐसी बात नहीं। कोई यह कहते हैं कि समाज की आवश्यकता पूरी करती हैं। समाज की आवश्यकता के लिये क्या कोई अपने आपको बलिदान करने के लिये तैयार है, मैं कहूंगा कि कोई नहीं है। आप यह समझते हैं कि इससे समाज की पूर्ति होती रहे और समाज में यह धन्धा चलता रहे तो ठीक है! मैं यह कहूंगा कि ये सारी बातें कहने को और, और व्यवहार में लाने की और होती हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो कानून से हल होनेवाला नहीं। इसको समाजिक दृष्टि से हल करना चाहिये। कानून बना दिया जावे तो भी इसके अच्छे परिणाम लाना बहुत मुश्किल है।

एक माननीय सदस्य ने हमारे यहां पर यह कहा कि एक विधवा स्त्री जो होती है हमारे समाज में उस विधवा स्त्री को एक सन्यासी से भी कठोर जीवन व्यतीत करना चाहिये। यह एक कहने की बात है कि स्त्री को एक सन्यासी से भी ज्यादा कठोर जीवन व्यतीत करना चाहिये। पुरुष को दुनिया भर की स्वतन्त्रता है, वह जिस तरह से चाहे अपना जीवन व्यतीत करे, मगर यह कहा जावे कि एक विधवा कठोर से कठोर सन्यासी का जीवन व्यतीत करे, यह समाज का सिद्धान्त है, जरा सी गल्ती हुई कि समाज ने उसको ठुकरा दिया। पुरुष सौ या हजारों गल्तियें करे तो भी उसको कोई नहीं कहेगा। इन बातों को हल करने से हम इसको कम करते चले जावेंगे, वरना इसका कोई हल नहीं होगा। आपके सामाजिक बन्धन जैसे विधवाओं के लिये बांधे गये हैं, उसके बाद जातीयता का बन्धन आदि है उनको दूर किया जावे। इसके बाद तीन चार दिशाओं में कार्य होगा तो हम कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप कहते हैं कि आज चीन और रूस में यह सुधार हुआ है। मैं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह कहूँगा कि चीन और रूस इस प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों से घिरा हुआ नहीं है। आर्थिक प्रश्न उनके सामने नहीं है कि कल क्या करना होगा ? इस प्रकार की परिस्थितियें जो दूसरे देशों में हैं उसमें और अपने यहां की परिस्थितियों में अन्तर है। हमें भी वहां के अनुसार परिस्थितियाँ पैदा करनी चाहिये और यह मुश्किल नहीं है। हमें इस दिशा में विचार करना चाहिये और बजाय इसके कि हम कानून बना कर इसको बन्द करें, सामाजिक सुधार के जरिये से रोका जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अच्छी भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है वे इसके अहम पहलुओं पर ज्यादा जोर देंगे, बजाय इसके कानूनी पहलुओं प ज्यादा जोर देने के और अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, मैंने जब अपना प्रस्ताव पेश किया था तो बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझे तो बोलने हो नहीं दिया कि आगे आने वाले...

श्री अध्यक्ष—आप इसका जवाब दें।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—तो जैसे कि अभी बहुत से व्यक्तियां ने विरोध किया, तो बताया कि कानून उसके लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि तम्बाखू जैसी बुरी चीज को भी कानून से बन्द किया जा सकता है, शराब जैसी चीज को भी कानून से बन्द किया जा सकता है, जुए जैसी चीजों को भी कानून से बन्द किया जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझ पाता कि वेश्यावृत्ति को कानून द्वारा बन्द नहीं करने का क्या कारण है ? क्या हमारी सरकार इतनी नाकाबिल हो गई है कि इसको बन्द नहीं कर सकती ? मैं समझता हूं कि कानून से वेश्यावृत्ति बन्द हो जायगी। वैश्याओं की अलग अलग जातियां हैं और उन जातियों से ही निकल कर इस प्रकार का पेशा करती हैं। जैसा कि मुख्य मंत्रीजीने बताया कि उनको कौन खपायगा। मैं बताऊं कि जोधपुर, भरतपुर, जयपुर में जितनी वेश्यायें हैं वे अलग अलग जातियो से आती हैं, उनमें ही जब इसको बन्द कर देंगे तो वापिस शादी व्यवहार होने लग जायगा और दूसरी जगह भी वे खपजावेंगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो वर्ण संकर पैदा होंगे। माननीय अध्यक्ष, मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर वैश्यावृत्ति जारी रही तो वर्ण संकर ज्यादा होंगे। धनी-मानी लोग जो वैश्यावृत्ति गमन के लिए जाते हैं तो पीछे जो उनकी औरतें हैं वे दरोगों, गोलों और गुन्डों से वैश्यावृत्ति कराती हैं और अगर

(हंसी)

इनसे जो सन्तान पैदा होती है ये अच्छी हैं या वे अच्छी। बहुत से लोग अगर अपनी स्त्रियों को छोड़ कर वहां जायेंगे तो वर्ण संकर ज्यादा पैदा होंगे या कम होंगे ?

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

फिर यह कहा गया कि उनके काम की व्यवस्था की जाय। काम के लिए तो सरकार अपने आप व्यवस्था करे। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है और यह भारतवर्ष के लिए एक कलंकित कार्य है और इसको जरूर रोका जाना चाहिए। मैं नहीं समझ सका कि जब दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के कानून आ रहे हैं, इस प्रकार के कानून को पास करके इस प्रकार के पेशे पर रोक लगा रहे हैं तो फिर इस सदन में इस प्रकार का कानून लाकर इसको मना नहीं किया जाय तो क्यों नहीं किया जाय? यह सरकार के लिए एक कलंक का टीका रहेगा और सदन में भी इस प्रकार का प्रस्ताव आने पर भी इस प्रकार के घृणित कार्यों के लिए प्रोत्साहन दिया जाय और कानून पास नहीं करें, यह तो ठीक नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि मैं इसको वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके लिए वोट लिये जांय। कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा, वह पता चल जावेगा।

श्री अध्यक्ष—चर्चा से काफी वातावरण बन गया है, वोट पर रखूं इसे?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मैं वोटिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री संतोषसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(मत-दान के पश्चात)

ना पक्ष जीता।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मैं वोट दिराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो इसके पक्ष में हों वे खड़े हो जांय।

(पक्ष में १)

जो तटस्थ हों वे खड़े हो जांय।

(२ तटस्थ)

शेष जो बैठे हैं उन्हें मैं समझता हूं कि वे इस प्रस्ताव के विरोध में हैं।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

ना पक्ष जीता, प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री भैरूंसिंह।

पंचायतों के निर्माण व चुनाव सम्बन्धी अवैध कार्यवाहियों की जांच करके नियमों में संशोधन करने हेतु समिति की स्थापना सम्बन्धी आशासकी संकल्प

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

"इस सदन की सम्मति है कि निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जावे जो पंचायतों के निर्माण तथा चुनाव सम्बन्धी अवैध कार्यवाहियों की जांच करके नियमों में उचित संशोधन करने के लिये १५ जनवरी, सन् १९५६ तक अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य हों :

१.	श्री टीकाराम पालीवाल	अध्यक्ष
२.	श्री वेदपाल त्यागी	सदस्य
३.	सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
४.	चौधरी श्री रामचन्द्र	सदस्य
५.	ठा० श्री भीमसिंह	सदस्य,"

माननीय अध्यक्ष, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता केवल मैं ही महसूस करता हूं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। परन्तु हर प्रकार की जानकारी के सूत्र से, राजस्थान के हर भाग से इस बात की आवाज उठाई गई है, राजस्थान में जितने भी पंचायत के कानून बने और उन कानूनों के द्वारा, कानून को उलंघन करके जिस ढंग से पंचायतों का निर्माण किया गया वह सारी की सारी कार्यवाही गलत हुई है। राजस्थान में हमने राजस्थान पंचायत एक्ट सन् १९५३ में पारित किया और यह आशा थी कि जिस तरह से हमने पंचायत एक्ट के बनाने में हमने अपने भाव व्यक्त किये और इस बात का उल्लेख किया, चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन की स्थापना और उसका विकास किया जाय एवं गांवों के स्वायत्त शासन और उसके विकास के लिए अच्छी व्यवस्था की जाय। इसलिए राजस्थान विधान मंडल द्वारा अधिनियम बनाया गया और इसी भावना को लेकर हमने राजस्थान के लिए पंचायत एक्ट बनाया और यह

[श्री भैरोंसिंह]

आशा की थी कि जिन भावनाओं से यह कानून बना है उनको मूर्त रूप देने के लिए सरकार की ओर से इस कानून के अन्तर्गत नियम बनाये जावेंगे और उन नियमों के अन्तर्गत चुनाव करके पंचायती राज्य की स्थापना की जायगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिस दिन हमने यह कानून पास किया और राजस्थान में यह कानून लागू हुआ उसके साथ साथ जो हमने सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया था उन अधिकारों ने इस बिल को कब्र में डाल दिया और कब्र में डाल ही नहीं दिया कब्र में डालने के बाद जो दफनाने के लिये साधन जुटाने थे वे सब के सब जुटाये गये। इस कानून को बनाते वक्त सदन के सदस्यों ने विरोध किया और मांग की कि जो चुनाव का तरीका हो उस तरीके को कार्य रूप में लाने के लिए सरकार जो नियम बनाने का अधिकार लेना चाहती है उसका स्पष्टीकरण सदन में प्रस्तुत होना चाहिये, लेकिन खेद के साथ कहना चाहता हूं कि सदन को विश्वास दिलाया गया कि जितने चुनाव करने के लिए नियम बनाये जावेंगे वे अच्छे होंगे और हर व्यक्ति उन नियमों का टीक ढंग से पालन कर सकेगा, पालन कराया जायगा और चुनाव की व्यवस्था की जायगी। इसी कारण धारा ६ में पंचों का जिक्र किया है यह लिखकर कि पंचों का चुनाव निर्धारित रीति से होगा और संचालित होगा। इस प्रकार सरकार की ओर से आश्वासन मिल जाता है कि नियम बनाना उचित होगा और उनका पालन कराना भी उचित होगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, धारा ८६ के मातहत अधिकार दिये गये हैं कि नियम बना सकते हैं। सरकार ने नियम बनाये। यह कोई नहीं कहता है कि सरकार ने नियम नहीं बनाये, नियम जरूर बनाये हैं। लेकिन उन नियमों द्वारा जो कार्यवाही हुई है यदि उसकी जांच की जाय तो पता चलेगा कि सरकार की नियत अच्छी हो। इन नियमों की शुरुआत में सरकार ने जो सबसे बड़ी चीज़ रखी है नियमों की धारा ५ के अनुसार जिसमें लिखा है कि यदि निर्वाचन अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण मिलता हो कि नियत की गई तारीख के निर्वाचन की कार्यवाही से शांति भंग होने या दंगे की कोई संभावना हो तो वह निर्वाचन को आगे की तारीख में नियत करेगा, इसको स्थगित करेगा और साथ ही कार्य विवरण में लिखेगा और मुख्य पंचायत अधिकारी को सूचना देगा।

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के बाहर जितने प्रान्त हैं उन प्रान्तों में से यदि "कमजोरी" का शब्द किसी कानून में लिखा गया, सरकार ने अकर्मन्यता किसी कानून में प्रकट की है तो वह है राजस्थान प्रान्त। यहां की सरकार ने इस प्रकार की धारा इस नियमों में लगाकर सुविधायें हासिल की है।

भारतवर्ष में पहले आम चुनाव हुए, लोगों को इस बात का अन्देशा था कि आम चुनावों में कई प्रकार की साजिशें होंगी, झगड़े होंगे बहुत मुमकिन है, यह भी हो सकता है शान्ति भंग भी हो लेकिन उन चुनावों की व्यवस्था इस प्रकार थी, न्यायसंगत व्यवस्था थी और अधिकारियों

[श्री भैरोंसिंह]

ने यह कोशिश की कि जितनी भी न्यायसंगत व्यवस्था हो सके उन्होंने की और उनकी कोशिश सफलीभूत हुई और आज विश्वास के साथ कहा जा सकता है आम चुनाव भारतवर्ष में जो पहली बार हुए उसमें संघर्ष के नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारी राजस्थान सरकार ने उन भावनाओं के विपरीत, जिसके जिम्मे केवल एक राजस्थान प्रान्त है उसी का इन्तजाम उनके जिम्मे है, तो उनको यह सोचने का मौका मिल गया और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि यहां जो पंचायतों के चुनाव होंगे उसमें दंगे फिसाद होंगे इसलिए ऐसी स्थिति में चुनाव स्थगित करने के अधिकार रिटर्निंग आफिसर को देने चाहियें। यह किसी भी सरकार की अकर्मण्यता को बताने वाला एक उदाहरण है। कोई भी सरकार चुनाव के पहले यह सोच ले कि जब स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव होंगे तो उसमें दंगे—फिसाद होंगे। जब सरकार इस तरह सोचती है कि उसको निरन्तर खतरा है तो वह क्या शान्ति कायम कर सकती है ? आप आज किसी भी पंचायत का नक्शा देखें, जो पंचायत के क्षेत्र बनाये गये हैं उसके नक्शे को देखें, क्षेत्रों के जो वार्ड्स बनाये गये हैं उनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार वार्डस बनाये गये और किस प्रकार पंचों की संख्या निर्धारित की गई इन सब बातों पर नजर फैलाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रका एक विशेष दल के, विशेष दल के ही नहीं विशेष जाति के लोगों को पंचों की संख्या बढ़ाने के लिये जो आखिरी हथियार अपनाना चाहिये वह हथियार इन चीजों में अपनाया गया। आज तक जितने भी पंचायतों के चुनाव हुए उसमें यह ध्यान रखा गया। हमारे अपने दल के, हमारे अपनी जाति के लोग कितनेआये उस एक जाति के लोगों की संख्या अलग निकाल लें तो आपको पता चल जायगा कि इस धारा के अनुसार उस जाति विशेष के लोगों को सफल बनाने के लिये कितना सहयोग दिया। जिस जगह देखा कि हम अब चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं वहां ही हुल्लड़ किया और रिटर्निंग ऑफिसर को कह दिया कि चुनाव मत कराइये, अगर चुनाव कराये गये तो लाठियां चलेंगी। जिस रिटर्निंग ऑफिसर के पास पुलिस रहती है उसके तहसील के सब कर्मचारी उसके साथ रहते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक आदमी आकर यह कह देता है कि यहां झगड़ा फिसाद होने वाला है तो वह चुनाव स्थगित कर देता है। रिटर्निंग ऑफिसर को यह अधिकार दिया गया है कि वह चुनाव को चाहे जब स्थगित कर दे दूसरी तरफ क्या होता है; जब इस प्रकार का आदेश निकल जाता है तो इस कानून के मुताबिक उसको उसी समय आगे जिस तिथि को चुनाव होने वाले हैं उसकी घोषणा करनी जरूर होती है। लेकिन मैं इस संबन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री को चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि जिन रिटर्निंग ऑफिसरों ने चुनाव स्थगित किये उनमें से पांच प्रतिशत रिटर्निंग आफिसरों ने किसी भी दूसरे चुनाव की तारीख उसी जगह मुकर्रर नहीं की, जो कानून के मुताबिक उनको वहीं उसी स्थान पर करनी चाहिये। रिटर्निंग आफिसर को चुनाव के पोस्टपोन के साथ साथ पंचायत के चुनाव की तिथि उसके साथ साथ निश्चित कर देनी चाहिये।

इसके अलावा दूसरी चीज यह कि जब झगड़ा होता है या झगड़े की संभावना होती है या झगड़े के कारण दिखते हों तो रिटर्निंग आफिसर की यह ड्यूटी होती है कि वह संबन्धित पुलिस

[श्री भैरोंसिंह]

अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे लेकिन सूचना देने के केवल २२ मुकदमे राजस्थान के अन्दर बने और इन २२ के लिये यह कहा जा सकता है कि शान्ति भंग होने के कारण चुनाव स्थगित हुए। २२ ही नहीं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक एक जिले में कम से कम २०-२० पंचायतों के चुनाव स्थगित किये गये। अगर शान्ति भंग होने की बात कही जाती है तो उन लोगों के खिलाफ, आपने किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। जो लोग शान्ति भंग करने के जिम्मेदार हैं, या तो जो इल्जामात लगाये गये वे झूठे हैं या यह कहना असत्य है कि शान्ति भंग होने वाली थी, इसलिये चुनाव स्थगित किये गये। कानून में जब इस प्रकार के लोगों को प्रोसीक्यूट करने का अधिकार है तो क्या किसी एक का भी प्रोसीक्यूशन हुआ। केवल २२ मुकदमे ऐसे बने हैं, वे भी केवल शान्ति भंग होने के कारण नहीं बल्कि इस कारण बने कि उनको लाठी से पीटा गया, केवल पीटने के कारण मुकदमे बने। अगर गालियां सुनकर आ जाते तो शान्ति भंग नहीं होती और न वे २२ मुकदमे बनते। ये २२ मुकदमे केवल इसलिये बनाये गये कि रिटर्निंग आफिसर जो सरकारी मुलाजिम है उसको पीटा गया। तो उन्होंने मुकदमा तो बना दिया और यह कह दिया कि चालान करना तो अपने हाथ में है। यह जो २२ मुकदमे हुए उसमें एक भी चालान नहीं किया गया है। इसलिये नहीं हुआ कि चालना कौन करता है; मुलजिम तो वे हैं जिनकी प्रेरणा से कानून बना है, जिनकी प्रेरणा से इस पंचायत कानून की कब्र खोदी गई, वे सारे मुलजिम थे, जो उनके रिश्तेदार थे। रिश्तेदार भी केवल दल के नहीं बल्कि जाति के थे जिन्होने इस प्रकार के कानून बनाये।

जाने दीजिये इन बातों को। इसमें सरकार ने जो अकर्मण्यता दिखाई वह सब आपके सामने है। जहां सरकार ने चुनाव के अधिकार लिये, चुनाव किस ढंग का हुआ सरकार द्वारा वार्डों का विभाजन हुआ। खुद सरकार द्वारा क्षेत्र बनाये गये। ये सब अधिकार सरकार को दे दिये गये उन अधिकारों के साथ सारी दुनिया यह अपेक्षा कर रही है। पंचायत के क्षेत्र, वर्ड्स जितने भी बनेंगे उचित ढंग से बनेंगे। पंचायत क्षेत्र पब्लिक की सुविधा की दृष्टि से बनाये जांय। पंचों की संख्या किस आधार पर तय की जाय इस क्षेत्र में जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से पंचों की संख्या निर्धारित की जाय और सारी दुनिया यह समझती थी कि इसी आधार पर इन सारी पंचायतों के क्षेत्र और वार्ड्स का विभाजन होगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इन सारे दृष्टिकोणों को पंचायत क्षेत्र बनाने में, उसके वार्ड्स तय करने में पंचों की संख्या निर्धारित करने में बलाये ताक रख दिया गया। उनके पास इस संबन्ध में दलील तक नहीं, किस कानून के आधार पर उन्होंने पंचों की संख्या निर्धारित की। लेकिन ये सब उन्होंने कर दिया अपनी मर्जी के अनुसार। हम इन दो चीजों को ही स्वीकार कर लें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। पंचों की संख्या और वार्डों के विभाजन में उन्होंने क्या क्राइटिरिया रखा है उसके बारे में सरकार के पास कोई दलील नहीं। ये दो गलतियां सरकार ने कर दीं, कोई ताजुब्ब की बात नहीं। लेकिन इतना होते होते क्या होता है चेयरमैन महोदय, एक विशेष वर्ग के लोग केवल इतनी गलती करते हों, यह बात नहीं। इसके बावजूद भी क्या होता है अगर वे लोग एक विशेष जाति के लोग अगर पंचायतों के चुनाव में नहीं जीतते हैं तो रिटर्निंग ऑफी.

Page No.56

[श्री भैरोंसिंह]

सर को धमकी दी जाती है कि अगर आप हमारा पक्ष नहीं किया तो हम आपको ट्रान्सफर करा देंगे, अगर आपने, हम कहें जिनको पंच या सरपंच घोषित नहीं किया तो याद रखें तुम्हारा ट्रान्सफर करवा देंगे, तुम्हारी तरक्कियां रुकवा देंगे, तुम्हें मारा मारा फिरना पड़ेगा। रिटर्निंग ऑफिसर के लिये यह कायदा है कि जहां पंच या सरपंच का चुनाव होता है उसी वक्त वह वहां घोषित कर देता है कि अमुक पंच चुना गया, अमुक सरपंच चुना गया। लेकिन यह होता है कि लोगों को पता तक नहीं चलता कि कौन पंच चुना गया लेकिन जब कुछ दिनों बाद अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक जगह के लिए अमुक पंच चुना गया, जब कि रिटर्निंग अधिकारी पंचायत के चुनाव स्थगित कर देता है, ऐसे पंच चुने जाते हैं जिनका उन वार्डों में नाम नहीं उस क्षेत्र के गांव के रहने वाले नहीं, ऐसे ऐसे पंच चुनकर उनके नाम प्रकाशित कर दिये जाते हैं। जब गजट में हम उन लोगों के नाम पढ़ते हैं, जब कि सरकारी आदेश द्वारा उक्त पंचायत के चुनाव स्थगित हो जाते हैं तो इस प्रकार एक ही जाति के लोगों को पंच, सरपंच बनाकर इस कानून के मातहत उन्होंने एक ही जाति के पंचायत राज्य बनाने की योजना बनाई है। सरकार द्वारा इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करने के कारण किस प्रकार पंचायतों के चुनाव में अनियमितता हुई है, किस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं ये सब इन बातों से प्रभावित होती हैं। इसके लिए यह कहा जाता है कि अगर इस प्रकार कोई अनियमितता हुई है तो कम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर आप इलेक्शन पिटीशन्स कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पंचायत एक्ट की धारा जो ८ रखी है उसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की जालसाजी इस द्वारा की गई है :

"अगर किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन नीति उम्मीदवार के संबंध में आपत्ति हो तो निर्वाचनाधिकारी....उसी समय वहां निर्णय कर दे।

एक तो अधिकार दे दिया हमने कि यदि कोई विशेष प्रकार की आपत्ति हो तो निर्वाचन धिकारी उस बात का फैसला कर ले।

(अश्रव्य)

अब जितने भी लोग एतराज करते हैं उसकी सारी बातें, पंचों की संख्या, वार्डों की संख्या, कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे उनके नाम, जाति दर्ज करने के लिए फॉर्म तैयार किया जाय और उस पर सारे एतराज लिखें। इस तरह की व्यवस्था की। पर जब प्रेसाइडिंग अफसर ने देखा कि यदि ऐसी बातों पर इलेक्शन पिटीशन हो गई तो उसके जरिये सारे चुनाव अवैध करार दे दिये जावेंगे। यह सोचकर उन चीजों का उल्लेख ही नहीं किया और कह दिया कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, यदि चुनाव के संबंध में आपको एतराज है तो इलेक्शन पिटीशन कर दो। अब यह इलेक्शन पिटीशन का भी अधिकार किसको दियागया है ? यह उन पंचों को दिया गया जो हारे उस जनता को अधिकार दिया कि जिनके प्रतिनिधि हारे। यह पिटीशन फिर किसके पास होगी,

[श्री भैरोंसिंह]

डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज के पास। कौन करेगा ? जो या तो ऐसा आदमी हो जो हारा है या ऐसा उम्मीदवार जो हारा है और कब करेगा जब कि उनके नाम गजट में प्रकाशित कर दिये जावें, उस तारीख से लेकर १५ दिन के समय में। मैं पूछना चाहूंगा कि हमने राजस्थान में म्यूनिसिपल एक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू किये, जनरल इलेक्शन हमने कराये, जरा आप बतायें तो सही कि इस तरह से १५ दिन की मियाद किसमें दी गई है। लेकिन राजस्थान में विचित्र दावपेंच वाले लोग हैं। उन्होंने सोचा जितनी कम हो उतनी कम से कम मियाद खास तौर से इसमें रक्खी जावे और वह रक्खी १५ दिन की। और वह भी किस दिन से ? जिस दिन से गजट में खबर छापा हो। इधर फिर व्यवस्था क्या की है कि इधर आज चुनाव हुआ और दूसरे दिन पंचायत के पंच या सरपंच काम करना शुरू कर दें और गजट में नाम उनके निकले १२ महीने बाद। काम आज शुरू करदे और नाम निकले १२ महीने बाद फिर गजट का क्या हाल है ? तीस तारीख को गजट हुआ, उसका पांच तारीख को होता है प्रकाशन, और १० तारीख को डिस्पेच करने की तारीख और फिर लोगों को ता० १३।१३ को पहुंचे और फिर बाद में दो दिन की मियाद। असल में तो कब छापा होती है लिस्ट इसका पता भी नहीं लगता। पर अब चूंकि उसका नाम प्रकाशित हुआ है तो अब इलेक्शन पिटीशन करनी है, पहले नहीं कर सकते। इस बारे में आप दरयाफ्त कर सकते हैं कि हर जिले में जाकर आप पूछ लीजिये कि इन पंचायतों के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें आई हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां तुरन्त चुनाव के पश्चात् ही चुनाव के सम्बन्ध में शिकायतें जिलाधिकारियों के पास नहीं पहुंची हों। शिकायत उनके पास पहुंच गई, पर एक्शन वे ले सकें ऐसी कोई कानून में व्यवस्था नही है और यह व्यवस्था इसलिये नहीं है क्योंकि उसमें लिखा है कि गजट में उनके नाम प्रकाशित होने के बाद १५ दिन की अवधि के अन्दर ही शिकायत हो सकती है। अब इन्तजार करो गजट के लिए लगातार बारह महीने तक। अब आप अन्दाज लगाइये जिसका चुनाव हो उसकी सूचना बारह महीने बाद तो प्रकाशित हो, गजट में प्रकाशित होने की तारीख ३० और डिस्पेच होकर गजट सारे के सारे लोगों के पास पहुंचे वह तारीख १३ और फिर १५ दिन की अवधि दी जिसमें कुल २ दिन उसके पास बचे; अब इन दो दिनों में काम्पीटेन्ट कोर्ट में जाकर इलेक्शन पिटीशन वह करे। फिर होना क्या है ? आप विश्वास करें या न करें कि गजट इतने दिनों में पहुंचता है, पर मैं सही बात आपसे कहता हूं और राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों के पास जो राजपत्र जाता है उनको तारीखों का हवाला दे सकता हूं। मेरे लिए ही मैं कहता हूँ कि इन पंचायतों सम्बन्धी सूचनाएं ११ से १३ तारीख के बीच में आई जबकि पंचायतों की विज्ञप्ति की तारीख ३० थी पिछली। १३ दिन इसमें लग जावें और दो दिन इस बात में लगें कि इलेक्शन पिटीशन कम्पीटेन्ट कोर्ट में करवा दें। यह अवधि सरकार अधिक रख सकती थी। लेकिन इसमें सरकार की ओर से खतरा था कि जो हम ज्यादती कर रहे हैं, एक जाति के लोगों को पंच बना रहे हैं, उसमें बाधा न आवे। अगर अवधि ज्यादा रक्खेंगे तो इस धांधली के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन हो जायगी और हमारी धांधली की पोल खुल जावेगी, इसलिए अवधि ही इतनी रक्खो कि कोई इलेक्शन पिटीशन ही न कर सके और इस तरह से हमारे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन ही न हो सके। अगर कोई इस बीच में करने की हिम्मत भी करे तो समय से पहले की बात कह कर

Page No.58

[श्री भैरोंसिंह]

उसे खत्म किया जा सके। खैर इसे भी जाने दीजिये। हम यह भी मान लें कि इसमें धांधली हो गई तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, ऊपर तहसील पंचायत में जाकर ये नीचे की पंचायतें अगर ज्यादती करती हैं तो वहां ठीक करा लेंगे, वहां अपील करेंगे। यहां इन पंचों को चुन लिया गया है तो चुन लियां जाने दो। अगर तहसील पंचायत में अपील हो जावेगी तो इन नीचे की पंचायतों में की गई ज्यादतियां सारी की सारी दूर हो जावेंगी और वहां से तो न्याय मिलेगा। पर इस तहसील पंचायत का चुनाव भी इस कानून की तहत में किस तरह से हो, इसका अधिकार सरकार ने ले रक्खा है और जो नीयत उसने नीचे की पंचायतों के चुनावों में अपनाई वही इसमें भी अपनाई। आज पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में ऐसी बात कही गई कि वे न्यायसंगत हुए हैं। अब न्यायसंगत कितने और किस तरह से हुए हैं, यह तो उनका मन भी जानता है। अब तहसील पंचायतों के चुनाव का तरीका देखिये। पहला तरीका उन्होंने अपनाया कि पहले ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच चुने जावें और फिर उनको अधिकार दिया है वोट देने का। उनके वोटों पर तहसील पंचायत का चुनाव होगा जब कि होना यह चाहिये कि मैंने जैसे निवेदन किया डिस्ट्रिक्ट बोर्डों आदि के चुनाव के बारे में वैसे ही इसके चुनाव किये जायं और आगे बताऊंगा आपको, एक एक डिविजन का नक्शा प्रस्तुत करूंगा और उससे पता लग जावेगा कि जो बातें मैंने प्रस्तुत की हैं उनमें कितनी सत्यता है। प्रमाण-पत्र और सुबूत मैं उपस्थित करूंगा और उनसे आप अन्दाज लगा सकेंगे कि जो बातें मैंने कही हैं वे किस हद तक सही हैं। तहसील पंचायतों के चुनावों का तरीका जो रक्खा है वह इस तरह रक्खा है कि जितने लोग तहसील पंचायत के लिए खड़े होंगे उनको सबको बराबर हो वोट देने का इन ग्राम पंचायतों के पंचों को और सरपंचों को अधिकार होगा। एक तहसील पंचायत में ८ मेम्बर चुनने हैं, तो इन आठों के लिए ग्राम पंचायत के हरेक पंच को अधिकार होगा ८ मेम्बर चुनने के लिए। इसका नतीजा यह होगा कि जिनको सबसे अधिक मत मिले वे सब जीत गये। ज्यादा से ज्यादा राजपूत जीत गये, ज्यादा से ज्यादा जाट जीत गये, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण जीत गये। इसका नतीजा यही होगा। जातीयता के आधार पर यह सारा इलेक्शन चलेगा। अगर जाट होगा तो वह अपनी कौम के जाटों को कहेगा कि अपनी कौम का वोट अपनी कौम के उम्मीदवार को ही मिलना चाहिये, राजपूत होगा तो वह यही कहेगा कि अपनी कौम के उम्मीदवार को वोट देना और यही हुआ है वास्तव में सब जगह। तो इससे यह हुआ कि अगर किसी प्रकार की धांधली करके, ज्यादती करके ग्राम पंचायत में सब के सब या अधिकांश में जाट आ गये हैं तो उनके वोट तहसील पंचायतों में भी जाट को ही मिलेंगे और इसके फलस्वरूप वहां भी उसी जाति विशेष का बहुमत हो जावेगा। अगर इसका सुबूत आपको चाहिये तो राजस्थान की सारी तहसीलों का नक्शा उठाकर आप देख लें। तहसीलों में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें जातीयता की विशाल भावना का जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है वह प्रबल रूप में हमारे सामने है। तो इसी के अनुसार तहसीलों में चुनाव हुए। ऐसी उनकी भी मान्यता है। जिस जनता ने चुना है उनकी भी यही मान्यता है और जो इसे जानते हैं उन सबकी यही मान्यता है। तो तहसील पंचायतों के चुनाव के तरीकों ने जातीयता

Page No.59

[श्री भैरोंसिंह]

को भी बड़े उग्र रूप में पनपाया है। हम बार बार ऐसा भी कहते हैं कि अल्पमत को हम प्रोटेक्शन दें, पर हमारी राजस्थान सरकार ने इससे उल्टा काम किया है। उसने अल्पसंख्यकों को नहीं, बल्कि अधिक मत वालों को प्रोटेक्शन देकर अल्पसंख्यकों पर छुरी चलाई है। हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी कानून बनाया है, पर उसमें चुनाव की प्रणाली ठीक अपनाई है। प्रिफेन्शियल वोटिंग सिस्टम से वोट होंगे। जितने सदस्य होंगे वे वोटरों के प्रिफरेन्स वोट से चुने जावेंगे। इससे यह होगा कि अगर किसी वर्ग विशेष के लोग थोड़े भी होंगे तो ऐसे आदमी भी वहां पहुँच सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सरकार ने यह अधिकार देना उचित समझा, पर तहसील चायतों में यह अधिकार वोटरों को देना अनुचित समझा। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में अल्पमत वाले भले ही पहुँच जावें, यह सरकार को जंच गया पर इन तहसील पंचायतों में पहुँच जावें यह नहीं जंचा। यहां तो यही रक्खा कि जिनको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वही चुना हुआ समझा जावेगा। यहां अल्पमत वाले यों ही रह गये। आप आज कहीं भी, किसी भी पंचायत में चले जाओ आपको यही मिलेगा कि कहीं आठ राजपूत हूँ, तो कहीं ८ ही जाट हैं तो कहीं ८ ही ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से जातीयता के आधार पर तहसील पंचायतों का निर्माण हुआ है जिनको जुडीशियल और एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स भी दिये गये हैं, छोटे छोटे मामलों को तय करने का अधिकार दिया है और उनमें इन एक जाति वालों से उम्मीद करते हैं कि वे न्याय प्रदान करेंगे। इनसे, जो पहले से ही जातिवाद के आधार पर चुन कर आये हैं न्याय की उम्मीद करना गलत चीज है। अगर आज समस्या आ जाती है जातिवाद के मामले को लेकर और इसके फलस्वरूप किसी जाट पर या किसी राजपूत या ब्राहमण पर कभी आफत आ जावे और उसका मामला इन तहसील पंचायतों में गया तो वे जात वाले पंचों से जाकर कहेंगे कि तुम हमारी जात के हो, हमारी जात के वोट पर ही तुम चुने जाकर यहां आये हो, हमारे फैसले के खिलाफ या हमारी जात के खिलाफ किसी और के हक में अगर फैसला दिया या आवाज उठाई तो याद रखना। उस डर से बेचारे जिनसे वोट लेना है; वे अन्याय नहीं करना भी चाहते हों तो भी अपनी जाति का पक्ष लेने के लिए उन्हें अन्याय भी करना पड़ेगा। ऐसा अन्याय हो रहा है और आगे भी होगा। इतना ही सब कुछ हो जाय तो इसमें सब्र कर लें, तो भी बात ठीक हो, लेकिन उनके ऊपर सरकार बैठी है। इन चीजों का रास्ता निकालने वाली बैठी है कि किसी प्रकार का रास्ता नहीं मिले, इस तरह की बातें करनी चाहिए। तहसील पंचायतों को देख लें कि यदि किसी पंचायत के अन्दर अपने दल के लोग नहीं आ सकें, अपनी जाति के लोग नहीं आ सकें तो कहीं पर मौके पर चुनाव नहीं कराये ताकि उस चुनाव में जो १०, १२ आदमी और आने वाले हैं वह हमारे खिलाफ के लोग हैं वोट नहीं दे सकें; इस तरह की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए मैं अपनी तहसील का जिक्र करूंगा। सारी तहसील दांता रामगढ़ का चुनाव हुआ लेकिन उसमें एक पंचायत क्षेत्र का चुनाव नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उस पंचायत क्षेत्र के अन्दर सरकारी सत्तारूढ़ दल के आदमी हारे हुए थे, जीते हुए नहीं थे इसलिए वह चुनाव नहीं हुआ। और सारी पंचायतों का चुनाव हो गया, लेकिन उस ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। उसमें दो वार्डों का चुनाव हुआ। उसमें सतारूढ़ दल के व्यक्ति हार गये तो तहसील कांग्रेस के नेता ने कहा कि यहां

[श्री भैरोंसिंह]

दंगा होने का डर है इसलिए चुनाव स्थगित किया जाय। उस जगह का चुनाव स्थगित किया गया लेकिन उसी जगह अगले चुनाव की तारीख निश्चित करनी चाहिए थी, लेकिन तारीख निश्चित नहीं की। वे लोग हमारे मिनिस्टर साहब के पास गये, चीफ पंचायत आफिसर के पास पहुंचे और यह कहा कि हमारे वार्ड्स में जिस तरह की हमने व्यवस्था की है कि हमारे आदमी, हमारी जाति वाले नहीं आ सकते तो उस पंचायत एरिया के वार्डों में रद्दोबदल किया जाय। राजस्थान में राणौली ही अकेली पंचायत होगी कि जहां आधे चुनाव हो जायं और आधे चुनाव के बाद वार्ड्स फिर बदले जायं और इसलिए बदले जायं कि सत्तारूढ़ दल के आदमी जीत नहीं सकते। आठ आदमी जीतने वाले विरोधी दल के होते हैं तो उन आठ को अभी लटकाया जाय, क्योंकि कानून वे जानते हैं कि किसी ने हाईकोर्ट में रिट कर दी कि सरकार वार्ड बदल नहीं सकती तो फिर चुनाव करवाने पड़ेंगे और विरोधी दल के सदस्य सारे के सारे जीतेंगे इसलिए जल्दी से तहसील पंचायत का चुनाव करवा दो तो ६,७ का फर्क पड़ रहा है, विपक्ष से तो अपने आदमी जीत जायं। इसलिए तहसील पंचायत के नये सदस्यों से फॉर्म भरा लिये, लेकिन जितने भी एग्रीव्ड थे वे हाई कोर्ट में पहुँचे और रिट की और हाई कोर्ट में अवेदन किया कि जो इलेक्टरल कॉलेज बनाया गया, वोटर्स की जो सूची बनाई गई है उसमें राणौली के पंचों के नाम नहीं हैं इसलिए उनका जो चुनाव करने का अधिकार है उस अधिकार पर आघात किया गया है, इसलिये वह चुनाव मन्सूख किये जायं। तो हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देकर चुनाव को खत्म कर दिया। लेकिन वहां अब भी चुनाव नहीं हो रहा है। राणौली में चुनाव करवाने की अभी भी हिम्मत नहीं है। राणौली में बड़ों २ का दबाव है और उस दबाव से डर लगता है। मैं माननीय मंत्रीजी से एक बार नहीं २० बार मिल चुका हूं लेकिन वे अभी राणौली के वार्ड्स में कोई तरह का हेरफेर नहीं कर सके हैं। उन्होंने उल्टा अधिकार दिया है कलेक्टर को कि वह उनको इस सम्बन्ध में इतिला दे दे कि जो कुछ वार्ड्स हमने बनाये हैं वह गलत तो नहीं हैं। गलत हों तो हेर-फेर कर दें। इस तरह से दबाव डालकर जो वार्ड्स जिस ढंग से बने हुए हैं, जो व्यवस्था थी किसी न किसी तरह उचित ढंग के वार्ड बने हैं। उन उचित ढंग से बने वार्ड्स को तब्दील करने की, किसी तरह से हेरफेर करने की जिलाधिकारी से सूचना मांगी है, उस पर कार्यवाही करने वाले हैं। लेकिन आपकी सूचना के लिए बता दूं कि कानून में जो नियम गलत सलत बने हैं वह कानून सरकार को अधिकार देता है कि चुनाव जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक उसमें वार्ड में किसी तरह का हेरफेर नहीं करेगी। सरकार अगर करेगी तो मजबूर होकर हमें हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा चाहे, कितना ही पैसा खर्च हो जाओ और उस संबंध में स्टे ऑर्डर्स ओब्टेन करने पड़ेंगे। वर्ना न्यायसंगत यह यह है कि जिस जगह आधे चुनाव हो गये हैं उस जगह बाकी चुनाव करवाये जायं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी, वह एक जगह नहीं है, बल्कि अनेक जगह है; मानलो कि ऐसी चीज नहीं हो कि जिस जगह पर देखा कि इस पंचायत क्षेत्र में लोग हमारे खिलाफ जाने वाले हैं उनका चुनाव नहीं करवाया, स्थगित करवा दिया और बीच में तहसील पंचायतों के चुनाव करवा दिये और उसमें जीत गये। तहसील पंचायतों के चुनाव स्थगित करवाये उसकी कोई सुनवाई नहीं।

[श्री भैरोंसिंह]

सरकार को अधिकार नहीं। मैं मानता हूं कि एक दफा चुनाव हो जाय उसके बाद में सरकार का अधिकार नहीं है कि हस्तक्षेप करे। यह मैं मानता हूं कि सरकार कानूनी ढंग से चले। चुनाव कराने में वोट देने का अधिकार है उन लोगों का, उन्हें उस अधिकार से महरूम क्यों रखे ? इसकी कोई सुनवाई नहीं। न तो कोई सुनने वाला है और न कोई मिलने वाला है, और जाकर कहते हैं तो कहा जाता है कि इलेक्शन पिटीशन करो। अब इलेक्शन पिटीशन हो, इसमें तो गजट देखो। उसका सुभीता करना होगा और अगर नहीं होगा तो १२ महीने के गजट के करीब ६५ रुपये होते हैं वह सरकारी प्रेस से खरीदो। उन्हें देखते रहो और पंचायत के लोगों के नाम देख लो तो कलेक्टर के पास इलेक्शन पिटीशन करनी होगी। अब गरीब आदमी काहे को ६५ रूपये खर्च करने लगा और गजट देखेने लगा। ऐसी उससे आशा नहीं की जा सकती। न तो सरकार की तरफ से गांवों में वाचनालय हैं, पुस्तकालय हैं, जिनमें इस प्रकार से गजट जाते रहते हों। ग्राम पंचायतें जो सरकार ने स्थापित की हैं उनमें भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गजट जाते रहें और ग्राम वालों को इस तरह की सूचना मिल जाय। सूचना देने का यदि काम हो तो सब प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने इस प्रकार की सूचना नहीं दी। मैंने स्वायत्त शासन मंत्रीजी से जो कि नये बने हैं उनसे इस विषय में निवेदन किया था। उनको भ्रम था और वह भ्रम इस तरह का था कि जिस रोज चुनाव हो जाय और शपथ ग्रहण कर लें तो शपथ ग्रहण करने और चुनाव होने के रोज किसी का ओब्जेक्शन एराइज़ होता है तो जिस रोज वह बनता है वह करे या बनने के १५ दिन की मियाद के अन्दर इलेक्शन पिटीशन कर सकता है। यह उनकी समझ होगी। उनकी समझ इस तरह की होती तो जो कानून भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री ने बनाया और जो कानून राजस्थान में लागू है उस कानून की यह बिल्कुल मन्शा नहीं है। इन्हें इस मन्शा को समझ कर उसमें आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। वह परिवर्तन नहीं किया गया तो जिन पंचायतों के खिलाफ रोष है, और वैसे ही पंच बने हुए हैं, लोग जाकर इलेक्शन पिटीशन कर सकें इस प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए।

लेकिन इन सब बातों के बावजूद अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष, जो कुछ मैंने बातें कहीं हैं उन बातों की सच्चाई में जितने भी राजस्थान के जिले हैं उनकी एक एक तहसील का वर्णन करता हूं। सबसे पहले मैं बीकानेर डिवीजन के गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील का नक्शा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, तहसील सूरतगढ़ में पंचायत क्षेत्र किस ढंग से बनाये गये हैं उसका एक थोड़ा सा नक्शा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पंचायत एक्ट में इस बात की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी कि जिसको पंचायत क्षेत्र का केन्द्र माना है वहां के पंचायत क्षेत्र का केन्द्र है भी कि नहीं। इस बात की व्यवस्था नहीं है कि जिसको केन्द्र माना है उसमें कोई कम्युनिकेशन की कन्वीनियन्स, लोगों के आने जाने की या डाक या तार की व्यवस्था और सुविधा है या नहीं, बल्कि आपने एक दृष्टिकोण अपनाया है कि अमुक आदमी हमारा किस तरह से जीत सकता है। वह आदमी किस आदमी का है और किस ढंग से जीतेगा इस प्रकार की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के लिए, माननीय उपाध्यक्ष, तहसील सूरतगढ़ के पांच पंचायत क्षेत्रों का ही मैं जिक्र करूंगा

[श्री भैरोंसिंह]

क्योंकि ज्यादा समय मैं इस सम्बन्ध में नहीं लेना चाहता। पीलीबंगा वहां का एक पंचायत क्षेत्र है और एक गुडली है। अब आपसे कहता हूं कि सूरतगढ़ के पंचायत क्षेत्र में गुडली के अन्दर ७० आदमी रहने वाले हैं उन ७० आदमियों पर २ पंचों की संख्या निर्धारित की है। ७० के ऊपर दो पंच हैं। दूसरा पंचायत क्षेत्र पदमपुरा है जिसमें सीलवावाली एक गांव है जिसकी जनसंख्या ६५७ है उसके लिए एक पंच। ७० के ऊपर दो पंच और ६५७ के ऊपर एक पंच है। एक ही क्षेत्र में ऐसा हो, ऐसी बात नहीं है। पीलीबंगा तहसील में लुडाना एक गांव है उसमें दो पंच हैं, जिसकी जनसंख्या ५६ है। ७० को मान लो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है लेकिन ७० से नीचे ५६ के ऊपर भी दो हैं और उसी मंडी पीलीबंगा में एक बीदलसर गांव है वहां ६७५ आदमियों के ऊपर एक है। अब आगे, माननीय उपाध्यक्ष, एक आड पंचायत क्षेत्र बनाया है। उस आड पंचायत क्षेत्र में ६८५ के ऊपर दो पंच है। इधर आड के अन्दर ६८५ के ऊपर दो पंच हैं और इसी एटा में पाबूसर एक गांव है वहां पर २५१ की आबादी के पीछे एक पंच रखा है, कनारी गांव में ३२५ की आबादी पर एक पंच रखा है और थेटार में ६०० की आबादी पर २ पंच रखे गये हैं, बोरमाना गांव में ७६१ की जन संख्या है वहां पर दो पंच रखे गये हैं, तो इस तरह ७० की जन संख्या पर दो पंच, ५२ पर दो पंच, ४६ पर दो पंच और ३२५ पर एक पंच रखे गये हैं। यह है पंचायतों के वार्ड्स विभाजन करने की नीति और पंच नियत करने की नीति। यही नहीं मैं आपको और आगे बताऊंगा गुडली गांव का अजीब ही किस्सा है। वहां बीदासरी सुख चैनपुरा, सुखचैनपुरा चक नं० १ व सुखचैनपुरा चक नं० २ इनके लिये तीन पंचों की संख्या रखी गई है जब कि ये तीनों गांव बिल्कुल गैरआबाद हैं। इनके बारे में तहसील रिपोर्ट क्या कहती है, वह भी जरा मुलाहिजा कर लें। हमारी तहसील यह रिपोर्ट करती है :

"मालगुमारी सम्वत् २०११ में बीदासरी, सुखचैनपुरा, चक नं० १ और सुखचैनपुरा चक नं० २ गैर आबाद हैं।"

७० की जनसंख्या पर दो पंच मुकर्रर किये जांय, यह सब किया जा सकता है, ५२ की जनसंख्या पर २ पंच रखे जायं इसके लिये सब किया जा सकता है और ४६ को जनसंख्या पर दो पंच रखे जांय इसके लिये भी सब्र किया जा सकता है लेकिन जो गांव ही नहीं, जो गांव गैर आबाद हैं, जहां पर कोई आबादी ही नहीं है वहां पर ३ पंच रखे जांय, इसके लिये कैसे सब्र किया जा सकता है? केवल मैं ही ऐसा कहता हूँ, यह बात नहीं है, यह सर्टीफाइड कोपी है उस तहसील की और इस पर उस तहसील की मोहर लगी हुई है तहसीलदार के हाथ की कि मालगुमारी सम्वत् २०११ में बीदासरी, सुखचैनपुरा, चक नं० १ और सुखचैनपुरा चक नं० २ गैरआबाद हैं।

ये गैर आबाद दिखाये जाते हैं पर पंच बनाने थे और पंच बना दिये गये। क्या इस पर भी सब्र करें कि सरकार गैरआबाद गांवों में पंचों की संख्या निर्धारित करती है

[श्री भैरोंसिंह]

और पंचों की संख्या घोषित करती है और इन चीजों के आधार पर पंचायतों का ढांचा बन गया है। पंचायतों का ढांचा कैसा बना है इसके बारे में तो मैं आगे कहूँगा।

तात्पर्य यह है कि ७० की जन संख्या पर एक पंच, ५६ की जनसंख्या पर दो पंच, ५६ की जन संख्या पर दो पंच और ५३ की जन संख्या पर दो पंचों की संख्या निर्धारित की जाय; यही नहीं पर जिन गांवों की जनसंख्या ही नहीं है, आबादी ही नहीं है वहां तीन पंचों की संख्या निर्धारित की जाती है; क्यों कि जो सरपंच बनने वाला है वह उस समय के मन्त्री महोदय का भूवा का बेटा भाई हैं जो सरपंच चुना गया। वह भी गुडली की पंचायत के क्षेत्र के पंच हों तो मैं मान लूं कि उस पंचायत के क्षेत्र के लोगों को ही उन गांवों का पंच बनाया गया है पर गैर आबाद गांवों के पंच ३ मुकर्रर किये और उस क्षेत्र के बाहर के लोगों को पंच बना दिया। इसलिये पंच बना दिया कि बना दो, क्या होता है आखिर शिकायत होगी तो हरी सिंहजी के पास ही होगी न और उनकी अपील होगी स्वायत्त शासन मंत्रीजी के पास, उनके पास हमारा एप्रोच हैं; चाहेंगे वैसा ही करवा लेंगे और चाहा जैसा करवा भी लिया।

पीलीबंगा क्षेत्र के चुनाव हुए, उस क्षेत्र में पहली दफा उनके आदमी जिस वक्त जीतने वाले नहीं थे इसलिये हो-हुल्लड किया गया और रिटर्निंग ओफीसर के पास दर्खास्त पेश की गई और दर्खास्त किसने पेश की, एक जिम्मेदार नेता के छोटे भाई ने, जिन जिम्मेदार नेताओं के ऊपर हमारी सरकार निर्धारित है, उन नेता के छोटे भाई रिपोर्ट पेश करते हैं कि यहां दंगा हो जायगा इसलिये चुनाव बन्द किये जायं। रिटर्निंग ओफीसर नाहर पकडी छाली जैसा था उसने चुनाव बन्द कर दिया। फिर उन लोगों ने देखा कि देखें दुबारा जीत सकें तो कोशिश की जाय और दुबारा चुनाव की तारीख मुकर्रर की गई ८. ५. ५५। पहली तारीख जो २०. २. ५४ मुकर्रर की थी वह नियमानुसार निश्चत नहीं की गई थी, उसको बाद में ऊपर से निश्चत कराया गया, फिर दुबारा चुनाव के लिये ८: ५: ५५ तारीख पर उस रोज भी यही डर दिखाया गया क्योंकि उनको उस रोज भी जीतने की आशा नहीं थी, पर १७। ५। ५५ को चुनाव होता है लेकिन जिस प्रकार पहले एक व्यक्ति ने रिटर्निंग ओफीसर के पास रिपोर्ट की थी कि दंगा हो जायगा उसी तरह वहां के लोगों ने रिपोर्ट की कि यहां दंगा हो जावेगा, फिर भी रिटर्निंग ओफीसर अन्याय करने लगा तो वहां के लोगों ने हुल्लड़ किया और कहा कि दंगा हो जायगा और यहां से तुम्हारा जाना मुश्किल हो जायगा। पहली पार्टी ने दो दफा डर दिखाया, उसी तरह दूसरी पार्टी ने भी एक दफा डर दिखाया और उस रोज भी चुनाव बन्द कर दिया जाता है।

इस सब का नतीजा यह निकलता है कि तारीख ३। १०। ५५ को चीफ पंचायत ओफीसर की ओर से ३१८२६ नं० की आज्ञा निर्वाचनाधिकारी के नाम निकलती है :

प्रसंग:—निर्वाचनाधिकारी का पत्र......दिनांक ...क्रमांक

[श्री भैरोंसिंह]

निम्नलिखित सरपंच, उप सरपंच और पंचों को राजस्थान पंचायत एक्ट १९५४ की धारा १५ के अन्तर्गत शपथ ग्रहण करवा देवो।"

चुनाव नहीं कराया गया, रिटर्निंग ऑफीसर भाग गया। पहले पहली पार्टी वालों ने दो दफा डर दिखाया था फिर दूसरी पार्टी वालों ने डर दिखाया। पहले दो दफा उनको चुनाव जीतने की आशा नहीं थी और फिर तीसरी दफा निर्वाचनाधिकारी द्वारा अन्याय करवाना चाहा, जिस पर दूसरी पार्टी वालों ने डर दिखाया तो सरकार ने कहा कि तुम इस तरह नहीं मानते हो तो उनको सजा दी, यह सजा दी कि तुम इस तरह नहीं मानते, हमारी पार्टी को नहीं जीतने देते तो लो हम पंच नोमीनेट कर देते हैं और चीफ पंचायत ऑफीसर ने निर्वाचनाधिकारी के नाम आज्ञा भेज दी कि इन इन लोगों को शपथ दिलवा दो। वह जो ऊपर बताये गये नं० की आज्ञा जारी की उसमें ऊपर लिखा हुआ है :

"प्रसंग - निर्वाचनाधिकारी का पत्र......दिनांक......क्रमांक ... "

यह सब खाली हैं। यह इस बात का सबूत है कि उस वक्त तक निर्वाचनाधिकारी की तरफ से चीफ पंचायत ऑफीसर को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। जो चीफ पंचायत ऑफीसर की आज्ञा निर्वाचनाधिकारी के नाम नोमिनेटेड पंचों को शपथ दिलाने की आज्ञा निकाली गई उसकी ताईद में सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा पत्र लिखा गया, उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें लिखा है :

"गवर्नमेंट होस्टल, जयपुर, ३।१०।५५" यह वही तारीख है जिस दिन इस प्रकार का चीफ पंचायत ऑफीसर का पत्र निकला।

"प्रिय भाई भागीरथ,
जय हिन्द,

आप अर्जन के भरोसे बैठे रहे। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अर्जन जैसे आदमी के साथ में नुकसान के सिवाय कोई चीज नहीं है। मोतीलाल हैडमास्टर के भेजे कोई कागजात यहां दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं।"

मोतीलाल हैडमास्टर कौन हैं? वही रिटर्निंग ऑफीसर है। चुनाव नहीं कराया इसलिये कागज़ात नहीं भेजे। ३-१०-५५ को चीफ पंचायत ऑफीसर की आज्ञा शपथ ग्रहण करवाने की भेजी जाती है और उस तारीख को लिखा जाता है कि कागजात नहीं पहुंचे हैं, कागज़ से ज्यादा महत्व रखने वाले लोग पहुंच गये और चीफ पंचायत ऑफीसर से उपरोक्त आज्ञा निकलवादी बिना कागजात के पहुंचे ही। आगे लिखा है :

[श्री भैरोंसिंह]

"अर्जन जिन कागजों को लाया उनसे एक घंटे में काम होने वाला था लेकिन कराने वाला कोई नहीं था। इसने तो उल्टी लड़ाई शुरू करदी और इसकी दिलचस्पी तो ढाबा में पंच बढाने की बात में थी, इसी पर सब से लडा है, अपने वाले काम की कोई परवाह नहीं की।"

पीलीबंगा के कागजात नहीं गये इसलिये लिखा है कि अपने वाले काम की कोई परवाह नहीं। यह इस सदन के सदस्य का, जो कि उस क्षेत्र से आये हैं, लिखा हुआ पत्र है।

मोतीलाल के कागज़ात नहीं पहुंचे, इस चीज को राजस्थान विधान सभा का सदस्य लिखता है, उसी तारीख को आज्ञा निकलती है कि जो पंच निर्वाचित किये गये हैं उनको शपथ ग्रहण करवादी जाय। उनको शपथ दिलाते हैं, फिर उनके नाम आते हैं तो फिर पता चलता है। अब इलेक्शन पिटिशन की गुंजायश नहीं। पांचयत चुनाव जीतने के लिये वहां संघर्ष किया गया, वह सारा का सारा बेकार गया। इसलिये कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं। इनके विरोधी थे, उनको यह सजा मिली कि चुनाव हुए बिना ही चुनाव हुए घोषित कर दिये गये और चीफ पंचायत ऑफीसर, राजस्थान हरीसिंह के दस्तखत हैं। हरी सिंहजी ने खुदने अपने हाथों से दस्तखत किये हैं। कागज नहीं पहुंचे, पर टेलीफोन पर हुक्म चला गया होगा और उन्होंने तमील कर दी।

आज जो पीली बंगा के लोग हैं वे रोते हैं इस सरकार को। अब भी लोग कहते हैं कि अन्याय किस तरह से हुआ? आपने सूचना समय पर उनको नहीं देकर इलेक्शन पिटीशन की मियाद निकाल दी। इसमें भी चालाकी की गई। वह क्या चालाकी है कि पंचायतों का चुनाव आज होता है और पंचायतों के चुनाव की इत्तिला ५ दिन बाद में चीफ पंचायत ऑफिसर के पास भेजी जाती है जब चीफ पंचायत ऑफिसर के पास इत्तिला जाती है तो जो जातिवादी दल हार गया है वह दल चीफ पंचायत ऑफिसर के पास पहुँचता है और उनको कहता है कि इन तीन पंचायतों के अलावा सारी तहसील में अपने ही अपने पंच चुने जा चुके हैं। इसलिये इन तीनों पंचायतोंके पंचों को शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिये। वह पंचायत ओफिसर उनके कहे अनुसार कागज़ों की जांच करके और निरीक्षण करने के बाद आज्ञा देता है कि फलां तीन पंचायतें हैं, जिसमें जाति विशेष दल के आदमी जीते नहीं और जीत नहीं सके, उन पंचायतों के चुने हुए पंचों को शपथ ग्रहण नहीं कराते और जब वे दर्यांफ्त करते हैं तो कहते हैं कि आपके कागजों की जांच होगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस अधिकारी को जांच करने और कराने का अधिकार किसने दिया और उसके पास यह अधिकार कैसे आया। मगर फिर भी इस प्रकार ८, ८ महीने बीत जाते हैं और उसका कोई हल नहीं निकलता है; तब वहां के लोग चीफ पंचायत ऑफिसर के पास जाते हैं और उनको हाईकोर्ट में जाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे विधान सभा के सदस्यों से इस सम्बन्ध में मिलते हैं, जो इस प्रकार की कार्यवाहियों को हाउस के अन्दर एक्सपोज करेंगे और आपकी रिपोर्टों को एसेम्बली में पढ़ कर सुनावेंगे। तब कहीं जाकर वे उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। यह हाल एक डिविजन की एक तहसील का हो, ऐसी बात नहीं है लेकिन सारे क्षेत्रों की पंचायतों के बारे में है।

Page No.66

[श्री भैरोंसिंह]

इस सबका विवरण आपके सामने आयेगा। अगर यह हो कि केवल सूरतगढ़ की तहसील में ही ऐसा हुआ है तो यह विश्वास हो सकता है कि गलती से हुआ होगा और इस बात को मान भी सकते हैं लेकिन यह काम राजस्थान की सारी तहसीलों में हुआ है। अगर किसी खास कारण से एक तहसील में ही हुआ होता तो अलग बात थी। राजस्थान का सारा काम एक तहसील पर आधारित नहीं बल्कि बहुत सी तहसीलों पर आधारित है। खेर अब मुझे मजबूर होकर जयपुर डिवीज़न में आना पड़ेगा, फिर जोधपुर और फिर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। उदयपुर, जहां पर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर यह कहते हैं कि वहां पर कोई पंचायतों के चुनाव में अन्याय नहीं हुआ, उनको भी यह पता चल जावेगा कि वहां पर किस हद तक अन्याय हुआ ?

अभी जयपुर में पंचायतों के चुनाव हुए। पहले जयपुर में जयपुर पंचायत एक्ट लागू था। पहले का पंचायत एक्ट उस युग का था जिस युग को हम सामन्तशाही युग कहते हैं, जिसको हम राजा महाराजाओं का युग कहते हैं। उस समय का बना हुआ जयपुर पंचायत एक्ट लागू था। पंचायतों का चुनाव हुआ, उसमें लोगों ने संघर्ष नहीं किया। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जनता दबाव से संघर्ष नहीं करती या लोगों में संघर्ष करने की भावना नहीं हो और इसके कारण से वहां के लोगों ने किसी प्रकार से चुनाव में संघर्ष नहीं किया हो। मगर मैं यह कहूँगा कि लोगों में चाहे कैसी भी सरकार हो, चाहे राजा महाराजाओं के जमाने की सरकार हो लेकिन वे संघर्ष तो करते ही हैं। राजा महाराजाओं की सरकार जो पहले कानून बनाती थी उनका पूर्ण रूप से अमल होता था। हो सकता था कि लोगों को विश्वास होता कि पंचायतों के कानून सामन्तशाही के कानून हैं या सामन्तशाही प्रणाली से बने हुए हैं लेकिन वे इस बात को जानते थे कि जो कानून बने हुए हैं उनका अमल होगा और वह अमल उसी तरह से होगा जिस तरह से कानून बना हुआ होता। उन पुराने कानून के अनुसार पंचायतें बनीं। जब पब्लिक की सरकार बनी और पब्लिक के प्रतिनिधियों ने पंचायतों के कानून बनाये और जब उन कानूनों को कार्यरूप में लाने की व्यवस्था की गई तो पब्लिक के सामने यह बात आई कि यह क्या कानून है। पब्लिक चक्कर में पड़ गई कि यह क्या, राजा महाराजाओं के जमाने से भी रद्दी कानून जिसके जरिये पंचायतों का चुनाव होगा। अब मैं जयपुर डिवीजन में दूसरी जगह न जाकर झुंझुनू और स्वयं एक अपनी तहसील में जहां पर कई गड़बड़ियें हुई हैं बताऊंगा और फिर जोधपुर और उदयपुर की बातें कहूँगा। मेरे पास पत्र तो बहुत हैं जिनको देखने से सारी चीज आपके सामने आ जावेगी। अब मैं पहले अपनी तहसील को न लेकर झुंझुनू के बारे में बताता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, झुंझुनू के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में एक प्रश्न रखा और उसका उत्तर देते हुए जो कुछ कहा गया उसको मैंने सुना, वह उत्तर संतोषजनक हो ऐसी बात मुझे नहीं जचती। यह एक मिनिस्टरों में आम धारणा हो गई है कि वे विधान सभा में यह कह देते हैं कि यह बात गलत है। लेकिन जो इल्जाम विधान सभा में लगाये

[श्री भैंरूसिंह]

जाते हैं उनकी तहकीकात करने की सरकार में हिम्मत नहीं । लोग कहते हैं कि विधान सभा में इल्जाम लगा देते हैं, इसलिये कि उनको प्रिविलेज है कि उन पर मुकदमा नहीं लागू किया जा सकता है । लेकिन विधान सभा में जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनके लिये हमारा यह फर्ज होता है कि हम उसकी जांच कराएं कि जो इल्ज़ाम जिस व्यक्ति ने लगाया है वह सही है या गलत । इसकी जांच कराए और उसकी जांच के बाद विधान सभा में सूचना दें कि यह इलजाम फलां व्यक्ति ने झूठा लगाया लेकिन इसकी जांच नहीं होती । जब कोई इलजाम लगाया जाता है तो उस समय केवल यहीएक बात कही जाती है कि यह बिल्कुल झूठ है । "यह बिल्कुल झूठ है" के सिवाय कुछ नहीं कहा जाता । इसी प्रकार का उत्तर जब कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने झुंझुनू के बारे में प्रश्न पूछा तो उसका जवाब दिया गया कि ऐसी बात नहीं हुई और इन गलत बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए । मगर उन्होंने दरअसल में उसके आंकडे पेश किये नहीं । झुंझुनू में पंचायतें बनीं उनका नक्शा मेरे पास है । इस नक्शे में यदि एक भी पंचायत का क्षेत्र या वार्ड जनता की आबादी के लिहाज से या गांव वालो की सुविधा या किसी पंचायत क्षेत्र के सुविधानुसार बनाया गया हो या वहां की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया हो तो झुंझुनू के माननीय सदस्य या दूसरे महानुभाव आ जावें और देखलें कि सारी की सारी बातें उचित रूप से हुई हैं या नहीं । अगर वे इस बात को चुनौती देते हों तो मैं यह कहूँगा कि वे इस क्षेत्र में चलने के लिए खड़े हो जावें और माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को साथ लेकर चलें और पता लगावें कि वहां के वार्ड और पंचायतों के क्षेत्र न्याय संगत हैं या नहीं । अगर आप इसकी जांच करावें तो आपको मालूम होगा कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है । पंचायतों का क्षेत्र मुकर्रर करते समय यह सिद्धान्त रहा कि पंचायतें ऐसी आवें जिनके जरिये वाटर बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और तहसील पंचायतों का कब्जा कर लिया जावे । अगर जल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि को बदनाम करने वाले, पैसा खाने वाले अगर कोई हैं तो इस प्रकार की अन्याय के आधार पर चुनी हुई पंचायतें हैं और उन्हीं के कारण यह सारे वाटर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि बदनाम हुए और इन सारी चीजों को इस लेवल पर लाए । माननीय उपाध्यक्ष, मेरी तहसील में जिस तरह पंचायतों के क्षेत्र का विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ कि मेरे तहसील में एक गांव उससे एक मील पर एक पंचायत बाय है उसके साथ उसका क्षेत्र नहीं लगाया और एक दूसरा गांव जो ६ मील की दूरी पर है उसके साथ लगाया । इस गांव को नजदीक की पंचायत के साथ इसलिये नहीं लिया कि....

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य के बोलने के समय पर भी कोई नियंत्रण हैं या नहीं । जो कुछ कहा गया है वह बहुत कहा गया है और फिर अगर एक एक पंचायत को लेकर कहा जावे या बोला जावे तो राजस्थान में ३५०० पंचायतें हैं, सब पर कुछ न कुछ कहा ही जा सकता है । अगर इस प्रकार कोई समय पर नियंत्रण नहीं होगा तो दूसरे भी जो कुछ कहना चाहते हैं कुछ नहीं कह पावेंगे, इसके लिये कुछ आज्ञा होनी चाहिये ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह तो बड़ा अच्छा उपन्यास है । इसको सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा—अगर उपन्यास ही बनाना है तो दुनियां को लिखकर बता दें।

श्री वेदपाल त्यागी—इसको दुनिया तो जानती है, आप लोगों को बताना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर आप यह समझते हैं कि इसमें समय खर्च न हो तो आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें कि जांच कराई जावेगी और जब जांच हो जावे तब हाउस के सामने सही बात बता दें, सही बात सामने आ जावेगी। आप इसको स्वीकार कर क्यों नहीं लेते ? आखिर बात जांच कराने की ही तो है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मैं समझता हूं कि माननीय मित्र यह चाहते हैं कि मैं अपनी तहसील के बारे में कुछ न कहूं......

श्री उपाध्यक्ष—आप मुख्य मुख्य बातों पर ही बोलें।

श्री भैरूसिंह—मैं अपनी तहसील के बारे में हुई अनियमितताओं के बारे में कहने लगा तो लोगों को इससे विरोध हुआ। खैर, अब मैं अपनी तहसील के बारे में नहीं कहूंगा। झुंझुनू और जोधपुर के बारे में भी जो बात उठाई थी उसके लिये भी नहीं कहूंगा क्योंकि आपने आपत्ति उठाई है। मैं इन सारी चीजों को छोड़ता हूं क्योंकि आपकी यही इच्छा है कि मैं अलग अलग पंचायतों के बारे में जो अन्याय हुए हैं उनके बारे में न कहूँ, तो मैं उनको छोड़ता हूं। पंचायतों के बारे में मैं नहीं कहता। लेकिन जो आम चीजें हैं, जिनके बारे में शिकायतें हैं उसके लिये जरूर कुछ कहूंगा। पंचायतों के जो नियम बने हैं वे सारे के सारे गलत हैं। उसकी प्रारम्भ भूमि गलत है और उनको बनाने का किस प्रकार षड़यन्त्र हुआ इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा। यह कानून राजस्थान सरकार के भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री से उनके बाद के भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्रीजी के समय में बना। कानून बना उस कानून के मुदे में या पेटे में कोई अन्याय की चीज हो, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जिस समय यह पंचायतों का चुनाव होने लगा उस समय भूतपूर्व मंत्री ने यह योजना बनाई कि कानून गल्त-सल्त जैसा विधान सभा ने बनाया वह ठीक है लेकिन कानून की कार्य रूप रेखा किस तरह से तैयर की जावे तो इसके लिये भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री, भूतपूर्व चीफ पंचायत ओफिसर श्री हरीसिंहजी और एक व्यक्ति को जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेट्री थे बुलाया। ये आर० ए० एस० और गवर्नमेंट सर्विसेज़ में सबसे जूनियर थे। उनको सीनियर ओफिसर बनाया गया और एक षड़यंत्र रचा गया कि किस तरह से पब्लिक को फंसाया जावे और आज उनके षड़यन्त्र के फलस्वरूप आप देखिये, जितने भी इन्सपेक्टर हैं, डिवीजनली ओफिसर्स हैं, चीफ पंचायत ओफिसर है, उन सब लोगों ने यह षडयंत्र बनाया कि इसी जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आवें।

आज पंचायतों में ऐसी कौनसी बात है कि एक ही कौम के लोग सर्विस में लिये जावें। यह कौनसी आवश्यकता थी कि एक व्यक्ति को जो बहुत जूनियर था उसको सीकर से बुलाकर जूनियर होते हुए भी सीनियर बनाकर बिठाया गया। मगर उनको तो ऐसे आदमी चाहिये थे जो उनकी हां में हां मिलाते और स्वायत्त शासन मंत्री जी की हां में हां मिलाते। लेकिन सारे के सारे काम

[श्री भैरोंसिंह]

हुए हैं। कोई भी विभाग उठाकर देख लीजिये। जातीयता का यदि खास बोलबाला किसी विभाग में देखने को मिलेगा तो वह है पंचायत विभाग जिसकी चर्चा आज नहीं अनेकों बार सुनने को मिलती हैं, लेकिन कर दिया सो कर दिया। ये सारे के सारे लोग न्याय करेंगे लेकिन न्याय की कोई बात नहीं। सारे लोग इस विभाग में आये, सुनने को बातें मिलीं, लोग विवश हुए और ये सारी चीजें बनीं। अब विश्वास ऐसा होता है, जिन मंत्री जी को, जिनकी यह सारी रचना थी, उनको इस डिपार्टमेंट से अलग किया गया, उनको विदा किया गया, उनका काम अब पंचायत क्षेत्र में नहीं, वे दूसरे क्षेत्र में काम करें और यह काम दूसरे मंत्री को दिया। माननीय उपाध्यक्ष, मैं स्पष्ट करूंगा और कहूंगा कि पंचायतों के मामले में जो अव्यवस्था है उसको आप दूर करें और कहीं वे भी चंगुल में फंस गये तो जो अपेक्षा की जाती है उनसे कि पंचायतों में फैली अव्यवस्था को वे दूर करेंगे, नहीं तो फिर यह पंचायत राज्य नहीं, यह तो रावण-राज्य है और राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको बिल्कुल सावधान होकर रहना है। अगर वे सावधान होकर नहीं रहे तो खतरे की घंटी सिर पर है और खतरे की घंटी बजने लगी है। मैं समझता हूं कि वे बचे रहेंगे और इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है उनके हाथों को ज्यादा मजबूत बना रखने के लिए। मैंने इस कमेटी में पांच सदस्य रखे हैं। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया है। जिन लोगों के ऊपर जातीयता का आक्षेप है उस जाति के एक व्यक्ति को रखा है ताकि कोई यह न कह सके कि अलग अलग जाति के लोग नहीं रखे गये हैं और एक ही जाति के लोगों को रख लिया है और इसीलिए चौधरी रामचन्द्र को इसमें रखा है। कानूनी मामलों में सलाह दे सकें इसलिए हाईकोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री वेदपाल त्यागी को सदस्य रखा है, सरकार की ओर से जितनी सूचनायें इकट्ठी की जायं सरकार के सामने सारा ब्योरा रख दे, इन सारी बातों का ब्योरा रखने के लिए राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को एक सदस्य के रूप में रखा है, और यदि कोई ऐसा कह दे कि राजपूतों ने ऐसा काम किया है और ऐसी व्यवस्था बनी है तो जाति के तौर पर नहीं, कमेटी के ऊपर कोई शंका करे तो उसके निर्धारण के लिए ठा० श्री भीमसिंह जी को उसमें सदस्य रखा है। इस कमेटी में मेजोरिटी कांग्रेस के सदस्यों की है और विरोधी दल के एक सदस्य हैं श्री वेदपाल त्यागी जो कि उनको कानूनी सलाह देंगे। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह कांग्रेस द्वारा बनी समिति की ओर से मैंने जो प्रस्ताव रखा है उसको मंजूर करे। चुनाव सम्बन्धी अव्यवस्थाओं के बारे में कानून में संशोधन लाने के लिए समिति को अधिकार प्रदान करें। जहां जहां जैसी जैसी अव्यवस्था हुई है, जहां लाखों लोग सरकार को लानत भेजती है, सरकार के जो काले कारनामे हैं उन काले कारनामों को समिति के सामने रखें, समिति को बतावें और यही सारी व्यवस्था करने के लिए मैंने एक समिति का सुझाव रखा है और मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे सुझाव को मंजूर करेगा।

श्री खेतसिंह—जोधपुर के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्ताव नं० ६ पंचायतों के निर्माण और चुनाव सम्बन्धी अवैध कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए दांतारामगढ़ से आये सदस्य

[श्री मोतीलाल चौधरी]

ने रखा है और उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलते हुए, प्रस्ताव उनका कहां है, किस जगह और कहां पहुंच गये हैं बोलते बोलते, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उनका स्वभाव है इसी तरह की बातें करने का। मैंने इस प्रस्ताव को देखा था और बैठे बैठे पढ़ रहा था। मुझे ताज्जुब भी हो रहा था, कहां से कहां बोल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो तथ्यहीन बातें कही हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। उदाहरण के लिए हाउस को जो बहकाया गया है उसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं ताकि दिमाग में साफ आ जाय। सबसे पहले उन्होंने कहा कि झुंझुनू के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सेक्रेटरी को अपोइन्ट किया और दूसरा रूल्स बनाने के कारण और भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री, चीफ पंचायत ऑफिसर और नहारसिंह जी ने मिल कर षडयन्त्र किया। इसके लिए मैं उनको, सदन को जानकारी करा दूं कि रूल्स बने थे, वे भूतपूर्व मंत्री के वक्त में नहीं बने थे जिसके लिए आपने कहा था। कानून बना था उस मंत्री के टाइम में जब कुम्भाराम जी इस विभाग के मंत्री नहीं थे किन्तु रामकरण जी जोशी थे। रामकरणजी जोशी के टाइम में बने थे। नियम बने हैं किन्तु वे चौधरी कुम्भाराम के टाइम में नहीं बने थे। यह साफ है; राजपत्र संख्या १७ दिनांक २ दिसम्बर, १९५४ में प्रकाशित हुए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हैं तो दोनों कांग्रेस के।

श्री मोतीलाल चौधरी—सब बता दूंगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पहले ड्राफ्ट बना था।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष जी, इस हाउस के अन्दर बहुत दिनों से, बहुत रोष के साथ कहा जा रहा है, हाउस के बाहर और अन्दर कहा जा रहा है; इस तरह से कहा जा रहा है कि जातिवाद का बोलबाला है। जब पंचायत संबंधी प्रस्ताव आया, उसके संबंध में जातिवाद कहा था या एक विशेष वर्ग के ऊपर लांछन लगाया गया था। इस वर्ग के ऊपर सब लगा सकते हैं। मैं कह दूं कि बर पंचायत में एक भी जाट नहीं है। बर पचायत के अन्दर उस वर्ग के व्यक्ति नहीं हैं जिनके लिए पहले भी माननीय सदस्य ने लांछन लगाया था। अब जो यह कहा जा रहा है कि वर्तमान मंत्री या भूतपूर्व मंत्री के वक्त में गड़बड़ी हुई है मैं जानकारी के लिए कह दूं कि नहीं हुई है। किसी मंत्री के वक्त कोई गड़बड़ी नहीं हुई है; न किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, इसकी जानकारी मैं आगे जाकर दूंगा।

पंचायत कानून सब से पहले राजपत्र के अन्दर प्रकाशित हुआ है। उसकी तारीख है ३१ अक्टोबर, १९५३। उस समय पंचायत विभाग यानी स्वायत शासन मंत्री श्री रामकरणजी थे। इसके लिये रूल्स बने १५-५-५४ को, वह भी भूतपूर्व स्वायत शासन मंत्री के पहले जो स्वायत शासन मंत्री थे थे उनके समय में बने थे। उनके लिये यह कहना कि यह तो जातीवाद को फैलाने का षड़यंत्र था यानी राजस्थान के अन्दर अमुक जाति के लोगों को पंच बनाया जाय, इसी दृष्टिकोण से ये नियम बनाये गये यह बिल्कुल गलत है तथ्यहीन है। इस संबंध में जो भी बातें हाउस में कही गई, वे तथ्यहीन थी।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं पढ़कर बताद् । उन्होंने उस प्रस्ताव में क्या चाहा है, "इस सदन की सम्मति है कि निम्न लिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जावे जो पंचायतों के निर्माण तथा चुनाव संबन्धी अवैध कार्यवाहियों की जांच करके नियमों में उचित संशोधन करने के लिये १५ जनवरी सन्, ५६ तक अपना प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करें" । आगे समिति की सदस्यों के नाम दिये गये हैं ।

इस संबन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि हाउस में इस संबन्ध में इस तरह की बातें करते हैं, जो बातें यहां नहीं कहनी चाहिये इससे इस प्रकार की बातें कहने वाले का और सदन का भी स्टेटस कम होता है । यह तो दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का एक तरह का स्वभाव सा हो गया है .... ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप हमारे स्वभाव से कब से परिचित हो गये ?

एक माननीय सदस्य—आप से छिपी कोई बात नहीं है ।

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) वातावरण ऐसा नहीं है जैसा कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया । न तो इस प्रकार की गड़बड़ियां ही हुई है क्योंकि जो दल बहुत संख्या में आता है और जिस पार्टी से उनका संबन्ध है उनका यही काम है कि वे हाउस में और हाउस के बाहर गड़बड़ियां करें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये बातें पुरानी हो गई हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) अब मैं आपके सामने बिल्कुल आंकड़े देकर यह बताऊंगा कि जो बातें कही गई हैं उनमें कितनी सत्य हैं और पंचायत कानून के आधार पर मैं यह बताऊंगा; पंचायत कानून की धारा ५ के अन्दर पंचायत बनाने के, वार्ड्स बनाने के संबन्ध में धारा है जो हाउस द्वारा पास की हुई है । धारा ५ में ये शब्द हैं ;

"The Chief Panchayat Officer may divide each Panchayat circle into such number of wards as may be convenient, at the time of the election, and fix the number of Panchas to be elected from each such wards."

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कौनसी भाषा है "वर्ड्स" ?

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी रखते हुए) जो भाषा कानून में प्रयोग की गई है, जो प्रस्तावक महोदय भी जानते हैं... ।

(कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री खेतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे हम खामोशी से सुन रहे थे, जब हमारे इधर से बोला जाता है तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है; हम भी इस तरह से करेंगे जब वे बोलेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास---यह तो बोलने वाले की काबलियत पर मुनस्सर है ।

श्री हंसराज आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक महोदय करीब डेढ़ घंटे तक बोले, उनको हमने बड़ी शान्ति के साथ सुना और जब इधर से बोलने वाले सदस्य बोल रहे हैं तो आपको भी शान्ति के साथ सुनना चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी यह बता रहा था कि उधर से जिस तरह के तथ्यहीन आरोप लगाये गये जो तथ्यहीन बातें कही गई ; मैं अब आपके सामने तथ्य रखूंगा और बताऊंगा कि जो यह प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान के अन्दर पंचायतों के चुनावों के अन्दर गड़बड़ियां हुई ; वाकई में गड़बड़ियां हुई या नहीं, लेकिन हमारे प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य को तो इस तरह की तथ्यहीन बातें फैलाने की बीमारी है और वह बीमारी आप जनता के सामने रखना चाहते हैं ।

कुल राजस्थान के अन्दर ३०४४ पंचायतों के चुनाव हुए और राजस्थान के अन्दर कुल ३,२०० पंचायतें बनेगी और उसमें ३०४४ पंचायतों का चुनाव हो चुका है। उन चुनावों के अन्दर सिर्फ ६६३ चुनावों के सम्बन्ध में इलेक्शन पीटिशन्स कलेक्टर के सामने आई । और उन ६६३ इलेक्शन पीटीशन्स में से २३१ पंचायतों का आजतक फैसला हो चुका है । उस फैसले के अन्दर ये २३१ पीटीशन्स खारिज हो चुकी हैं । यानि ८० प्रतिशत खारिज हो चुकी है, यानी ये गलत तरीके से पेश की गई थीं । इस तरह से कुल ४४२ इलेक्शन पीटीशन्स कलेक्टर के पास में हैं । अब इस सम्बन्ध में जब कि ३,०४४ पंचायतों के चुनावों में सिर्फ ६६३ इलेक्शन पिटीशन्स का आना और उसमें भी २३१ पिटीशन्स का खारिज होना यह बताता है कि पंचायतों के चुनाव ठीक प्रकार से हुए । अब केवल ४४२ इलेक्शन पिटीशन्स पेन्डिंग हैं, इसका भी नतीजा आपके सामने आने वाला है । इलेक्शन पिटीशन्स की सुनवाई कलेक्टर के पास होती है जो शासन का बड़ा जिम्मेदार अधिकारी होता है जिसके पास इसकी सुनवाई होती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो आंकड़े आपने बताये उनकी अधिकृतता के बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

एक माननीय सदस्य—मिनिस्टिर साहब ने ये इनको दिये हैं ।

श्री मोतीलाल चौधरी—अलहदा-अलहदा जिलों के अन्दर जहाँ जहां पंचायतों के केसेज हुए हैं वहां से मैंने जानकारी ली है । जैसा कि माननीय सदस्य जिस तरह से गलत

[श्री मोतीलाल चौधरी]

तरीके से जानकारी हासिल करते हैं वैसे मैंने नहीं की । हर इलाके के अन्दर जाकर मैंने अनुसंधान किया है और यह जानकारी मैंने हर जिले में जाकर हासिल की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल तीन हजार पंचायतों के चुनावों के अन्दर अगर गैर कानूनी तरीके से किसी पंचायत का गठन हुआ है तो उसके सम्बन्ध में केवल एक पंचायत बर का रिट आया था । बर के रिटों पर चालीस रिटें और हुई थो । उनमें से ३६ ने हाई कोर्ट का फैसला दे दिया था । बर की पंचायत के सम्बन्ध में हाउस में यह बातें कही हैं कि इसमें बहुत गडबडियां की गई; किस तरह से तथ्यों को उलट पुलट कर कहा गया कि एक विशेष वर्ग के लोग और उसमें भी विशेष जाति के लोग लाने के लिये यह कहा गया । मैं आपके सामने बर पंचायत, जो पंचों के नाम हैं, वह मैं आपको बताउंगा ताकि आपको पता चलेगा कि जो यह विशेष वर्ग के लोगों को लाने के लिये स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रकार का षडयंत्र किया मैं आपको बर पंचायत के पंचों के नाम बताउंगा जिससे पता चल जायगा कि उसमें किस किस जाति के लोग आये हैं ।

बर पंचायत में जो पंच चुनकर आये हैं उनके नाम इस प्रकार है; श्री मगाराम माली, श्री जेसराज, श्री नरपतसिंह राजपूत ।

श्री **वेदपाल त्यागी**—उपाध्यक्ष महोदय, यह बर पंचायत का जिक्र किसने किया ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी ने भी बर पंचायत का जिक्र नहीं किया तो माननीय मित्र कैसे उसका जवाब दे रहे हैं ? जब बर पंचायत ने रिट पेश की हाई कोर्ट में तो उसके साथ ४० और रिटें पेश हुई । अगर ऑर्डिनेन्स जारी नहीं किया जाता तो शायद हजारों रिटें पेश होतीं, यह भी माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये । बर का जिक्र आज किसी भी माननीय सदस्य ने सदन में नहीं किया ।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बताउंगा कि जो बातें बारबार कही जाती हैं, आज भी उसके बारे में काफी कहा गया; मैं उनका जवाब दे रहा हूं ।

श्री **वेदपाल त्यागी**—आप सूरतगढ़ और पीलिबंगा का उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—घबराइये नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं ।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—यह तो सूरत से ही मालूम हो रहा है कि कौन घबरा रहा है ।

श्री खेतसिंह—आप तो घबरायेंगे नहीं क्योंकि आपको तो अभ्यास है।

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वर पंचायत के पंचों के नाम बताये, उनमें एक भी आदमी भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री के जाति का नहीं है। इस तरह से अलग अलग तरीके से कई प्रकार की बातें कही गई, जो तथ्यहीन थीं।

सूरतगढ़ तहसील के बारे में जो बातें कही गई उसके बारे में जो जानकारी मैंने की उससे यह मालूम हुआ कि वहां किसी प्रकार जाति के आधार पर चुनाव नहीं हुआ। वहां बहुसंख्या जिस जाति की थी उसीके लोग वहां के चुनाव में आये, विपक्ष का कोई नहीं आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अपने गुट्ट का समर्थन नही किया क्या। एक पार्टी और पार्टी के अन्दर गुट्ट का समर्थन नही किया क्या?

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) एक जाति और विशेष वर्ग की जो बात आपने कही उसके बारे में मैंने कहा, गुट्ट की मुझे जानकारी नहीं। न किसी प्रकार का गुट्ट हमारी पार्टी के अन्दर है....

श्री हरिकृष्ण व्यास—दुनियां जानती है, आप कैसे भ्रम में हैं?

श्री मोतीलाल चौधरी—(जारी) आप यदि इस प्रकार भ्रम में हैं तो वह भुला दीजिये। हमारी पार्टी के अन्दर किसी प्रकार का गुट्ट नहीं है...

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आपको इसकी भी अधिकृत रूप से जानकारी है? जो आपस में चर्चायें चलती वे आपसे छिपी नहीं होनी चाहिये। सम्मेलन होते हैं।

श्री मोतीलाल (जारी)—उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात सूरतगढ़ के बारे में कही गई मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस बात पर बार बार जोर दिया कि विशेष वर्ग के, विशेष जाति के लोगों को लाने के लिये स्वायत्त शासन मंत्री और चीफ पंचायत ओफिसर ने अपनी जाति विशेष के लोगों को लाने के लिये प्रयत्न किया। सूरतगढ़ तहसील के आफिस में चुनाव हुए थे। इसलिये किसी विशेस जाति के लोगों को लाने न लाने का क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता।

दूसरी बात जो उन्होंने...

श्री हरिकृष्ण व्यास—गुट्ट का सवाल?

श्री मोतीलाल—कोई गुट्ट नहीं है हमारे यहां।

(हंसी)

तो दूसरी बात जो उन्होंने रक्खी रिटों के बारे में। ७७ रिटें हुई हैं कोर्ट में आज तक। उनके अन्दर से ४० के करीब फैसल हो गई जिनमें ३७ में रिटें रद्द हुई हैं और बाकी दो में उनके हक में फैसला हुआ है और एक रिट शायद जिसमें उन्होंने चुनाव के लिए मन्जूरी मांगी थी, वहां वह मन्जूर हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—और बाकी जो रिटे थीं, वे आर्डिनेन्स की वजह से हो नहीं पाई। यह भी आप और जोड दें। ये आंकडे आप दे रहे हैं उसलिए यह कह रहा हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी—मेरे ख्याल से यह उचित होगा कि माननीय सदस्य मुझे खामोशी से सुनें। मैं व्यक्तिगत रूप से लांछन नहीं लगाऊंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, लगावें आप।

श्री मोतीलाल चौधरी—नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जोधपुर से आने वाले सदस्य का तो ऐसा स्वभाव ही पड़ गया है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस टर्मिनोलोजी पर जरा क्लैरिफिकेशन हो जावे। मान्य तरीका यह है कि जोधपुर से आये माननीय सदस्य तो इस टर्मिनोलोजी को ठीक तौर से प्रयोग में लावें।

श्री खेतसिंह—कांग्रेस दल में तो रचनात्मक कार्यकर्ता हैं, वक्ता नहीं हैं आपकी तरह।

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी—मैं चाहूंगा कि इस तरह से माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें। उन्होंने एक बात और कही कि राजस्थान की सरकार ने पंचायतों के चुनावों के अन्दर सभी तरह की गड़बड़ियां कीं। पर मैं कहूं कि मान लो इतनी गड़बड़ियां करने के बाद भी आपको जिले के सर्वोच्च अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील करने का प्रोवीजन भी दिया है। किसी इलेक्शन ऑफिसर के पास नहीं, किसी पंचायत ऑफिसर के पास नहीं; बल्कि जिले के सर्वोच्च अधिकारी के पास करने का अधिकार दिया है। जब कि पंजाब का पंचायत एक्ट आप उठा कर देखिये, यू. पी. को देखिये, उनमें कहीं भी इलेक्शन पिटीशन का प्रोवजिन नहीं दिया गया है। पर राजस्थान में यह चीज रक्खी गई, डेमोक्रेसी की दृष्टि से रक्खी गई कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ होगी तो इलेक्शन पिटीशन कर सकेगा और वह भी किसके पास? जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, पंचायत अफसर के पास में नहीं, रिटर्निंग अधिकारी के पास नहीं, एक जिले के उच्चाधिकारी के पास में जिसको आप एक अच्छा और निष्पक्ष आदमी मानते हैं और अगर जैसा कि वे कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई इलेक्शन में, तो एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, तीन हजार पंचायतों का चुनाव हो चुका है और तीन हजार पंचायतों में दो तीन हजार इलेक्शन पिटीशनें हुई होती। रिटें भी जो हुई उनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। तो इन सब बातों से यह प्रस्ताव बहुत ही महत्वहीन और तथ्यहीन लगता है।

Page No.76

श्री हरिकृष्ण व्यास—समय का भी जरा ध्यान रखा जावे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री मोतीलाल चौधरी—तो मैं कह रहा था कि अगर जितनी पिटीशनें इन तीन हजार के चुनावों में हुई हैं और जो रिटें हुई हैं उनको देखा जाय तो इस प्रस्ताव की पोल हमें साफ नजर आने लग जावेगी।

एक बात और कही कि इन पंचायतों के इलेक्शन के समय वार्ड और पंचायतों के गांव इधर उधर लगाने में गुट्टबाजी की गई और उसको करने के लिए एक जाति विशेष पर कीचड़ उछाला जाता है। यह कहा गया कि राजस्थान में जयपुर में आदमी नहीं मिले, झुंझुनू से लाये; तो यह सारा आरोप तथ्यहीन है। ये सारे वार्डों का चुनाव, गांवों के क्षेत्र सब पहले ही पंचायत एक्ट के बनने के तुरन्त बाद ही बन गये थे और उस समय जो मिनिस्टर थे वे किसी वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं, यह आप भी मानते हैं। फिर यह आरोप लगाना कि वार्ड इसी तरह बनाये गये क्षेत्र वर्ग विशेष की सहूलियत को देखते हुए बनाये; यह कतई सही नहीं है, तथ्यहीन है। फिर आपने सीकर और झुंझुनूं का ही अधिक जिक्र किया है। तो इससे लगता है कि माननीय सदस्य का रोष खासकर उस डिस्ट्रिक्ट से ही है, उनका रोष वहां के कुछ आदमियों के प्रति है, यही लगता है। तो इसका क्या इलाज किया जाए? एक बार पहले भी उन्होंने मेड़ता जिले के बारे में कहा था जिस पर उनसे कहा गया कि यही बात आप हाउस से बाहर आकर कहें तो सारी सफाई हो जावे। मामला कोर्ट में ले जाए और वहां देख लिया जाय कि किसकी बात सच है। पर यह करने की हिम्मत है नहीं। यहां हाउस में जो उनके मन में आवे कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहां इसका प्रिविलेज है। उसका दुरुपयोग वे इस तरह भले ही करें और प्रत्येक बार इसी तरह की बातें कहें तो कहें, इसका तो उनको प्रिविलेज है।

बर की पंचायत के बारे में उन्होंने कहा। पर इसका स्पष्टीकरण भी हो चुका है कि इन ग्राम पंचायतों की सारी रूपरेखा तो भूतपूर्व मिनिस्टर, स्वायत्त शासन के वक्त ही बन चुकी थीं। तो इससे यह सही है कि उनका जो कथन है उससे स्पष्ट है कि उनकी भूतपूर्व मन्त्रीजी से हमदर्दी है। एक भूतपूर्व मन्त्री पर उनकी सद्भावना है, पर दूसरे पर उनका रोष है। तो यह भी प्रसन्नता की बात है कि किसी पर उनकी हमदर्दी तो है। तो कम से कम जिनके प्रति उनकी हमदर्दी है। मैं कहता हूं कि क्षेत्र निर्धारण का काम उनके वक्त ही हो चुका था और गजट में भी प्रकाशित हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में आप ये बार गुट्टबाजी की बात कहते हैं। जिस तरह की बात जनता को अन्धेरे में रखने के लिए उसे भ्रम डालने के लिए कहते हैं या ऐसी बातें बार बार कह कर किसी सदस्य को बहकाना चाहते हैं तो कोई बहकने वाला नहीं है और न जनता ही भ्रम में पड़ने वाली है।

(घंटी)

इन शब्दों के द्वारा मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव है वह बिल्कुल ही निराधार है, इसका घोर विरोध करते हुए मैं माननीय सदस्यों

[श्री मोतीलाल चौधरी]

से आशा करूंगा कि इस तरह के तथ्यहीन प्रस्ताव पर कोई ध्यान न दें और माननीय सम्बन्धित प्रस्तावक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस तरह के तथ्यहीन प्रस्ताव को लाकर हाउस का समय बरबाद न करें और इसे वापिस ले लें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है ...

श्री उपाध्यक्ष—१५ मिनिट हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां साहब, आप जैसी आज्ञा देंगें ।

श्री गोपीलाल यादव —अब तो दो-दो मिनिट बोलने को मिलने चाहिए ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं साहब, माननीय उपाध्यक्षजी, टेम बढ़ा दिया जाय ।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं ।

मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि वार्ड या और ऐसी दूसरी चीजों की सब की तफसील में जाकर यहां उल्लेख किया जाय और कितने रिट हुए हैं और कितने नहीं हुए है, कितने इलेक्शन पिटीशन हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, उसकी तफसील में यहां जाने की कोशीश की जाय, क्योंकि वह बेमतलब की बात है । उनका तफसील में एक दो बार जिक्र कर चुका हूं और जिक्र करने के बाद में भी यदि ऐसी स्थिति है कि राजस्थान के बहुत बड़े अंश के लोगों को शिकायत है । इधर बैठने वाले आप सदस्यों के मन में यह तकलीफ हो और यह फैसला हो कि कोई कारण नहीं हैं शिकायतों का और इधर बैठने वाले कई लोगों का उतना ही फैसला हो कि शिकायतों के कारण हैं, कारण ही सिर्फ नहीं हैं परन्तु मौजूद कारण हैं, तो अब उस प्रश्न का निर्णय करना है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत किया गया है उसमें जो ठीक किस्म का निर्णय हो उस किस्म का निर्णय लिया जाय । मैं नहीं कहता, कोई आप से मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी राय इसी वक्त देदें । माननीय सदस्य जो डीडवाने से आये हुए हैं उनसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी पंचायतों के चुनावों के बारे में जो राय हो वह उनसे छुड़ा दी जाय । मैं यह कहने जा रहा हूं कि निष्पक्षरूप में जांच करा ली जाय, और यह क्यों कहने जा रहा हूं ? इसलिए कहने जा रहा हूं कि अगर लगातार बार-बार शिकायतें आ रही हैं, यह जुदा बात है कि किस के जमाने में कम गड़बड़ हुई है, मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण को अपना कर हम समस्या का हल नहीं कर पायेंगे । रामकरणजी ने की होगी तो रामकरणजी पर दोष लगेगा और कुम्भारामजी ने की होगी,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो कुम्भाराम जी पर दोष लगेगा। रामकरणजी का भाग है तो उनकी गलतियों का इतना बड़ा भाग उनको मिलना चाहिये। इसमें हमारे सब की रजाबन्दी है। (हंसी) मेरा मतलब यह कहने का था कि उन्होंने कहा था कि रामकरणजी (घंटी) के टाइम में सब कुछ हुआ है।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—मैंने यह नहीं कहा था।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—"उन्होंने बनाया है" का मतलब आपको समझ जाना चाहिए। बार बार यह कहा जाता है कि कोई गुट नहीं है लेकिन आपने नहीं कहा था, परन्तु कुम्भाराम जी की तारीफ कर रहे थे और रामकरण जी की नहीं कर रहे है। दोनों कांग्रेस के लोग हैं। उनकी भी करना चाहिए। हमारी मुश्किल यह है कि अगर हम कोई ठीक बात हो और उस बात को स्वीकार नहीं करते तो आप ऐतराज करते हैं कि यह ठीक बात है। वह आप स्वीकार नहीं करते हैं और कोई ठीक बात हो रही हो, भ्रष्टाचार के सिलसिले में कोई कार्यवाही हो रही हो, चाहे पंचायतों के बारे में धांधली अब कम हो रही हो और उसे हम स्वीकार करते हैं, उसके पक्ष में हम बोलते है तो आप कहेंगे, अगर माननीय सदस्य यही चाहेंगे कि अगर सही बात हो तो भी टीका, आलोचना करो, और अगर नहीं करोगे तो इस बात से हमारे में फूट डालोगे तो सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जैसी स्थिति देखेंगे वैसा कहना इसमें फूट नहीं डालना है और न फूट डालना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि, आपसे संजीदगी से कहता हूं (हंसी) जरा गौर से सुनिये,...

एक माननीय सदस्य—आप बिना संजीदगी से बोलिये।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मैं हर बार संजीदगी से बोलता हूं। यह महसूस होने के वास्ते बीचबीच में याद दिलाता हूं कि मैं संजीदगी से बोलता हूं।

श्री **खेतसिंह**—आपकी मुस्कराहट से तो ऐसा मालूम होता नहीं है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—उसका श्रेय भी उन माननीय सदस्य को है कि जब भी उनको बोलते हुए सुनता हूँ तो एक-दो घन्टे के लिए मेरे मुंह पर मुस्कराहट ही मुस्कराहट होती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह ...

श्री **भैरूंसिंह**—उनकी आवाज ही हंसी के लायक है या सदन का ढांचा ही हंसी के लायक है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—मुझे तो उनका बोलने का लहजा हंसी के लायक दीखता है

(हंसी)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक चीज का कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था। उसको दोहराने की अवश्यकता नहीं समझता, लेकिन सिर्फ उल्लेख कर देता हूं। एक धारा ८ का प्रयोग किया गया बड़ी मात्रा में। यह मंत्री महोदय के ध्यान में है और सब लोगों के ध्यान में है कि बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। बड़ी मात्रा में नोमीनेशन्स किये गये हैं। अब यह ठीक बात है कि नोमीनेशन्स बाद में रद्द करने पड़े। यह भी ठीक बात है कि कानून के अन्दर नोमीनेशन चले नहीं। लेकिन इस बात से थोड़ा पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अब जो गलती की उस गलती को दूर करें। किस हद तक आज भी उस गलती को लगातार कर रहे हैं। हम तो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की गल्तियां हुई हैं; कानून की खामी से गलती होना संभव हो तो कानून की खामी को दुरुस्त किया जाय। यदि किसी व्यक्ति विशेष ने ऐसा किया है और कानून ठीक होगा तो उस व्यक्ति के साथ वह हो जायगा। मैं बड़ी ही जिम्मेवरी और गम्भीरता से कहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण किया जा रहा है तो कैसे यह किया जा रहा है ? गलती रह गई है तो कानून के जारिये उसे ठीक किया जाय।

मैं आपको बताऊंगा दूसरी मिसाल देकर कि इस पंचायत एक्ट के अन्दर, इलेक्शन कानून के अन्दर कोई गुंजाइश नहीं है कि वोटर्स कितने हैं और कितने नहीं है, इसका पता लगाया जाय। न वोटर लिस्ट है, न कलेरिफिकेशन की गुंजाइश है और न चेकिंग की गुंजाइश है। एक अहाते में लाकर बिठा दिये और एक पेड़ के नीचे एक पार्टी के वोटर्स को बिठा दिया और दूसरे पेड़ के नीचे दूसरी पार्टी के लोगों को बिठा दिया। अमूमन यह स्थिति आती है, मैं जिम्मेवरी से और आपको दावे के साथ कहता हूं, कि कम से कम शुरुआत के लिए, ५, १० और बाद में ज्यादा चाहें तो ऐसी पंचायतों की मिसालें और नमूने मैं प्रस्तुत करने को तैयार हूं कि जिनकी पूरी जनसंख्या से, १८ वर्ष के ऊपर की पूरी जनसंख्या से ज्यादा वोट रेकॉर्ड हुए हैं। आप कहेंगे कि कैसे हुए हैं ? आप कहेंगे कि इलेक्शन पिटीशन तो नहीं हुए। आप कहेंगे कि हाई कोर्ट में रिट तो नहीं हुए। लेकिन रिट हो चाहे न हो, पिटीशन हो चाहे न हो, इस चीज से आगे हम और बात बरदाश्त करने को तैयार हैं कि यह खामी रह गई कि इधर उधर से लोगों को बटोर कर लाये, मेरा यह नहीं कहना है कि एक व्यक्ति या पार्टी विशेष ही बटोर कर लाई होगी। यह चीज निश्चित है कि आप लोगों का गुट भी लाया होगा और दूसरे भी लाये होंगे, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। ऐसी पंचायतें यहां मौजूद हैं कि जहां रेकॉर्डेड वोट १८ साल की उम्र की जितनी आबादी है उस आबादी से ज्यादा हैं। तो उसका आप क्या इलाज बताते है, और क्या आप इलाज करने को तैयार हैं ? यह हकीकत है। मैं तो कहता हूं और जिम्मेवरी से कहता हूं कि यदि सदन इस बात का फैसला करने को तैयार है कि ऐसी पंचायतें दो-चार सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जायं तो इसकी जांच करा ली जाय और अगर यह बात ठीक निकले तो यह प्रस्ताव मन्जूर कर लिया जाय। मैं इस बिना पर भी इलेक्शन को स्थगित कर दूं। तीन दिन के अन्दर २ जांच करवा ली जाय और निर्णय कर लिया जाय।

Page No.80

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इतना ही नहीं आपके रेकार्ड में ऐसे डिटेल्स मौजूद हैं कि जिन डिटेल्स के अन्दर नीचे से नाम एक आया है और यहां के पंचायत विभाग से नाम दूसरा गया है। इतना ही नहीं लेकिन आज कई २ ऐसे केसेज़ है जिनको चार, साढ़े चार महिने चुनाव को हो गये हैं, वे अभी तक सदस्य नहीं हुए हैं। एक या दो इलेक्शन के अन्दर ऐसी मिसाल मौजूद है कि रिटर्निंग आफिसर ने रिज़ल्ट डिक्लेअर करके, घोषित करके, इलेक्शन रिज़ल्ट के परचे दे दिये कि अमुक २ व्यक्तियों को घोषित करता हूं चुनाव के अन्दर इलेक्टेड और वह इलेक्शन इन्वेलिड करार करके फिर से चुनाव हुए। जब यह पूछा गया कि यह क्यों हुआ, तो यह कहा गया कि भीड़ ने इकट्टा होकर यह लिखा लिया था, डर का प्रयोग करके यह लिखा लिया था। यदि डर का प्रयोग करके लिखा लिया था तो वह अभी भी मास्टर है, सरकारी मुलाजिम है या नायब तहसीलदार है, उसके हाथ के लिखे हुए परचे जो पंचों को दिये गये हैं व मौजूद हैं, लेकिन फिर भी और चुनाव दूसरे हो गये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप परेशानी में न पड़ें।

मैं आपको विभाग में लिखित ऐसी मिसाल बता दूं कि जिसमें वोटिंग का रेकर्ड इस ढंग से किया गया है जिसमें लिखा है कि अमुक व्यक्ति को सरपंच के लिये ४६३ वोट्स मिले और उसके विरोधी सरपंच को जो वोट मिले उनमें से ५४३ तो गिन पाये और फिर अन्धेरा हो जाने के कारण गिनती आगे नहीं चल पाई, दो लाइनें और गिनने को बाकी थीं, मार्क दीज वर्ड्स और हुआ यह कि पांच लाइनें बैठीं २५, ३० की। आगे की गिनती होने के बाद पीछे जा कर बैठते हैं। आप कहते हैं यह तो इल्जाम की बात है। मैं कहता हूँ आप विभागीय फाइल ले कर वहां पहुँचिये। जिस जगह चुनाव हुआ उस घटनास्थल तक पहुँच जावें। उसमें जिस जगह गिनती की गई है उस स्थान पर ७ से ज्यादा एक भी लाइन नहीं बैठ सकती और खचाखच भरें तो भी वहां ३० से ज्यादा एक भी आदमी नहीं बैठ सकता। तो ७ से ज्यादा लाइनें नहीं बैठ पावें वहां ५४३ कैसे पैदा हो गये। यह फिजिकली इम्पोसिबल है। रेकर्ड में नाम-पता मौजूद है, पर कौन जांच करेगा ?

'जातिवाद और गुट्टबाद' इस आधार को मैं कोई विशेष महत्व की चिना नहीं मानूंगा, पर यह मैं मानता हूं कि शासन में बैठे हुए लोग अपने जी हुजूरियों और अपने पास में बैठने वाले लोगों के लिये अपने अधिकारों का और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और इस तरह अधिकारों का और सत्ता का दुरुपयोग करें तो अन्त में हमारे लिये वह एक घातक चीज होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि कोई धांधलियें नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ कि आप राजस्थान की पंचायतों का एक कलर्ड मेप बनवाइये। मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे राजस्थान की पंचायतों का एक कलर्ड मेप तैयार करवावें, १५-२० रुपये खर्च करने पड़ें तो कोई बात नहीं; तो पता चलेगा कि जैसे सुनेल का इलाका उधर और सीरों का इलाका इधर जिसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लिये कि स्टेट्स रीओर्गेनाइजेशन कमीशन ने सिफारिश लिखी है इसी तरह की राजस्थान की पंचायतों में अगर हजारों ऐन्क्लेव्स नहीं मिलें कि दूर का इलाका इधर और पास का इलाका उधर, तो आप जैसा कहें करने को तैयार हूँ। सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्थान वहां मिलेंगे कि जहां न सवाल है आबादी का और न उस क्राइटेरिया का जो आपने रखा है। जो क्राइटेरिया आपने मुकर्रर किया है वह नाकाबिल है। आज गजट में नया क्राइटेरिया शाया करवा दें और उससे ५० फी सदी से ज्यादा वहां नहीं निकलें तो आप यह कह सकते हैं। तो आप कलर्ड मैप बनवावें, देखें कि नजदीक के गांव कहां कहां हैं और दूर के कहां कहां हैं। यही नहीं गांव के गांव गायब हैं। बूंदोली और जोधपुर में लोड़ियां का गांव गायब है। मैंने ये दो-तीन बातें जिम्मेदारी के साथ कही हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे बोलने की अवधि अनिश्चित काल तक के लिये बढ़ा दें तो मैं दो तीन दिन में यह सब साथ जा कर साबित करवा सकता हूँ।

(हंसी)

मैं कह सकता हूँ कि गांव के गांव गायब हैं। आप यह कहेंगे कि वार्ड्स जो हमने बनाये हैं उनमें आपको क्या शिकायत है? मैं लिखित ऑर्डर इस विभाग का पेश कर दूं कि इस गली से उस मोहल्ले तक एक वार्ड होगा और ४ घर भोमियों के होंगे। वहां भोमियों के २२ घर हैं उनमें से ४ घर कैसे कायम करेंगे, इसके लिये क्या क्राइटेरिया है?

तो इस बिना पर चुनाव हुए होंगे ही, वार्ड्स बने हैं और रिजल्ट घोषित किये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब चीजें जो मैंने यहां कही हैं उनका सदन में रेकर्ड होता है, उसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री महोदय ले लें और एक एक चीज का स्पेसिफिक नाम लेलें, सदन चाहे तो लेले, और इसकी जांच करायें, इस सब के बाद आप कहते हैं कि यह झूठे गन्दे आरोप हैं, जांच नहीं करायेंगे। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह आंखें मुंदने से जो स्थिति पैदा हो गई है उसे मिटाया नहीं जा सकता, शुतुर्मुर्ग की तरह बालू मिट्टी में सिर डालने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। आप हिम्मत से आगे बढ़ें। अगर आपको विश्वास है कि किसी प्रकार की गड़बड़ीयां, ज्यादतियां नहीं हुई हैं तो और भी ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ कर कहें कि जांच करा लीजिये और जांच से साफ साफ साबित हो जायगा कि आप कहते हैं वह सच है या हम कहते हैं वह सच है। आप कहते हैं कि कोई गड़बड़ीयां नहीं हुई और कोई ज्यादतियां नहीं हुई और हम आपसे भी ज्यादा जोर के साथ कहते और बार बार कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, धांधलियां हुई हैं और ज्यादतियां हुई हैं और हमें विश्वास है कि जांच करवाइये तो निष्पक्ष इन्क्वायरी के सामने ९९ फी सदी इन बातों को सही साबित कर के बता देंगे। आप जांच करवाइये न, हम अगर गलत साबित हो गये तो सदन के सामने सब स्थिति स्पष्ट हो जायगी और अगर आप गलत साबित हो गये तो वैसी स्थिति सदन के सामने आ जायगी और आपको भी पता चल जायगा कि हम जो कहते हैं वह सही है। जाति विशेष को छोड़ कर बढ़ावा दिया जाता है। आज कल के जमाने में पार्टी को और अपने गुट को और मैं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं और साबित कर सकता हूं कि सरकार ने और मंत्री महोदय ने अपने गुट्ट और अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिये यह कार्य किये हैं, इस बिना पर जो निर्णय हुए हैं उनमें हर क्षेत्र, हर इलाके में कुछ न कुछ इन्ट्रेस्ट होता है और वहां सर्व साधारण को भली भांति विदित है कि मंत्री महोदय का पक्ष का आदमी रहता है, उसको चुनने के लिये-ऐसा, ऐसा किया गया है। यह जानकारी के लिये सूचना मिलती है, इस तरह की दो चार सूचनाएं हो जायं तो साबित हो जाता है कि यह बड़ी मात्रा में हुआ है।

बोगस वोटिंग के बारे में नियमों में खामी है और दूसरी ओर और प्रकार की खामियां हैं वे दूर की जायं और जिन लोगों की शिकायतें हैं उनको दूर किया जाय और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं उनको राहत पहुंचाई जाय। अभी कहा गया कि अगर ऐसा किया गया तो १६०० पंचायतों के बारे में गड़बड़ियां हो जायंगी। राहत पहुँचाने के दूसरे तरीके हो जायेंगे। तो इसमें जांच करने के लिये जिम्मेदार सदस्य रखे जांय, पार्टी विशेष का ध्यान नहीं रखा जाय, सब पार्टीज के, सभी तरह के विचार के लोग इसमें लिये जांय। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करके सदन से कहेगी कि हमें संतोष है कि आम तौर पर ऐसी ज्यादतियां नहीं हुई हैं तो सदन भी निश्चिन्तता के साथ सोचेगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और यदि यह कमेटी कहेगी कि गड़बड़ियां हुई हैं तो हमें सुधार करने का मौका मिलेगा।

ज्यादा कन्ट्रोवर्सीज़ में न जा कर जिन बातों के आधार पर मैंने प्रस्ताव का समर्थन किया है उन खास बातों की ओर सदन का ध्यान खींच कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं यह आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा।

(श्री मानसिंह महार और श्री हरलालसिंह दोनों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—श्री मानसिंह महार। (श्री हरलालसिंह से) आपका भी नम्बर आयगा।

श्री मुक्तालाल मोदी—आज एक बजे तक समय किया जाय।

श्री तेजसिंह बापना—क्यों क्या किया जाय ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसलिये कि जो अन्याय किए गये हैं उनको सुना जाय।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के समक्ष जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हूँ।

(हंसी और "हियर, हियर" की ध्वनि)

Page No.83

[श्री मानसिंह महार]

मैं यह मान कर चलता हूँ कि जिस तरीके से यह संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह एक बहुत गलत तरीका है। हमारे नये मन्त्री जी को इस विभाग को संभाले अभी बहुत कम समय हुआ है। हमें चाहिये कि अभी वे क्या क्या कर सकते हैं और कर रहे हैं, उसके लिए उनको समय दें और यह समय देने के बाद अगर हम इस तरह का समझ लेते हैं...

श्री खेतसिंह—चिलम भरी जा रही है।

श्री मानसिंह महार—तो दूसरी बात जो मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, वह यह है कि दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय मित्र ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बे सर पैर की कही जा सकती हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य जो सूरतगढ़ से आये हुये हैं उनके पत्र का जिक्र किया, अगर सही होता तो वे सदन की मेज पर रखते....

श्री भैरूंसिंह—मैं माननीय सदन की जानकारी के लिये व सदन की जानकारी के लिए सदन की मेज पर उस पत्र को रखता हूं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अब हमें मालूम हुआ है कि इन दोनों की मिल-जुली पूरी जालसाजी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तो और बहुत कुछ मालूम होगा।

श्री मानसिंह महार—इसके अलावा बहुत सी बातें कई गई हैं, उनको मैं बे-बुनियादी मानता हूं। जैसा मेरे सामने देखने वाले माननीय मित्र श्री मोतीराम जो जिनकी कोन्स्टीटुएन्सी को मैं भूल रहा हूं...

एक माननीय सदस्य—डीडवाना।

श्री मानसिंह महार—डीड़वाना से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि बे-बुनियादी बातों का डिफेन्स होना चाहिये। मैं मानता हूँ कि बे-बुनियादी बातों का जरूर डिफेन्स होना चाहिये लेकिन उन्होंने भी कुछ खामियें रख दी। मैं यह जानना चाहूँगा कि पंचायत नियमों के आधीन जो रूल्स बनाये गये थे वे श्री रामकरण जोशी के समय में बनाये गये थे; उनके समय को कौन डीफेन्ड करता है। हम तो कहते हैं कि रूल्स की तहत जो गल्तियें हुई हैं तो उसके लिये तो मंत्रीजी को देखना चाहिये। एक बात और कही गई कि झुंझुनू के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेट्री को सैकड़ों आदमियों को सुपरसीड करके बिठा दिया। इसके लिये यह कहा जाता है कि कानून नहीं

[श्री मानसिंह महार]

बनाये गये थे। अगर उन्होंने उसको गल्ती से बिठाया और दूसरे लोगों को सुपरसीड किया है तो उनके नीचे काम करनेवाले जो उनसे सीनीयर थे उनके साथ अन्याय हुआ है, यह एक वाजिब बात है। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि यह गल्ती नहीं की गई है। ऐसी गल्ती नहीं कर सकती हैं।

मैं आगे और निवेदन करूंगा कि चौधरीजी के खिलाफ बहुत से आरोप लगाये जाते हैं, मगर उनमें से ९९ प्रतिशत आरोप गलत हैं। इसमें आप बे-बुनियादी बातें कहते हैं। जैसा कि पंचायत ओफिसर के लिये कही गई हैं। उनके लिये मंत्रीजी से खुलासा जरूर चाहूंगा कि वास्तव में सत्यता क्या है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर नहीं करते हैं तो।

श्री मानसिंह महार—मैं ज्यादा निवेदन नहीं करके यह जरूर कहूंगा कि इस सदन में कोई भी आदमी यह हिम्मत ही नहीं करेगा चाहे स्वायत्त शासन मंत्री भी यह कहेंगे कि अनियमितताएं नहीं हुई। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करावे। कमेटी के द्वारा नहीं। कमेटी का मैं घोर विरोध करता हूं। कमेटी बनाने से इनके हौसले बढ़ जावेंगे और एक बार भी इनको इस प्रकार का मौका देना बिल्कुल गलत हैं। मैं इसका विरोध करते हुए चलता हूं कि कमेटी नहीं बनाई जावे लेकिन फिर भी मैं यह अवश्य कहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अनियमिताएं हुई हैं उसकी जांच जरूर करावें। चौधरीजी के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं वे बिल्कुल गलत हैं।

अब मैं हमारे जयपुर डिविजन में, बैराठ में, कोटपुतली में, आमेर ए और आमेर बी में आ जाऊंगा और रामगढ़ में तो जो कुछ हुआ उतके लिये प्रत्यक्ष रूप में कहता हूं कि वहां पर मीणावाद का प्रचार किया गया, जाट वाद का प्रचार नहीं किया जाता है। मीणावाद का इतना जबरदस्त प्रचार किया गया कि इसके लिए जयपुर जिला कांग्रेस के एक अच्छे कार्य-कर्ता को ३ वर्ष के लिये कांग्रेस से हटाया गया कि ये मीणावाद का प्रचार करते थे।

श्री मेरूसिंह (१६)—मीणावाद का प्रचार किसकी सभा में किया गया ?

श्री मानसिंह—मीणों की सभा में किया गया।

एक माननीय सदस्य—वहां पर एक मंत्रीजी भी मौजूद थे।

श्री मानसिंह महार (जारी)—यह मुझे मालूम नहीं। गलत प्रचार नहीं होना चाहिये कि जाटों को मौका दिया गया, नौकरी में लिये गये। जहां जाट ज्यादा होंगे वहां जाट आवेंगे ही और

[श्री मानसिंह महार]

जहां राजपूत ज्यादा होंगे वहां राजपूत ज्यादा आवें तो आप कह देते हैं कि राजपूतवाद और जह जाट ज्यादा आवें तो आप कह देते हैं जाटवाद। मै तो अपने वहां की कहता हूँ वहां पर जाटवाद का प्रचार नही किया गया। वहां पर मीणावाद का प्रचार किया गया। एक मंत्रीजी भी आये थे मीणों की सभा में। वहां चौधरीजी का क्या काम? यह गल्त बात नहीं कहनी चाहिये। लोगों को इस मुगालते में नहीं डालना चाहिये। मैं मानता हूँ...

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोमेशन, सर, जिन सदस्यों को कांग्रेस से निकाला उन्होंने यह लिख कर दिया कि पहले चौधरी कुम्भाराम को निकाला जावे जो वहां पर मौजूद थे।

श्री मानसिंह महार—यह मैं मानता हूँ कि उसने लिख कर दिया कि पहले चौधरी कुम्भाराम को कांग्रेस से निकाला जावे जो वहां मौजूद थे। मैं यह कहूँगा कि मीणावाद का प्रचार हुआ और यहां पर गांव के गांव छोड़ दिये गये और उन लोगों को वोट का हक नहीं दिया गया। अभी एक सदस्य जोधपुर से आने वालों ने एक गांव का कहा कि एक गांव रह गया, जयपुर में गांवके गांव रह गये। जमुआ रामगढ में आज २५ गांव ऐसे हैं जिनमें पंचायतों के चुनाव में वोट के हक नहीं है। इसके सम्बन्ध में मंत्रीजी को जांच करानी चाहिये। मैं कमेटी का विरोध करता हूं और विरोध करते हुए भी कि इसकी जांच करावें। यह प्रस्ताव जिस ढंग से रखा गया है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता लेकिन फिर भी थोडीं बहुत गल्तियां हुई हैं उनकी जांच करवाना सरकार का परम कर्तव्य है। झूठे कागजात बनाये जाते हैं और फर्जी कागज सदन की मेज पर रख दिये जाते हैं। मैं यह कहता हूं कि लिखने वाले सदस्य उनको देखें और आकर कह दें कि वे फर्जी हैं। मैं अपने मित्र जो सूरतगढ से आये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस कागज को देखें। गल्त कागज सदन की मेज पर रखा नहीं जा सकता। इस प्रकार की बातें होते हुए भी माननीय उपाध्यक्ष, लोग कहते हैं कि फला वाद, फल वाद; मैं किसी वाद की बात नहीं कहता। मैं अपने गांव की बात कहता हूं एक गाव है वहां पर दो हजार की आबादी है। गांव में स्कूल है, पोस्ट ओफिस भी है। सभी प्रकार की सुविधा है। इस गांव में २०, २५ आदमी लां ग्रेजुएट भी मिलेंगे जो नौकरियां करते हैं ऐसा गांव है। इसके बावजूद भी वहां पर कोई पंचायत कायम नहीं की गई। यह महज विरोध की वजह से नहीं की गई। जाटवाद के पहले जो स्वायत्त शासन मंत्री थे वे मुझसे नाराज थे और इस वजह से उन्होंने वहां पर पंचायत कायम नहीं की। मेरे गांव से दूसरा पंचायत सेन्टर सामोद है उसके नीचे भी इस गांव को नहीं लगाया। क्योंकि हो सकता है कि शायद मुझे नीचा दिखाने के नीयत से ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस गांव से चार मील की दूरी पर जो गांव है उसके नीचे लगाया। इसलिये मैं कहूंगा कि जो गल्ती हुई है वह जड़ से हुई है और इसके लिये यह कहना की बीच में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है; ऐसी बात नहीं है। गल्ती जड़ से हुई है।

हमारे वर्तमान मंत्रीजी ने हाल ही में चार्ज लिया है। कुल काम तो हो चुका है, इनके जिम्मे तो यह है कि वाकई में न्याय करना चाहते हैं तो इसकी जांच करावें और अगर सही तरीके

[श्री मानसिंह महार]

से जांच करें और मैं तो सबसे बड़ी चीज यह रखता हूं कि जो पंचायत ओफिसर हैं उनके प्रोमोशन वाजिब हैं, जैसा वे कहते हैं और दूसरों ने यह कहा कि वे नावाजिब हैं। अगर किसी जूनियर को सीनियर बना दिया है, जैसा कि यहां कहा जाता है, तो मैं यह कहूंगा कि यह गैरवाजिब है और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमें सर्विसेज को यह दिखा देना चाहिये कि हम न्याय करना चाहते हैं।

(घंटी)

आप न्याय करके दो—चार केसेज में मिसालें पेश कर देंगे। सर्विसेज के सामने कि हम अन्याय को दूर करेंगे और गल्ती करने वालों को सजा देंगे तो आज जो एडमिनिस्ट्रेशन में शिथिलता आ गई है वह दूर हो जावेगी। आज-कल सर्विसेज यह समझने लग गई है कि अमुक २ व्यक्तियों को जी-हजूरी कर लेंगे तो अपना काम हो जावेगा।

इससे यह हुआ कि इमानदार आदमी पीछे चले गये है और जी-हजूरी करने वाले हैं वे ऊंचे उठे जा रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए सदन के सामने जो एक मिसाल आयी है तो उस मिसाल की, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे उसकी जरूर जांच करेंगे और जांच ही नहीं सदन में बतावें कि जांच से क्या नतीजा हुआ। विरोधी दल में बैठे हुए माननीय सदस्य बार बार कहें, उसको लेकर इन्तजाम करना चाहिए कि ऐसे झूठे आरोप न लगावें।

(हंसी एवं घंटी)

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बात गलत न हो तो अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। सदन के समक्ष जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है और जो माननीय सदस्य ने अपनी तरफ से उस कमेटी में नाम भी जोड दिये हैं, न जाने कोई सिलेक्ट कमेटी बनने जा रही है किसी बिल पर, उसकी कतई जरूरत नहीं है। मैं इस संकल्प का विरोध करते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि जो वाजिब बातें हों उनकी मंत्रीजी जांच करें और सदन को कम से कम बता दें कि यह नतीजा निकला।

सरदार श्री हरलालसिंह—दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए प्रकाश डाला और कुछ एक ऐसे आक्षेप किये जिससे कि एक कमेटी बिठाई जाय और जांच करवायी जाय। उस प्रस्ताव का मैं विरोध करते हुए और कुछ माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया है और जो बातें कही हैं उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[सरदार श्री हरलालसिंह]

कानून की खामी बतलाते हुए माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह इसलिए खामी रखी गई कि पंचायतों के चुनाव में, जिसमें कोई जाति विशेष या वर्ग विशेष के आदमी नहीं आवें तो झगडा किया जा सकता है। अभी में सीकर का आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर में १२५ पंचायतें हैं और वहां मेरी जहां तक जानकारी है ७ स्थानों पर झगड़े हुए और उन सातों स्थानों में से दो जगह जहां झगड़े हुए थे तो माननीय सदस्य मौजूद थे और उनकी तरफ से झगड़ा शुरु किया गया, इसके लिए मैं आपको चैलेन्ज करता हूं।

श्री भैरूंसिंह—मैं ..

(कोलाहल)

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके माननीय सदस्य कौन है ?

श्री भैरूंसिंह—मेरे सामने यदि किसी पंचायत का झगड़ा हुआ हो तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हूँ और यदि यह चीज गलत सिद्ध हो जाय तो सरदार हरलालसिंहजी से त्याग-पत्र लिया जाय और यदि त्याग-पत्र नहीं देते हैं तो उनको सदन से बाहर कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल चोधरी—(बोलने के लिए प्रस्तुत)

(कोलाहल)

श्री हरिकृष्ण व्यास—झगड़ा कहां हुआ ?

सरदार श्री हरलालसिंह—गोवटी में झगड़ा हुआ और आप वहां मौजूद थे; और फरासने में हुआ।

श्री भैरोंसिंह—मैं इनके जवाब को चैलेन्ज करता हूँ।

सरदार श्री हरलालसिंह—बाकी पांच स्थान हैं। काशमी में कम्युनिस्टों ने झगड़ा किया, कम्युनिस्टों से सम्बन्धित किसान सभा ने झगड़ा किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसका नाम लिया जा रहा है ? किसने झगड़ा किया ?

सरदार श्री हरलालसिंह—कॉम्युनिस्टों से सम्बन्धित किसान सभा ने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बात तो गलत कह रहे हैं।

सरदार श्री हरलालसिंह—आप जरा बिराजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गलत मत कहा करें।

सरदार श्री हरलालसिंह—आपको गलत कहना आता है इसलिए जल्दी कहते हैं। जिस वर्ग का ये नाम लेते हैं किसी भी एक झगड़े में हाथ हो तो इसके लिए मैं चेलेन्ज करता हूँ।

("हाउस के बाहर" इस प्रकार की आवाज)

अब बातें दूसरी हैं। जाटवाद आदि बातें कह डालते हैं। झुंझुनू का जिक्र किया। झुंझुनू में ११६ पंचायतें है उन सभी का चुनाव हो चुका। एक भी जगह चुनाव में झगड़ा नहीं हुआ। एक भी पंचायत के लिए साबित कर दें तो मैं उनको चैलेन्ज करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—झगड़ा क्यों होता है?

श्री सरदार हरलालसिंह—चुनाव पोस्टपोन हो जाय। कुछ मौका नहीं मिला, दुबारा मिल जाय।

श्री भैरूंसिंह—झगड़े के लिए....

(घंटी)

सरदार श्री हरलालसिंह—आप बिराजिये। आप हमेशा बोलने की कोशिश करते हैं, छाये रहने की चेष्टा करते हैं।

(हंसी एवं शोरगुल)

श्री हरिकृष्ण व्यास—बगैर झगड़े के पोस्टपोन हुए नहीं?

सरदार श्री हरलालसिंह—दूसरी बात मैं बताऊं कि इस जड़ में तथ्य दूसरा है और वह यह है कि माननीय सदस्य दांतारामगढ़ से जो आने वाले हैं वे छोटे-मोटे जागीरदार हैं और जागीरदारों के पास में जब जागीरें थी लोगों को कुचलते थे, अब उनके पक्ष में वोट नहीं देते हैं इसलिए इस प्रकार की यहां हवा बनाते हैं।

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह—मैं झुंझुनू जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष को हरा आया हूँ।

सरदार श्री हरलालसिंह—झुंझुनू जिले के अध्यक्ष कौन थे, जिसको हराने का मौका ही नहीं मिला था।

श्री भैरूं सिंह—श्री विद्याधर कलल्ली को हरा कर आया हूँ।

सरदार श्री हरलालसिंह—आप खाचरियावास में थे, जहां आप विराजते है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या किसी माननीय सदस्य को सीधा सम्बोधन करना वाजिब है, 'आप आप' करके ?

सरदार श्री हरलालसिंह—हर बात में रूलिंग देना आपका काम नहीं है। आप बैठ जाइये।

(हंसी एवं घंटी तथा पुनः घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर अर्ज करना है।

(करतल-ध्वनि)

सरदार श्री हरलालसिंह—आप बैठ जाइये।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to submit on a point of order, sir,

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरलालसिंह।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप भी बैठें, उपाध्यक्ष महोदय लेग्स पर हैं। थोड़ी अक्ल सीखो।

श्री उपाध्यक्ष—उनको सम्बोधित किया जाय तो कोन्स्टियुएन्सी के नाम से किया जाय, ऐसा तरीका है। और उसका उत्तर देने (करतलध्वनि) के अन्दर आप भी ध्यान रखिये कि वे जैसा कहते हैं उनसे तेज उत्तर दिया जाय, ऐसा प्रयत्न न रखें। फैक्ट्स की बातें हैं वे दुनिया से छिपी नहीं है। आप जैसे हैं आपको जानते हैं, उनको भी जानते हैं।

(हंसी एवं करतल-ध्वनि)

विशेष बात न होकर व्यर्थ की गलतफहमी है। थोड़े में कह दीजिये।

(करतल ध्वनि)

सरदार श्री हरलालसिंह—गैलेरी में बैठे लोग जो हैं वे तो नहीं जानते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे सब जानते हैं।

सरदार श्री हरलालसिंह—तो....

श्री भैरूंसिंह—जो प्रकाश डालना है...

(बाधा)

सरदार श्री हरलालसिंह—तो खाचरियवास में एक मीटिंग बुलाई थी किसान सम्मेलन ने। हम टाइम पर गये। किसानों में से एक आदमी नहीं था। अपने ही दोस्तों को बुला कर उस मीटिंग को नहीं होने दिया। इस तरह की हलचलें होती थीं।

इन्हीं लोगों से आज यहां मोर्चा नहीं हो सका और जिस क्षेत्र में जिसकी जैसी पोपुलेशन है उस हिसाब से चुनाव होता है और चुनाव में लोग आते हैं। इसके लिए आप दूसरों पर इल्जामात लगाकर हाउस में एक वातावरण बनाने की कोशिश करते है तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। और यह भी आप समझ लीजिये कि कानून और नियम उपनियम हर चुनाव में लागू होते हैं।

श्री भैरूंसिंह—यह मेन कहां से आया।

(हंसी)

श्री सरदार हरलालसिंह—हारने वाले जो होते हैं वे हमेशा शिकायत करते हैं; आप शिकायत करते रहिये कामयाब होना मुश्किल है।

लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह तरीका जो आपने अपना रखा है वह बहुत उचित नहीं है कि आप बार-बार किसी पर आक्षेप करें। आक्षेप करना ठीक नहीं होगा। मैं नम्रता के साथ हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको इन बातों से रोकना चाहिए। मैं उदाहरण सहित सही तथ्य आपके सामने रखूंगा कि कहीं भी पंचायत के चुनावों में पंचायत एक्ट, उसके नियम उपनियम के मुताबिक ही कार्यवाही हुई है, कहीं भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। जहां जहां जिस कौम की ज्यादा संख्या थी उसी के अनुसार हर जगह से पंच आये हैं। झुंझुनू जिले में डाबड़ा एक गांव है वह पूरा गांव राजपूतों का है, वहां से १६ पंच लिये गये हैं जिसमें से १३ राजपूत हैं। उसके लिए किसी ने शिकायत नहीं की लेकिन आपको बार-बार एतराज होता है। आप किसी भी तथ्य को रखते हैं वह सही तरीके से नहीं कहते हैं। आप तथ्यों को झूठमूंठ बनाकर रखते हैं। लेकिन इसके मायने यह कदापि नहीं हो सकते कि आप एक दूसरे से बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं...

श्री हरिकृष्ण व्यास—"आप आप" शब्द मत कहिये....

श्री सरदार हरलालसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस की जो मर्यादायें हैं उन मर्यादाओं का पालन करना हर सदस्य का कर्तव्य है कि करे। उन मर्यादाओं का पालन करना हर सदस्य के लिए जरूरी हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी बात कहने के लिए उठते हैं उस वक्त उधर से हो हो की आवाज होती है जब कि हमने उनके भाषण को शान्तिपूर्वक सुना। जब हम बोलते हमारी आवाज कोदबा ने कीकोशिश करते हैं।

श्री हरिकृ व्यास—हम तो बोलने का ढंग बताने की कोशिश करते हैं।

श्री सरदार हरलालसिंह—अभी झुंझुनू के संबंध में एक लिस्ट दिखाई गई और यह कहा गया कि जहां जन संख्या कम थी; लेकिन पंचों की संख्या ज्यादा चुन ली गई। एक बार पहले भी पिछले समय एक किसी माननीय सदस्य ने झुंझुनू जिले के एक गांव के लिये कहा था कि वहां की जन संख्या १८५ है और वहां दो पंच रखे गये हैं लेकिन वास्तव में जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वहां की जनसंख्या ४५० है, जिसकी आबादी यहां बतायी गयी उन माननीय सदस्य द्वारा १८५। इस प्रकार की तथ्यहीन बातें सदन में की जाती हैं और इस प्रकार इस हाऊस में एक प्रकार से हौवा बनाने की कोशिश की जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के हौवे से सदन को बचाया जाय। हमें सदन में कई तथ्यों को लाने की कोशिश करनी चाहिये। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो ज्यादा बोलने वाले हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें इधर उधर घुमाकर कहते हैं और उनको बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह अर्ज करूंगा कि आप लोग इस नीति को छोड़ें....

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो डाइरेक्टली कहा जाता है, "आप ऐसा मत करें" आदि इससे मुझे प्रोवोकेशन हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप जो कुछ कहें स्पीकर को एड्रेस करके कहें, यह तरीका है यहां भाषण करने का।

श्री सरदार हरलालसिंह—"अच्छा अच्छा" अब मैं स्पीकर कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय हो गया है अब रिप्लाई मिनिस्टर साहब दे दें।

श्री सरदार हरलालसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को य तना चाहता हूं जो वे झूठ इस सदन में बातें कहते हैं उनमें कितना तथ्य है। इसके मायने यह है कि सदन में बोलने की छूट है, वे चाहे कुछ भी कह सकते हैं उनकी बातों से मैं यह समझा हूं जितना भी वे बोलें या जो कुछ कहते हैं वे सब जानते हैं; बार बार किसी बात को दोहरा कर कहना उचित मालूम नहीं होता उन्हे जो वाजिब बातें हैं वे ही कहनी चाहिये...

श्री संतोषसिंह कछवाहा—उपाध्यक्ष महोदय, समय हो गया है।

श्री सरदार हरलालसिंह उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है वह किसी प्रकार पास होने वाला नहीं, वैसी चीज रखकर उन्होंने हाउस के सामने कुछ न कुछ बोलने का मौका मिल सके, इसलिये यह प्रस्ताव रखा है। जो कुछ भी दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बातें कहीं हैं, ऐसा मालूम होता है कि वे कभी सत्य बातें कहना नहीं सीखे। आप घुमा फिरा कर इस तरह घोड़ा फैंकते हैं ताकि उससे न तो किसी को नुकसान पहुंचता है, नुकसान उनको जरूर होता है। उनकी आदत बिगड़ती जाती है उनको चाहिए कि वे अब तो इस प्रकार की आदत को छोड़ें।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय होने वाला है अतः अब माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरा एक सुझाव है। वह यह कि अभी लोगों को इस प्रस्ताव पर बोलने की काफी दिलचस्पी मालूम होती है, ऐसा मालूम होता है कि सब तरफ से लोग इस पर बोलने के लिए उत्सुक हैं। कल शनिवार है अतः या तो यह बहस कल तक के लिए स्थगित की जाय या यह बहस सोमवार को भी चालू रहे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, प्राइवेट मेम्बर्स के लिये एक दिन रखा था और आज पौने दो दिन करीब हो गये इसके लिये ज्यादा समय रखना उचित नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पहले के सेशन में भी तो समय नहीं रखा था।

(श्री मनफूलसिंह के खड़े होने पर)

श्री वेदपाल त्यागी—पर्सनल एक्सप्लेनेशन किस बात का दिया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष ?

श्री मनफूलसिंह—मैं सिर्फ दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा। मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है उसका जवाब दे देना चाहता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी—व्यक्तिगत आक्षेप कहां किया गया है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो फिर मुझे भी दो मिनिट का समय दिया जाना चाहिये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेलसिंह—झूठे आरोप लगाये गये हैं, उनको डिफेन्ड तो करेंगे ही।

श्री वेदपाल त्यागी—झूठे आरोप की बात नहीं है। जब ये कहेंगे तो हमें भी फिर उस पर कहने का अवसर दिया जाना चाहिये। हम तो सिर्फ समय मांगते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—समय की कमी है इसलिए पांच-दस मिनिट....

Page No.93

श्री **वेदपाल त्यागी**—माननीय उपाध्यक्ष, एक बजने को आ गया है और फिर कोई गलतफहमी, जैसा कहते हैं, की कोई बात नहीं है।

(चारों ओर से कोलाहल)

श्री **उपाध्यक्ष**—कौन उत्तर देगा ? मन्त्री महोदय या...

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—समय तो हो गया है उपाध्यक्ष महोदय, और अगर उधर से जवाब दिया जावेगा तो इधर से भी जवाब के लिए समय दिया जाना जरूरी होगा। अब अगर समय बढ़ा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं; नहीं तो 'talked out' हो गया ऐसा समझा जाना चाहिये।

श्री **वेदपाल त्यागी**—talked out हो गया साहब। अब समय हो गया है।

श्री **उपाध्यक्ष**—(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री से) आप उत्तर तो नहीं देना चाह रहे हैं ?

श्री **वेदपाल त्यागी**—तो क्या स्थिति रही साहब ? समय बढ़ा रहे हैं क्या आप ?

(इसी बीच श्री मनफूल सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री **उपाध्यक्ष**—ये कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।

श्री **मनफूलसिंह**—मेरे लिखे हुए पत्र को सदन की मेज पर रक्खा गया है। मैं यह समझता हूं कि इस पत्र को पूरी तरह से शुरू से अन्त तक पढ़ लिया जाता तो भावार्थ सदन को मालूम हो जाता कि इसमें पंचायत के बारे में कुछ लिखा है या किसी गल्त आदमी से बचने का निर्देश दिया है।

श्री **वेदपाल त्यागी**—तो क्या वह पत्र आपका नहीं है ?

श्री **मनफूलसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, आपके सामने जो चीज दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रक्खी हैं उस सम्बन्ध में उनको मैं जवाब दे दूं तो यह उचित ही होगा। माननीय सदस्य ने पंचायत के चुनावों के सम्बन्ध में बहुत गलत बातें कही हैं, क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ निराधार बातें कही हैं, तो उन सारी बातों के डिटेल में नहीं जाकर सिर्फ इस एक पीलीबंगा पंचायत के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जांच करवा लीजिये इसकी कि इस पंचायत क्षेत्र का चुनाव हुआ या नहीं हुआ। वे यह कहते हैं इस पंचायत क्षेत्र के लिए कि चुनाव नहीं हुआ और पंचों की घोषणा कर दी गई तो इस पंचायत क्षेत्र के लिए मैं उन्हें चैलेन्ज करता हूं कि उनका कथन सरासर झूठ है, गलत है। इसके लिए भले ही कमीशन मुकर्रर कर दिया जावे और इसकी जांच करके राजस्थान की सारी पंचायतों के बारे में जो निराधार बातें कही जाती हैं उन बातों का आधार केवल एक पीलीबंगा पंचायत की जांच को ही मान लिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजगढ तहसील की कालेरी पंचायत को और जोड़ लें ।

श्री खेतसिंह—वे कौन मिनिस्टर हैं ।

श्री मनफूलसिंह—लेकिन मैं अपने क्षेत्र की पंचायत के बारे में बात कहता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं और चैलेन्ज देकर कह सकता हूं कि अगर इसमें कोई भी चुनाव की गड़बड़ी हुई हो और इसे साबित कर दिया जावे तो मैं सहर्ष मानने के लिए तैयार हूं और इसके लिए सरकार या सरकार के किसी मन्त्री पर दोष क्यों लगाये जाते हैं उसका मुझे दोष या दंड दे दिया जावे तो मैं उस दंड को भी सहने को तैयार हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच हो जावे साहब फिर तो ।

श्री मनफूलसिंह—अगर यह जांच नहीं की जावेगी तो विरोधी लोगों के इसी तरह से झूठी और तथ्यहीन बातें कहने का हौसला बढ़ता जावेगा और सदन की परम्परा को धक्का लगेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि इस पीलीबंगा पंचायत के चुनाव की जांच हो जावे, जरूर करा ली जावे और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि इसके लिए किसी तरह के आरोप लगाना निराधार है । अगर एक भी चीज पीलीबंगा पंचायत के चुनाव की गलत साबित हो जावे तो इसके लिए मेरा चैलेन्ज है ।

और भी बहुत सी चीजें कही गई हैं जो सारी की सारी निराधार हैं । एक पीलीबंगा पंचायत की ६७५ जनसंख्या में दुलमानी गांव भी शामिल है लेकिन जो आंकड़े सदन में बताये गये हैं वे बिल्कुल गलत हैं । दूसरा गांव गुडली की जनसंख्या बताई वह भी गलत बनाई गई । तीसरे मुलचैनपुरा चं० नं० १, २ और तीन रघुनाथपुरा गांव में शामिल हैं, जो अलग रघुनाथपुरा से बताये गये, निराधार है ।

श्री वेदपाली त्यागी—This is no personal explanoition, Sir.

श्री मनफूलसिंह—मेरा जहां तक प्रश्न है जांच के लिए तैयार हूं, यही कह रहा हूं और सम्बन्धित मंत्री महोदय से भी यह प्रार्थना करूंगा कि पीलीबंगा पंचायत के चुनाव की जांच अवश्य की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—Orer! Order!!

(घंटी)

श्री मनफूलसिंह—और भी...

(विरोधी पक्ष की ओर से शोरगुल और आर्डर आर्डर की लगातार आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया और .. (स्वायत शासन मन्त्री से) क्या आप कहना चाहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मैं पांच मिनट लूंगा

श्री भैरूंसिंह—फिर मुझे भी जवाब का मौका दिया जावे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री वेदपाल त्यागी—It is Talked out. Talked out हो गया साहब। टाइम हो चुका है and it should be taken to have been talked out, अगर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे तो मूवर महोदय भी बोलेंगे; तो या तो आधा घंटा का समय बढ़ा दिया जावे अदरवाइज़ टॉक्ड आउट समझा जावे।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि समय हो चुका है इसलिए अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और सोमवार को ४ बजे फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही एक बजे मध्यान्ह पर, सोमवार, दिनांक-१६ दिसम्बर, १९५५ के मध्यान्होतर ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१६ दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर, जो कि सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

१८९. (१४ एफ. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए, डिविजन नम्बर १४२—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या खण्डार के विचपड़ी कपारदा क्षेत्र में शेर का उत्पात है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे तत्काल मरवा डालने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) अब तक उसे नही मारे जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

क—जी हां।

ख—इस शेर को मारने के लिये शिकार का लाइसन्स दे दिया गया है।

ग—वह शेर एक जगह तो रहता नहीं है, अतः जहां कहीं उसे मारने का प्रयत्न किया जाता है वह दूसरी जगह भाग जाता है। इस कारण अब तक वह शेर नहीं मारा जा सका।

प्रश्न

१६१. (३१ एस. आर. एम.) श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५४—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि दौसा से सैंथल जाते हुए एक थानेराम शरणार्थी का १३४ बोरी नमक २-१-४६ को गिरफ्तार किया गया था ?

(ख) इस नमक का क्या हुआ ?

उत्तर

उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ।

Page No.97

प्रश्न

१८६ (१३ एफ. एम.) श्री श्रीदास गोयल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४२—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर तहसील में सरकारी तथा गैर सरकारी कितने जंगल कितने कितने एकड़ के ठेकेदारों द्वारा गत तीन वर्षों में काटे गये ?

(ख) उन जंगलों के क्या क्या नाम हैं ?

(ग) किन-किन जंगलों को काश्त के लिए काटने का आदेश दिया गया ?

(घ) कौन-कौन से ऐसे जंगल हैं जो काश्त के लिए काटे गये, पर काश्त बिल्कुल नहीं हुई ?

(ङ) क्या सरकार इस हानि के लिये जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(क) गत तीन वर्ष में सवाई माधोपुर तहसील में निम्नांकित जंगल काटे गये :—

सरकारी (१९५२-५३)		गैर सरकारी	
नाम जंगल	क्षेत्रफल एकड़ में	नाम जंगल	क्षेत्रफल एकड़ में
(१) नाल घाटी नं० १	८३	(१) मोर डूंगरी	
(२) सतपोल	३३	(२) खेड़ी की वाल	
(३) बघी पाज नं० २	६५	(३) गुवाड़ा खोह	१४०
(४) नीमली नं० २	६५	(४) हलोंदा	
(५) भदलाव नं० १	५५	(५) भैरवपुरा	
(६) भदलाव नं० २	८३	(६) पटाल की डूंगरी	
टोटल	३८४		

१	२	१	२

१६५३-५४

(१) नाम घाटी नं० २ १०५ (७) बलवन १०२० बीघा

१६५४-५५ (८) खंजना डूंगर

(१) भदलाव नं० ३ १८५ (९) जागीर मुर्दड़ी

(२) माह खोह नं० २ १०३ (१०) फलोदी

(३) नाल घाटी १००

(४) नीमली कलां नं. ३ ९०

टोटल ४७८

(ख) जंगलों के नाम ऊपर 'क' में आ गए हैं।

(ग) निम्न जंगल खेती के लिए काटे गये।

(१) मोर डूंगरी (२) खेडी की बाल

(३) हलोंदा (४) भैरवपुरा

(घ) (१) खेड़ी का बाल (२) गुवाडा खोह (३) मैं रूपुरा

(ङ) जी हां। जांच के लिए कलेक्टर सवाई माधोपुर को आदेश भेजे जा चुके हैं।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २०० का उत्तर देखिये)

नम्बर १९५५ से व्यक्ति कम कर दिये उनकी सूची निम्नलिखित है :

क्रमांक	नाम	स्थान	डिस्ट्रीक्ट या जोन
१.	श्री रामचन्द्रसिंह	अकाउन्टेन्ट.	कार्यालय, अतिरिक्त उप कस्टोडियन, अलवर.
२.	श्री रघुवीरसिंह	लोअर डिवीजन क्लर्क.	,, ,,
३.	श्री हजारीलाल	रेन्ट कलेक्टर	,, ,,

१	२	३	४
४.	श्री रघुवरदयाल.	रेजीडेन्ट फील्ड इन्सपेक्टर.	राजगढ़.
५.	श्री जगनप्रसाद.	चपरासी.	कार्यालय अतिरिक्त उप कस्टोडियन, अलवर.
६.	श्री गनपत.	चपरासी.	,, ,,
७.	श्री गोपीकिशन.	क्लर्क.	पाली
८.	श्री रामचन्द्र.	,,	बाड़मेर.
९.	श्री गोपीकिशन.	,,	कार्यालय अतिरिक्त उप कस्टोडियन, श्री गंगानगर
१०.	श्री लादूराम	,,	,, ,,
११.	श्री रिखबचन्द;	,,	सीकर.
१२.	श्री दरियावसिंह,	तहसील क्लर्क.	झुंझुनू जोन.
१३.	श्री प्यारेलाल.	खजान्ची.	झुंझुनू आफिस.
१४.	श्री दासराम गुलाती.	रेजीडेन्ट फील्ड इन्सपेक्टर.	सवाईमाधोपुर.
१५.	श्री गंगाराम	चपरासी.	टोंक.
१६.	श्री श्याम गोस्वामी.	रैजिडेन्ट फील्ड इन्सपेक्टर.	सिरोंज.
१७.	श्री श्यामसुन्दर.	,,	बांदीकुई.
१८.	श्री माधो मीणा.	चपरासी	रेजिडेन्ट फील्ड इन्सपेक्टर्स
१९.	श्री सत्यनारायण.	,,	कार्यालय सांभर, बांदीकुई
२०.	श्री लादूराम.	,,	और कोटपुतली.
२१.	श्री उदयकिशन बोहरा.	रेजीडेन्ट फील्ड इन्सपेक्टर.	परबतसर।
२२.	श्री कन्हैयालाल.	तहसील क्लर्क.	नांवा।
२३.	श्री मुरलीधर व्यास.	लोअर डिवीजन क्लर्क.	नागौर।
२४.	श्री रोशनलाल गुप्ता.	,,	डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेन्ट कस्टो-
२५.	श्री भगवानदास.	लोअर डिवीजन क्लर्क.	डियन रेजिडेन्ट फील्ड इन्सपेक्टर कार्यालय, रतनगढ़.

परिशिष्ट ३

(श्री भैरोंसिंह, दांता रामगढ़, द्वारा सदन की मेज पर रखा गया पत्र)

गवनमेंट होस्टल,
जयपुर ३-१०-५५

"प्रिय भाई भागीरथ,

जयहिन्द,

अपने अर्जन के भरोसे बैठे रहे। मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं अर्जन जैसे आदमी के साथ में नुकसान के सिवाय कोई चीज नहीं है। मोतीलाल हैडमास्टर के भेजे कोई कागजात यहां दफ्तर में नहीं पहुंचे है। अर्जन जिन कागजों को लाया उनसे एक घण्टे में काम होने वाला था लेकिन कराने वाला कोई नहीं था इसने तो उल्टी लड़ाई शुरू कर दी और इसकी दिलचस्पी तो दावा में पंच बढ़ाने की बात थी इसी पर सबसे लड़ा है, अपने वाले काम की कोई परवाह नहीं की। मेरी तो आपसे यहीं सलाह है कि इसको मुंह लगाने में आपकी बड़ाई नहीं होने वाली है बदनामी जरूर होगी इसलिये समझदारी से धीरे २ किनारा कर लेना चाहिये और अगर मेरा पत्र दिखाकर या यह कहकर कि मनफूलसिंह तो नहीं चाहता लेकिन मैं तेरे को चाहता। साथ रखना तो शायद उल्टी-सीधी बात बनाने के लिये तुम्हारी दुकान पर भी बैठा रह सकता है; अतः मेरा बार २ यही कहना है कि इससे नमस्ते कर लेनी चाहिये।

मेरे को तीन चार रोज बुखार आया मगर कल से ठीक हूं।

विशेष समाचार हो तो लिखें।

सभी को जयहिन्द कहे। बच्चों को प्यार।

आपका अपना
मनफूलसिंह

जिस आदमी के अन्दर शराब, मांस अफीम, चरित्र भ्रष्ट भी हो उसके साथ में बदनामी है।"

शुद्धि–पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१२०३	१८	१६५५	१६५२
१२१८	शीर्षक	बिधी	विधि
१२१६	शीर्षक	विधी	विधि
१२४४	२८	चौध ी	चौधरी
१२५६	११	श्री मामसिंह	श्री मानसिंह
१२५६	२०	श्री लनफूलसिंह	श्री मनफूलसिंह